पंचम माला, खंड 41, अंक 4, गुरुवार, 25 जुलाई, 1974/3 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLI, No. 4, Thursday, July 25, 1974/Sravana 3, 1896 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनूवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/
CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 25 जुलाई, 1974/3 श्रावण, 1896 (शक)

No. 4, Thursday, July 25, 1974/Sravana 3, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
61	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के और अधिक विक्रय केन्द्र	More Sale Centres for H.M.T. Watches .	1—5
62	भारत के साथ सम्बद्ध होने की सिक्किम की जनता की मांग	Demand by Sikkimese People for being associated with India .	5—7
63	भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तानी हस्तक्षेप	Pak Interference in India's Internal Affairs	7—12
64	वाणिज्यिक वाहनों के रूप में मोटर गाड़ियों का पंजीकरण	Registration of Vans as Commercial Vehicles.	12—14
67	पाकिस्तान के साथ वार्ता पुन : आरंभ करना	Re-opening of talks with Pakistan . . .	14
68	पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा भारत का दौरा	Visit by West German Experts . .	14—15

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
65	जैसप एंड कम्पनी के प्रशासन के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Administration in Jessop & Co. . . .	15
66	कोयला खान कर्मचारियों की भूतपूर्व कोयला खान मालिकों पर बकाया राशि	Coal Mine Workers' dues from Erstwhile Coal Mine Owners .	15—16
69	भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव	Pakistan Military Build-up along Indian Borders . .	16
70	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मंजूरी बोर्ड	Third Wage Board for Working Journalists .	16
71	इस्पात के वितरण की नई प्रणाली	New System of Steel Distribution . .	17
72	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Coal Prices .	17—18
73	बोनस पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश	Recommendations of Bonus Review Committee . . .	18
74	विद्युत् संकट के परिणामस्वरूप कारखानों के बंद होने के कारण वर्ष 1972-73 में कर्मचारियों की जबरन छुटी	Workers laid off in 1972-73 due to closure of Factories following Power Crisis . .	18
75	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा	Visit to India by a Delegation of P.R.G. of South Vietnam. .	19
76	कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र का चालू किया जाना	Commissioning of Vijayanagar Steel Plant in Karnataka . .	19—20
77	राष्ट्रीय मंजूरी नीति	National Wage Policy .	20
78	इस्पात संयत्रों में इस्पात का जमा हो जाना	Accumulation of Steel with Steel Plants .	20—21
79	सिक्किम के चौग्याल की भारत यात्रा	Visit to India by the Chogyal of Sikkim .	21
80	मजूरी और मूल्य-वृद्धि के बीच अंतर को समाप्त करना	Neutralisation of Difference of Wage and Price Rise . .	21

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
513	केरल के कोजीकोड जिले के लौह अयस्क के संबंध में मूल्यांकन	Assessment regarding Iron Ore of Kozhikode District of Kerala . . .	22
514	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति	Progress in Family Planning Programmes in States . . .	22—23
515	पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये मंजूरी निर्धारण तंत्र	Wage Fixation Machinery for Port and Dock Workers . .	23
516	मूल्य वृद्धि के लिये वैगन निर्माताओं का तर्क	Wagon makers plea for price rise . . .	24
517	लेबर कोर्टस को जूडिशियरी (न्यायपालिका) के नियंत्रण में लाने की मांग	Demand for bringing Labour Courts under Control of Judiciary .	24
518	दुर्गापुर मिश्र (एलाय) इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant.	24—25
519	रूस को एल्यूमिना की बिक्री	Sale of Alumina to Russia . . .	25
520	वाणिज्यिक वाहनों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Commercial Vehicles.	25—26
521	कुंजपूरा सैनिक स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्तियां दिया जाना	Grant of Scholarships to Students of Kunjpura Sainik School . .	26
523	भारत द्वारा अणु बम का निर्माण	Manufacture of Atom Bomb by India. .	26
524	आन्ध्र प्रदेश में कार्बनीकरण संयंत्र	Carbonization Plant in A.P. . . .	27
525	जेसप एण्ड कम्पनी को हुई हानि	Loss suffered by Jessop and Company .	27
526	एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि० जे० के० नगर के कार्यकरण की जांच	Inquiry into Working of Aluminium Corporation of India Ltd., J.K. Nagar .	27
527	देश में खाद्य अपमिश्रण के मामले	Food Adulterated cases in the country . .	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
528	दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में नकली सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का पकड़ा जाना	Seizure of Spurious Cosmetics in Sadar Bazar Area of Delhi . .	28
529	कार तथा स्कूटरों के नियतन के नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules for Allotment of Cars and Scooters . .	28
530	पाकिस्तानी युद्ध बंदियों और अन्य नागरिकों का प्रत्यावर्तन	Repatriation of Pakistani P.O.Ws. and other Nationals .	29
531	छम्ब क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा सेना पर पाकिस्तान सेना द्वारा गोली चलाया जाना	Pak firing on Indian Security Force in Chhamb Sector. .	29
532	विदेशों को हथियार और गोलाबारूद की तस्करी	Smuggling of Arms and Ammunition to Foreign Countries . .	29
533	पाकिस्तान के साथ युद्ध वर्जन संधि का प्रस्ताव	Proposal for No War Pact with Pakistan .	30
534	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कथित वित्तीय संकट	Alleged financial crisis in Bharat Coking Coal Limited . .	30
535	कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भर्ती और पदोन्नति नीति	Recruitment and Promotion Policy of ESIC . .	30—31
536	बिहार में चेचक	Small Pox in Bihar .	31—32
537	वर्ष 1974 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in Public Sector Steel Plants during 1974 .	32—33
538	फरक्का और एन्कलेवों (बस्तियों) के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच समझौता	Accord between India and Bangladesh on Farakka and Enclaves	33
539	इस्पात और कोयले का उत्पादन	Production of Steel and Coal . . .	34
540	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन	Reorganisation of HSL .	34
541	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता का कम किया जाना	Downgradation of capacities of Public Sector Steel Plants . .	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
542	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनर्गठन	Reorganisation of Industrial Training Centres . . .	35
543	शिशिक्षुता आधिनियम, 1961 के अंतर्गत छात्रवृत्ति दरें	Stipend Rates under Apprenticeship Act, 1961 . . .	36
544	औद्योगिक विवाद अधिनियमो में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act .	36
545	अल्युमिनियम और उसके उत्पादों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Aluminium and its Products . . .	37
546	इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 1974-75 की अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये और अधिक बजट व्यवस्था की मांग	Further Budgetary support sought by Ministry of Steel and Mines to carry out its 1974-75 Plans . .	37—38
547	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के सरकार द्वारा प्रबंधग्रहण की अवधि बढ़ाया जाना	Extension of period of takeover of I.I.S.C.O., Burnpur . . .	38
548	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टी० आई० एस० सी० ओ०) का विस्तार	TISCO Expansion	38
549	इंजीनियरिंग प्रोजेकट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा श्रीलंका में रबड़ पर आधारित उद्योग की स्थापना	Setting up of a Rubber based Industry in Sri Lanka by Engineering Projects (India) Ltd. . . .	39
550	इंजीनियरिंग प्रोजेकट्स (इंडिया) लि० द्वारा उपकरणों तथा संयंत्रों की मशीनरी का निर्यात	Export of Equipments and Plant Machinery by Engineering Projects (India) Limited	39
551	भारत और पुर्तगाल के बीच सामान्य संबंध	Normalcy between India and Portugal .	40
552	अभ्रक की खानों के लिये आवास और जल सप्लाई योजनायें	Housing and Water Supply Schemes for Mica Mines . . .	40
553	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 59 वाँ अधिवेशन	59th Session of ILO .	40—41
554	मैसूर की खानों को नया जीवन	New Lease of Life to Mysore Mines . .	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
555	हल्के वाणिज्य वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिये रूस का सहयोग	USSR collaboration for commercial Production of light commercial vehicles . .	42
556	कोयला गैस संयंत्र	Coal Gas Plants . .	42
557	भारत पुर्तगाल संबंध	Indo Portuguese relations	42
558	वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में विषमतायें	Anomalies in implementation of recommendations of Pay Commission . . .	43
559	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को अधिक कार्य	More Work to HAL	43
560	सेन्ट्रल आर्डनेंस डिपुओं में वेतनमान का अधिकतम पा रहे अवर श्रेणी लिपिक	LDCs stagnating on maximum in Central Ordnance Depots .	43—44
561	डाक-तार कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड की सिफारिशों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court judgement regarding Wage Board recommendation for P & T employees . . .	44
562	पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रों की सप्लाई पर लगा प्रतिबंध हटाने का चीन का अनुरोध	Chinese urge for Lifting embargo on U.S. arms supply to Pakistan .	44
563	राजस्थान में धातुओं की खोज	Exploration for Metals in Rajasthan . .	44—45
564	कुत्ते के काटे के नकली टीके	Manufacture of Spurious Dog bite Injections .	45—46
565	मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती फोर्ज प्लांट	Mysore Iron and Steel Ltd., Bhadravati Forge Plant . . .	46
566	इस्पात के उपभोग में कमी का इस्पात उद्योग पर प्रभाव	Impact of cut in steel consumption on Steel Industry . . .	46
567	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की जनवा में होने वाली बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines to Indian Delegation to I.L.O. Meeting at Geneva .	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
568	केरल में स्थापित किए जाने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के स्थान	Places for setting up of Health Centres and Dispensaries in Kerala . . .	47—48
569	केरल में पांचवी योजना में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Kerala in fifth Plan period .	48
570	देश में बनी मिलावटी और घटिया किस्म की औषधियां और दवाइयां	Cases of adulteration and sub-standard drugs and medicines manufactured in the country . . .	49
571	केरल में परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिये स्वयंसेवी महिला संगठन	Voluntary Ladies Organisations for popularising Family Planning in Kerala . .	49—50
572	भिलाई और रूरकेला इस्पात संयत्रों में राज्य सरकारों के शेयर	Shares of State Governments in Bhilai and Rourkela Steel Plants	50
573	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किए गए विदेशी दौरे	Countries visited by Minister of State for External Affairs .	50
574	पाकिस्तान को वार्ता के लिये सहमत करने हेतु की गई कार्यवाही	Steps taken to persuade Pakistan for resumption of talks . .	51
575	वैगन निर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials for Wagon Building Industry . .	51
576	रक्षा कार्यों के लिये पोतों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिये परमाणु प्रक्षेपण (प्रोपल्जन) आरंभ करना	Introduction of Atomic Propulsion for Ships, Warships and Submarines for Defence .	52
577	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के पास हैवी इंजीनियरिंग निगम की देय राशि	HEC dues with Public Sector Industrial Undertakings . .	52—53
578	भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा इस्पात संयत्रों के विस्तार के लिये उपकरणों की सप्लाई	Supply of equipment for expansion of Steel Plants by HEC. .	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
579	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कोयला वितरण में से भ्रष्टाचार समाप्त करने संबंधी अभियान	CMA drive to stamp out corruption in Coal distribution .	54
580	रानीगंज क्षेत्र में कोयला खनन अधिकरण सतर्कता विंग	C.M.A. Vigilance Wing at Raniganj area .	54
581	भारत द्वारा ब्रिटेन में 'निमरोड' नामक समुद्र में गश्त लगाने वाले विमान की खरीद	Purchase of Nimrod Maritime reconnaisance aircraft by India from Britain .	54
582	राज्यों के औषध नियंत्रण संगठनों के कार्यकरण में सुधार	Streamlining of Drug Control Organisation in States ..	55
583	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) द्वारा कोयला खानों का विकास	Development of coal mines by TISCO .	55—56
584	निजी व्यापारियों द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में कोयले के ढेर लगाना	Setting up of coal dumps in Bihar and Uttar Pradesh by Private Dealers . . .	56
585	खानों के मुहानों पर जमा कोयले में आग लगना	Accumulated coal caught fire at Pitheads . . .	56
586	लद्दाख सीमा पर चीन की सेना तथा काश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तान की सेना का जमाव	Concentration of China's Army on Ladakh Border and Pakistan's Army on Kashmir Borders . . .	56—57
587	मिलावट वाले मक्खन और पनीर पर लोकप्रिय मक्खन एवं पनीर ब्रांडों के लेबल लगाया जाना	Affixing of labels of well known brands of Butter and Cheese on Packages of adulterated Butter and Cheese . . .	57
588	स्कूटरों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Scooters . .	57—58
589	हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन में तालाबंदी	Lock out in Hindustan Aluminium Corporation . . .	59

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
590	हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के सम्मेलन	Conference of Littoral Countries of Indian Ocean . . .	59
591	पांचवी योजना के दौरान कपड़ा बनाने संबंधी मशीनों की आवश्यकता	Textile Machinery requirements of Fifth Plan . . .	59—60
592	इस्पात का आयात	Import of Steel .	60
593	बहु-उद्देशीय और चिकित्सा कर्मचारियों का दल तैयार करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal for raising a Corps for Multi-purpose Medi-care workers . .	60—61
594	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कम उत्पादन	Low Production in Durgapur Steel Plant . .	61—62
595	संयुक्त राष्ट्र संघ के हिन्द महासागर संबंधी प्रतिवेदन में संशोधन	Revision of U.N. Report on Indian Ocean .	62
596	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का स्थगन किया जाना	Postponement of Malaria Eradication Programmes . .	62—63
597	पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित वार्ता का स्थगित किया जाना	Suspension of proposed talks by Pakistan .	63
598	ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यालगौरा	Fuel Research Institute, Jealgora . .	63
599	कोयला बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र के कोयला खानों को अपना उत्पादन सीमित करने के लिए कहना	Maharashtra Coal Mines Advised by Coal Board to Restrict Output	64
600	सिल्चर के निकट मेहरपुर में भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of Indian Air Force Plane at Mehrpur near Silchar .	64—65
601	कोयला उत्पादक क्षेत्रों में संचार संबंधी आधार भूत ढांचे का विकास	Development of Communication Infrastructure in Coal Producing Areas .	65
602	चीन के प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये भोज से भारतीय राजनयिक का उठकर चला जाना	Walk out by Indian Diplomat at Banquet Hosted by Chinese Prime Minister .	65

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
603	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना	Workers' participation in Management in HMT . .	65—66
604	फार्म मजूरों तथा कृषि श्रमिकों की मजदूरी को निर्धारित करने के लिये विधान	Legislation to Fix Wages of Farm Labourers and Agricultural Workers .	66
605	रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद् की कार्मिक नीतियों का आत्मनिर्भरता के अनुरूप न होना	Personnel Policies of Defence R & D and CSIR not conductive to self-reliance . .	66
606	माना शिविर के प्रतिनिधियों के साथ भेंट	Meeting with Representatives of Mana Camp . . .	67
607	दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले	Cases Registered under Food Adulteration Act in Delhi . .	67
608	चीन की भारत के प्रति नीति में परिवर्तन	Shift in China's Policy towards India .	68
609	हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट के लिये रूस द्वारा उपकरणों की सप्लाई	Supply ofEquipment by USSR for Heavy Electrical Plant at Hardwar . .	68
610	राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग का कार्य निष्पादन	Post Nationalisation Performance of Coal Industry . .	68—69
611	औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी	Need based Minimum Wage for Industrial and Agricultural Labour . . .	69
612	भारत में इस्पात परियोजना की पूंजी लागत	Capital Cost of Steel Projects in India .	69
613	वर्ष 1973 में बिजली की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों को हुई हानि	Loss suffered by Steel Plants due to Power Shortage during 1973	70
614	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कोक भट्टी बैटरियों का सामान्य कार्यकरण	Normal functioning of Durgapur Steel Plant Coke Oven Batteries . .	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
615	मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भद्रावती द्वारा एलाय एंड हाई कार्बन स्टील वायर राड मिल स्थापित किया जाना	Installation of Alloy and High Carbon Steel Wire Rod Mill by Mysore Iron and Steel Bhadravati Limited .	70—71
616	विजयवाड़ा में कच्चे लोहे की सप्लाई	Pig Iron Supply to Vijayawada . .	71
617	अधिकतम उत्पादन के लिये कोयला खान प्राधिकरण को 225 करोड़ रुपये दिया जाना	225 Crores to Coal Mines Authority to Maximise its Output	71—72
618	कोयला खान आयोजन और डिजाइन संस्थान	Coal Mines Planning and Design Institute . . .	73
619	हाल की रेलवे हड़ताल के दौरान एच०एस० एल० को उत्पादन की हानि	Production Loss to HSL during recent Railway Strike .	73—74
620	दक्षिण भारत में तीन इस्पात कारखानों के निर्माण के चरण	Stages of construction of three Steel Plants in South India . .	74
621	गत दो वर्षों में देश में चेचक के मामलों में वृद्धि	Increase in Small Pox cases in the Country during last two years . .	74—75
622	हड़ताल की अवधि के दौरान मजूरी का भुगतान करने के बारे में राष्ट्रीय मजूरी नीति	National Wage Policy on Payment of Wages during Strike period .	75
623	हिंडाल्को में तालाबंदी समाप्त करना	Lifting of lock out in HINDALCO . .	75—76
624	तालाबंदी के कारण हिंडाल्को में उत्पादन की हानि	Loss of Production due to lock out in HINDALCO . .	76
625	कानपुर के अस्पताल में मिलावटी ग्लूकोज की सप्लाई	Supply of Adulterated Glucose to Hospital of Kanpur . .	76
626	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभ तथा हानि	Profit and loss of Public Sector Undertakings under Ministry of Heavy Industry .	76

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
627	कोलार की सोना खानों में सोने की उत्पादन लागत	Cost of Production of Gold in Kolar Mines .	77
628	कोयला उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए सी०एम०ए०दल का रूस का दौरा	CMA Team to USSR to discuss increased Coal Production .	77—78
629	केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में सैनिक अधिकारियों को मेडिकल सुपरिन्टेनडेंट के रूप में नियुक्त करना	Appointment of Military Officers as Medical Superintendents in Central Government Hospitals . .	78
630	रक्षा सेवाओं में अधिकारियों एवं अन्य रैंकों के कर्मचारियों के वेतन-मान तथा पैंशन	Pay Scales and Pension of Officers and other ranks in Defence Services . .	78—79
631	बीड़ी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी का क्रियान्वयन	Implementation of Minimum Wages for Beedi Workers. .	79
632	खेत मजदूर यूनियन का ज्ञापन	Memorandum by Khet Mazdoor Union .	79—80
633	मैसर्स कुमारढुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट का समाप्त किया जाना	Withdrawal of exemption under Section 17 of E.P.F. Act to M/s. Kumardhubi Engineering Works, Dhanbad . .	80—81
634	बिहार की मैसर्ज पार्श्व प्रोपर्टीज को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्राप्त छूट का वापिस लिया जाना	Withdrawal of exemption under Section 17 of E.P.F. Act to M/s. Parshava Properties in Bihar .	81—82
635	कर्मचारी भविष्य निधि के बिहार स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of Seniority of Staff of the Bihar Regional Office of E.P.F. . . .	82—83
636	बान्दा के निकट भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of I.A.F. Fighter Plane near Banda .	83
637	रामगढ़ में 'ओपन कास्ट कोकिंग कोल माइन'	Open Cast Coking Coal Mine at Ramgarh ·	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
639	हड़तालों और तालाबन्दियों पर रोक	Moratorium on Strikes and Lock outs . .	84
640	हिन्डाल्को के कर्मचारियों द्वारा काम पर लौट आना	Resumption of Duty by H.I.N.D.A.L.C.O. Staff . .	84—85
641	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का सवाई माधोपुर राजस्थान में दूसरा जस्ता पिघलाने का कारखाना	Second Zinc Smelter Plant of Hindustan Zinc Limited at Sawal Madhopur, Rajasthan	85
642	भारत और बंगलादेश के बीच अन्तरित बस्तियों (एनक्लेवस) के प्रवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants from Enclaves exchanged between India and Bangladesh . . .	85—86
644	विशाखापत्तनम जिंक स्मैलटर प्लांट का चालू किया जाना	Commissioning of Vizag Zinc Smelter Plant .	
645	गुजरात को 'रोड-रोलरों' की सप्लाई	Supply of Road Rollers to Gujarat . .	86
646	कृषि श्रमिकों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन	Report of Standing Committee on Agricultural Labour . . .	86
647	जापान से इस्पात का आयात	Steel import from Japan .	87
648	हिमाचल प्रदेश में काजा-समदोह सड़क का निर्माण	Construction of Kaza Samdoh Road in Himachal Pradesh .	87
649	'फासिल' पार्क की स्थापना	Setting up of Fossil Parks . . .	88
650	नई भर्ती नीति के बारे में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रोष प्रकट किया जाना	Protests from Ex-servicemen Re: New Recruitment Policy .	88
651	रेल हड़ताल के अवसर पर इस्पात कारखानों में कोयले के भंडार की स्थिति	Coal Stock Position with Steel Plants during Railway Strike period	88—89

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
652	हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों की सैनिक उपस्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन	U.N. Report on Big Power Military presence in Indian Ocean .	89—90
653	भारत और बंगलादेश के बीच सीमा को युक्तिसंगत बनाना	Border Rationalisation between India and Bangladesh .	90
654	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों/पुनर्बेलन मिलों की छीलन की मांग	Scraps requirements of Public Sector and Private Sector Steel Mills/Rerollers . .	90—91
655	डुबाई गये हुए भारतीय राष्ट्रीकों द्वारा भारतीय पासपोर्ट के लिये अनुरोध	Request for Indian Passports by Indian Nationals who went to Dubai . .	91—92
656	बोनस व्यवस्था का पुनरीक्षण	Revision of Bonus System . .	92
657	65 लाख रुपये या इससे अधिक राशि की अभिदत्त पूंजी वाले कोयला खान मालिक	Coal Mine Owners with subscribed Capital of Rs. 65 lakhs or more	92—93
658	सीमा निर्धारण के बारे में बंगलादेश के साथ समझौता	Understanding with Bangladesh on Border Demarcation . .	93
659	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Coal Mines Provident Fund of Nationalised Coal Mines . .	93
660	समुद्र-तल सीमा के बारे में इन्डोनेशिया के साथ समझौता	Agreement with Indonesia on See head Boundary.	94
661	गंगा नदी के जल के संबंध में भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान तथा सिक्किम का संयुक्त आयोग गठित करने का प्रस्ताव	Proposal for joint Comimission of India, Bangdesh, Nepal, Bhutan and Sikkim on Ganga waters . .	94
662	भारत बंद का प्रभाव	Effect of Bharat Bandh	94

अता:० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
663	हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र (फ्री जोन) बनाना	Indian Ocean as a Free Zone . . .	95
664	हिमालय की सीमावर्ती भूमि में खनिज संसाधनों को निकालना	Exploitation of Mineral resources in Himalayan Borderland .	95
665	बैतूल ज़िला, मध्य प्रदेश के बंगाली शरणार्थियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Bengali Refugees of Betul District, M.P. .	95—96
666	हिन्द महासागर में परमाणु शस्त्रास्त्रों से लैस रूसी तथा अमरीकी युद्धपोतों	Presence of Russian and American Nuclear Warships in Indian Ocean . . .	96
667	ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Tractors . .	96
668	कोयले के मूल्य में वृद्धि से अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव	Impact of Coal price on economy . . .	97
669	लोक सभा के प्रैस दीर्घा में एक प्रैस संवाददाता की मृत्यु के बारे में जांच	Enquiry into death of a Press correspondent in Press Gallery of Lok Sabha . . .	97—98
670	आई० एन० एस० खुकरी पोत को घटिया तेल की सप्लाई	Supply of Sub Standard Oil to INS Khukri .	98
671	परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये कार्यवाही	Steps for safety of Atomic Installation .	98
672	चीन द्वारा किया गया परमाणु भू-विस्फोट	Nuclear ground explosion conducted by China .	98—99
673	भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी साजिश	Pak designs against India . . .	99
674	पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के लिये समय सीमा	Time limit for availing of Rehabilitation Assistance . . .	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
675	नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग्स और कलावती सरन अस्पतालों में फार्मासिस्टों की हड़ताल	Pharmacists strike in Lady Harding and Kalawati Saran Hospitals, New Delhi .	100—101
676	नेशनल फैडरेशन आफ फार्मासिस्टस एसोसियेशन द्वारा सुझाए गए फार्मेसी अधिनियम में संशोधन	Amendment of the Pharmacy Act suggested by National Federation of Pharmacists Associations	101
677	बोकारो स्टील प्लांट की कंस्ट्रक्शन इंजीनीयर्स एसोसियेशन	Construction Engineers' Association of Bokaro Steel Plant . .	101—102
678	इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये संसाधनों का उपयोग करने में स्टील आथारिटी आफ इंडिया लि० की विफलता	Failure of SAIL to utilise resources to increase production of Steel . . .	102—103
679	पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of submarines . . .	104
680	समय-समय पर औषधियों की पड़ताल करना	Periodical checking of Drugs . . .	104
681	गार्डन रीच वर्कशाप में निर्मित भारी जलयानों की लागत	Cost of heavy ships manufactured at Garden Reach Workshop . . .	104—105
682	"वैगन इंडिया" नामक नई कम्पनी	New company "Wagon India" . . .	105—106
683	नकली औषधियों के निर्माण को रोकने के लिये औषधी निरीक्षण-कार्यालय को सुदृढ़ बनाया जाना	Strengthening of Drug Inspectorate to check manufacture of spurious drugs .	106
684	सिक्किम विधान सभा द्वारा निर्मित संविधान का लागू किया जाना	Enforcement of Constitution framed by assembly of Sikkim	106
685	भारत द्वारा शस्त्रों की खरीद	Purchase of arms by India . . .	107
686	केरल में प्राकृतिक संसाधनों की खोज	Exploration of Natural resources in Kerala .	107

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
16 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 तथा 3344 और 28 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5049 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण		Correcting statements to U.S.Q. Nos 3343 and 3344 dt. 16-8-1973 and U.S.Q. No. 5049 dt. 28-3-74 . . .	107—109
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . . .	110—112
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न		Question of Privilege against the Chairman, Central Board of Excise and Customs .	112—117
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना		Constitution (Thirty-Second Amendment) Bill—Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee . .	117
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव		Motion of No-Confidence in the Council of Ministers . .	118—149
	श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra .	118
	श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	118—119
	श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan .	119—121
	श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	121—122
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . . .	123—125
	डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K.R. Varadaraja Rao . . .	125—129
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	129—131
	श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan .	131—136
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	136—138
	श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K.P. Unnikrishnan	138—139
	श्री नूरुल हुडा	Shri Noorul Huda .	139
	श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvati Krishnan . . .	139—140
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	140—144
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	145—148

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुविाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री कृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहाड़गा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हूकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णीसिंह, डॉ० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एम० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णान्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री बी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालकाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गौहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमरनाथ सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भरत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलूर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोआरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चोक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एम० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हींरा लाल (बासबाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री बी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री दी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम्)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सरसा)
दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैराम्बूलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमति रोजा (बम्बई मध्य)

देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नगेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धाटे, श्री जाम्बूमूबंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बर्शा (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम (ढंढका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभूदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मातिकराव (औरगांबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहांडिया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई होओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विख (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धुलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण (चन्द हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल, (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन् (मावलिकारा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधान, श्री के० (नौसरंग पुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह, (भीरबाड़ी)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोर)
बरूआ, श्री वेदव्रद (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बालूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमातारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेर्ठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन श्री के० (अम्बलपूजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द, जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचर्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भाट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरन)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाडा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मु, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्री किशन (सीकर)
मोहन स्वरूप श्री (पीलीभीत)

मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान्)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री, बायलार (चिरयिंकील)
राउत श्री, भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अम्बरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (राम टेक)
रामेशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रार्बटसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राम, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकानाडा)
रिछारिया, डा० गोविंददास (झांसी)
रुद्र प्रतापसिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर० (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायलगूड़ा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन् श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नबादा)
वर्मा श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्म श्री बाल गोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकर श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुछूकोर्टे)
वैंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वैंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वैकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफरत जग श्री (कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगज)
शास्त्री, श्री राजाराम (बाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झूंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर (बहराइच)
शुक्ल श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एम० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेक्सैना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द (ढेकानाल)
सत्यानारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम्)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालसौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन श्री पी० ए० (गोबीच टिट्पलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्रि श्याम, श्रीमति (आवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सज० एम० (मयूरभंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुज्फरपुर)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री शिवनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नलान्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव(गुना)
सिंधिया, श्रीमति बी० आर० (मिंड)
सुदर्शनम्, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम्, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल, सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकारा, श्री इराज्मूद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेठ, श्री इब्राहीम, सुलेमान (ककौजीकांड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सैन, स्त्री रोबिन(आसरसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दर, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सो० एस० (मुक्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वामीनाथ, श्री आर० बी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पा..)
स्वैल, श्री जी० के० (स्वायत्तशासी जिला)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदानापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजौ)
हाजरा, श्री मनोरजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुमर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हूडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० सी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री वसंत साठे
डा० हेनरी आस्टिन
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी
श्री नवल किशोर सिंह
मौलाना इसहाक सम्भली
श्री जगन्नाभ राव जोशी

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
इस्पात और खान मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
संचार मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजनी महिषी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री वी० पी० मोर्य
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन

सिंचाई और विद्युत मंत्री . . .	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री .	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री . . .	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री .	श्री विद्याचरण शुक्ल
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री . .	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविंद नेताम
संचार मत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री . . .	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 जुलाई, 1974 3 श्रावण, 1896 (शक)
Thursday, July 25, 1974/Srawana 3, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के और अधिक विक्रय केन्द्र

*61. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में घड़ियों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए एच० एम० टी० की घड़ियों के बिक्रय केन्द्र अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या सरकार देश में और अधिक बिक्रय केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) इस समय देश के विभिन्न भागों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के 11 बिक्री सह-मरम्मत केन्द्र हैं। इन बिक्री सह-मरम्मत केन्द्रों के अलावा, देश में घड़ियों की बिक्री उपभोक्ता सहकारी थोक बिक्री/विभागीय स्टोरों तथा मिलिट्री कैंटीनों के माध्यम से भी की जाती है। जैसे ही घड़ियों का उत्पादन बढ़ जायेगा, वैसे ही प्रावैस्थावद्ध तरीके से कुछ और नये केन्द्र खोलना संभव हो सकेगा। भविष्य में खोले जाने वाले ऐसे केन्द्रों के स्थल के बारे में निर्णय लेना अभी समय पूर्व है।

Shri Sukhdev Prashad Verma : It has been stated by the hon. Minister that in view of inadequate production more Centres cannot be opened. In view of this may I know if he is aware of the fact that due to inadequate availability of H.M.T. watches, watches are being smuggled from foreign Countries. So whether any steps are being taken to augment the production ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : एच० एम० टी० की क्षमता 6 लाख घड़ियों का वार्षिक उत्पादन करने की है। हम पहले ही 4 लाख घड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं। इस वर्ष यह उत्पादन 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि 1969-70 की अनुमानित 5 लाख घड़ियों की मांग की तुलना में यह उत्पादन फिर भी कम रहेगा। इसलिए गैर सरकारी क्षेत्र के तीन एककों को सम्भवत: दो या तीन वर्षों में 9 लाख घड़ियों का उत्पादन करने का लाइसैंस दिया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1.25 लाख सेटों के लिए मेन स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग तथा शाक-एबजरबर आदि बनाने का विस्तृत कार्यक्रम भी एच० एम० टी० के पास है। इस प्रस्ताव को मेरे मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अब यह लोक विनियोजन ब्यूरो के पास है। अगर इसे स्वीकृति प्राप्त हो गई तो हम राज्य औद्योगिक विकास निगमों के सहयोग से असैम्बली प्लांट लगाने के लिए सहमत हो जायेंगे ताकि देश में घडियों का उत्पादन अधिकाधिक बढ़ाया जा सके। सम्भवत: उसी स्थिति में हमें अपनी वितरण व्यवस्था में अधिक विस्तार करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

Shri Sukhdev Prashad Verma: May I know from hon. Minister the areas where maximum sales contents are there and where Co-operative Sales Contents are located and through how many Centres H.M.T. watches are being sold in the Country. ? Besides factory, may I know if all the prominent cities of the various states in the country are having sales Counters ? Moreover I would also like to know the reasons for lesser production of H.M.T. watches as compared to the installed capacity of factories ?

श्री टी० ए० पाई : हमारे 11 बिक्री एवं मरम्मत केन्द्र हैं। यह नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, एरनाकुलम, कोयमबत्तूर, अहमदाबाद, चण्डीगढ़, श्रीनगर और बंगलौर में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त 250 अन्य उपभोक्ता सहकारी स्टोरों तथा मिलिट्री विभागीय कैंटीनों के माध्यम से एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री की जा रही है। एच० एम० टी० द्वारा अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी तक इसे मेंने स्प्रिंग तथा हेयर स्प्रिंग की आवश्यकताओं के कुछ भाग के लिए विदेशी आयात पर आश्रित रहना पड़ता है। जहां तक हमारी आयात सूची का सम्बन्ध है, उसे तो अन्तिम प्राथमिकता दी गई है । इसीलिए हम अधिकतम उत्पादन कर सकने में सफल नहीं हुए हैं।

Shri Hukam Chand Kachawai: It has been stated by the hon. Minister that 3 units in the private sector have been given licences for the production of 9 lakh watches, I want to know their names ? May I know when H.M.T. production capacity and the licensed capacity of these three units put together will not be sufficient to meet the demand, what steps are being taken to augment production ? May I also know whether Government have received certain complaints to the effect that H.M.T. watches are sold in the black market ?

श्री टी० ए० पाई : मैसर्ज़ इण्डो-फ्रच टाइम इन्डस्ट्रीज, बम्बई, मसर्ज सोंधी-ट्रेसा इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटिड, बम्बई और मैसर्ज़ हैगड़े एण्ड गोलास प्राइवेट लिमिटिड, बंगलौर, इन तीनों फर्मों को देश में इकट्ठे 9 लाख घड़ियों का उत्पादन करने के लिए पंजीकृत किया गया है। म समझता हूं कि घड़ियों के धन्धे में कालाबाजार चल रहा है क्योंकि देश में हो रह उत्पादन की तलना में मांग कहीं अधिक है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: What steps are being taken by the Government to meet the demand of 60 lakhs ?

श्री टी० ए० पाई : तीन फर्मों को 9 लाख घड़ियों का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जा चुका है। जब एच० एम० टी० अपने 8 लाख के अधिकतम उत्पादन तक पहुंच जायेगी तो तीन या चार वर्षों में हमारा उत्पादन 17 लाख घड़ियों का हो जायेगा। मैं यह मानता हूं कि उस समय तक हमारी 5 लाख घड़ियों की वर्तमान वार्षिक मांग में भी वृद्धि हो जायेगी। जब तक हम देश में ही मुख्य पुर्जों का उत्पादन आरम्भ नहीं कर देते तब तक हम केवल उनके आयात के लिए विदेशों पर ही निर्भर रह कर, अपना उत्पादन बढ़ाने में सफल नहीं हो सकते।

Shri R.P. Yadev: May I know if Government is aware that large scale black marketing is going on in Delhi Sales Centre ? I can say so on the basis of my personal experience when my representative was refused a watch but the same was given to another man after getting some hush money ? May I know if Government will check it and the stock position of that Sales Counter will be displayed so that people can know which make is available and which is not

श्री टी० ए० पाई : अगर स्टाक सूची टांगने की बात है, तो मैं उसे टंगवाने की कोशिश करुंगा। परन्तु मुझे इस बात की जानकारी है कि लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक घड़ी लेते हैं और फिर 10 या 20 रुपये लाभ उठाकर उसे बेच देते हैं। परन्तु मेरी यह समझ नहीं आता कि इसे किस प्रकार रोका जा सकता है ?

श्री बी० वी० नायक : जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन का सम्बन्ध है, वह चाहे इस्पात का हो या घड़ियों का उसके बारे में योजना आयोग तथा सम्बद्ध इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय दोनों का निष्कर्ष है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन तथा मांग के सन्दर्भ में उनके मूल्यों का निर्धारण फिर से किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकारी क्षेत्र के वर्तमान काले बाजार को रोक सकने में वह असमर्थ है अतः इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य वस्तुओं की तरह ही, उनके मंत्रालय द्वारा भी घड़ियों के मूल्यों का पुर्नरीक्षण किया जा रहा है या नहीं ?

श्री टी० ए० पाई : अभी हमने घड़ियों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। इनका सुझाव स्पष्ट रूप से मूल्य-वृद्धि का ही है। जब मांग ही इतनी अधिक है तो आप इसे काले बाजार से रोक नहीं सकते। परन्तु बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए, हम इससे कुछ अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तथा इनके सुझाव पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri : It has been stated by the hon. Minister that Sale Counters have been opened and watches are also being sold through Consumer Co-operative Stores. A similar Consumer Co-operative Store is at Patna also. But mostly people do not get watches there and in case they do get, then get after paying some additional money. May I know the steps being taken by Government to relieve the people of this hardship and check profiteering ?

H.M.T. watches are very popular in India. It is also in the air that H.M.T. has decided to stop production of its Janta H.M.T. watch which it started in the beginning. If so, the reasons for this decision ?

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य महोदय की यह धारणा ठीक नहीं है कि हम 'जनता' घड़ी का उत्पादन बन्द कर रहे हैं। हमने आटोमेटिक घड़ियों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है जिनका मूल्य, इनकी तुलना में काफी अधिक है। इनका उत्पादन लगभग 2 लाख का हो रहा है। परन्तु जनता घड़ियों का उत्पादन होता ही रहेगा। लगभग 3,60,000 घड़ियों का उत्पादन बंगलौर में तथा लगभग 3 लाख का उत्पादन कश्मीर में होता रहेगा। पटना स्टोर के बारे में उन्होंने जो शिकायत की है, मैं निश्चय ही उसकी जांच करुंगा और यदि वर्तमान वितरण व्यवस्था में कोई सुधार सम्भव हुआ, तो उसे भी किया जायेगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मंत्री महोदय ने बताया है कि एच० एम० टी० की घड़ियों को उनके निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। माननीय सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पटना उपभोक्ता सहकारी स्टोर की बात कही गई है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि इन सहकारी समितियों द्वारा घड़ियों को निर्धारित मूल्यों पर नहीं बेचा जाता, क्या मंत्री महोदय सभी स्थानों पर सरकारी दुकानें खुलवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि ऐसी एजेंन्सियों के माध्यम से घड़ियों की बिक्री बन्द की जा सके ?

श्री टी० ए० पाई : यदि हमारे पास बेचने के लिए काफी मात्रा में घड़ियां होतीं तो हमने अपनी दुकानें खोल दी होती और अपनी वितरण व्यवस्था में भी विस्तार कर लिया होता। जहां तक घड़ियों की बिक्री के कार्य में लगी सहकारी समितियों का सम्बन्ध है, उनमें यदि कोई त्रुटि है तो मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयास करुंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please have a look on your watch also while discussing the H.M.T. watches. Fifteen Minutes have passed.

Mr. Speaker : I am grateful to you for reminding me of time.

Shri Hukam Chand Kachwai : This question may be discussed for the entire one hour.

Mr. Speaker : I wanted to observe how long you people continue if I do not intervene.

श्री नुरूल हुडा : मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारे देश में घड़ियों का उत्पादन इसलिए कम है कि हम कुछ महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण देश में कर सकने में असमर्थ हैं। यदि यह ठीक है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हम इन पुर्जों के लिए किन देशों पर आश्रित हैं और किन देशों से इन का आयात किया जाता है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उन महत्वपूर्ण पुर्जों का निर्माण देश में ही आरम्भ करने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री टी० ए० पाई : इस समय केवल 6 प्रतिशत पुर्जों का आयात किया जा रहा है और केवल उससे विदेशी मुद्रा पर काफी प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में आत्म निर्भरता होने के लिए ही तो हम बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ करने जा रहे हैं। केवल एच० एम० टी० ही भारी उद्योग मंत्रालय की अन्तर्गत आता है जहां तक घड़ी उद्योग का सम्बन्ध है वह तो औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

Shri Janeshwar Mishra : The hon. Minister has stated just now that production of watches is less as compared to their demand. May I know if it is a fact that to boost the sale of foreign watches in the country, H.M.T. its officers and some people of his Ministry are keeping the H.M.T. production low ?

Mr. Speaker : I thought as if you were going to ask something very vital.

कुछ सदस्य **उठ खड़े हुए**. . . .

अध्यक्ष महोदय : दो या तीन पूरक प्रश्न पूछ लेने के बाद सदस्यों को और अधिक प्रश्न पूछने के लिए खड़े नहीं होना चाहिये। अन्य संसदों में ऐसी ही परम्परा रहती है और यह परम्परा यहां भी अपनाई जानी चाहिये।

अगला प्रश्न।

भारत के साथ सबंद्ध होने की सिक्किम की जनता की मांग

***62. श्री एस० सी० सामन्त**
श्री कुशोवाकुला } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के साथ संबद्ध होने, यहां तक कि भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सिक्किम जनता की इच्छा के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी इच्छा अथवा मांग अधिकृत रुप से प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) 4 जुलाई 1974 को लागू हुए सिक्किम सरकार अधिनियम 1974 के अध्याय 6 में सिक्किम सरकार को भारत के साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस अधिनियम में सिक्किम सरकार के लिए 'सिक्किम की जनता के लिए भारत की राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की भी व्यवस्था है।

इस मामले में सिक्किम सरकार ने भारत सरकार से अभी तक कुछ नहीं कहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सिक्किम विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य दल की गत भारत यात्रा के दौरान इस प्रकार की कोई इच्छा व्यक्त की गई थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : सिक्किम विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिल्ली का दौरा नहीं किया गया था तथा अन्य बातों के अतिरिक्त उन्होंने सिक्किम अधिनियम की उस व्यवस्था के बारे भी बातचीत की जिसका उल्लेख मैं अपने उत्तर में कर चुका हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : सिक्किम में लोकतन्त्रीय प्रणाली को सफल बनाने के लिए इस समय हमारी सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं और जन तथा धन की दृष्टि से इसमें हमारा योगदान क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : सभा निःसन्देह इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि सिक्किम ने एक संविधान स्वीकार किया है। वहां चुनाव हो गये हैं और एक नया मंत्रिमंडल बना दिया गया है और मुझे आशा है कि यह सभा वहां की विधान सभा तथा लोकतन्त्रीय संस्थाओं की पूर्ण सफलता की कामना करती है।

जहां तक सिक्किम के विकास के बारे में हमारे बचनबद्ध होने का प्रश्न है, उसके बारे मुझे यही कहना है कि हम उनकी योजनाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से भाग ले रहे हैं। सत्य तो यह है कि सिक्किम के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था भारत के बजट में से ही की गई है।

सिक्किम के विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है तथा सिक्किम के प्रत्याशियों को भारत सरकार तथा यहां तक कि राज्य सरकारों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीय नागरिकों के ही समान अवसर दिये जाते हैं। अतः इस प्रकार सिक्किम के लोगों का भारत के साथ निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी उनकी सफलता की कामना करते हैं। इन्होंने भी उनकी सफलता की कामना की है और मैं, आप सब की ओर से उनकी सफलता की कामना करता हूं और साथ ही उनके अध्यक्ष की सफलता की भी कामना करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप को यह कामना भी करनी चाहिये कि उनके सदस्य भी इतने ही सतर्क हों, जितने कि हम लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय : और वह इतने गैर-जिम्मेदार भी न हो जितने कि आप लोग कभी कभी हो जाते हैं।

श्री कृष्ण चन्द हालदर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार सिक्किम के प्रतिनिधि हमारी संसद में आ सकते हों और यदि उनकी विधानसभा चाहे तो वह उन्हें हमारी संसद में भेज सके।

श्री स्वर्ण सिंह : यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार सिक्किम सरकार और वहां के लोग भारत के राजनीतिक संस्थानों में भाग ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव आने पर, हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न यह है कि क्या हमारे संविधान के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि आप ने भी संविधान उतना ही पढ़ा हुआ है जितना कि मैंने पढ़ा हुआ है, तथा अभी उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और अगर कभी इस प्रकार की कोई मांग हमारे पास आती है तो उसी समय हमारे संसद को यह निर्णय करना होगा कि हमें क्या करना है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने की सिक्किम के लोगों की भावना बड़ी प्रबल है और क्या उन्हें चीन के जनवादी गणतन्त्र के उस तीव्र प्रचार की भी जानकारी है जिसके अनुसार भारत को विस्तारवादी कहा गया है और यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह नहीं कहूंगा कि चीन की ओर से कोई ऐसा विशैला प्रचार किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी समाचार माध्यमों तथा कुछ समाचारों में, अन्य देशों के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, परन्तु अब पिछले कुछ समय से तो यह भी नहीं हो रहा है। हमें इस ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब हमें अगला प्रश्न लेना चाहिये।

श्री एच० एम० पटेल : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस नये संविधान के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दायित्व या भूमिका क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : संविधान एक प्रकाशित दस्तावेज़ है और मैं इसकी एक प्रति माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध करवा दूंगा। सदस्य महोदय एक अनुभवी प्रशासक तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है तथा जब वह उसका अध्ययन कर लेंगें तो उसके बाद हम दोनों इस विषय पर बातचीत कर लेंगें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार मे आपको यह उत्तर स्वीकार्य होना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से श्री ज्योतिर्मय बसु के तर्क की पुष्टि होती है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अलावा कोई उत्तर नहीं है।

श्री समर गुह : क़ाज़ी लेंडोफ के नेतृत्व में वे जनता की प्रभुसत्ता तथा प्रजातान्त्रिक ढांचे के विकास के लिए लड़े और सफल हुए। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री जो भी आप कहना चाहें, ने वहां जनता के बारे में चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि वहां निर्धन जनता की उपेक्षा की जा रही है। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मतलब की बात क्यों कह रहे हैं ?

श्री समर गुह : मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या सरकार सिक्किम को जुताई, सिंचाई, खनिज संसाधनों के लिए उदार तथा वित्तीय सहायता देगी और भारतीय सेना में सिक्किम के लोगों को भर्ती करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है। हम पहले ही इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तानी हस्तक्षेप

* 63. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित श्री भुट्टो की हाल की उन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है जो न केवल शिमला समझौते के विरुद्ध है अपितु भारत के आन्तरिक मामलों में जिनसे हस्तक्षेप भी होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस प्रकार की टिप्पणियों के प्रति विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हमने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री तथा अन्य सरकारी नेताओं की टिप्पणी पर जबर्दस्त आपत्ति की है जो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने के समान है तथा शिमला समझौते का उल्लंघन भी है। पाकिस्तान के रक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री को 15 जून के अपने पत्र में मैंने भारत की अंदरूनी स्थिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी का उल्लेख किया है ।

Shri Shri kishan Modi : Mr. Speakar, Sir, I would like to know from the hon. Minister the clauses of Simla Agreement which have been violated by the remarks of Mr. Bhutto on different occasions, and whether Consolidated Protest letter has been sent or various notes have been sent from time to time and replies were given by them ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा है । इसलिए प्रश्न काल में इसका उत्तर देना संभव नहीं है । मैं इतना ही बताना चाहता हूं जब भी शिमला समझौते का उल्लंघन होता है हम पाकिस्तान को पत्र, टिप्पणियां आदि भेजकर कार्यवाही करते है । इनकी संख्या बताना इस समय कठिन है ।

Shri Shri kishan Modi: What are the main features of your communication dated 15th June ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि सदस्य की इसमें रुचि है तो मैं उसकी प्रति उनको दिखा दूंगा ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री भुट्टो दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत की पेशकश में रोड़े अटकाना चाहते हैं और जानबूझकर हमारे आन्तरिक और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, सरकार ने पाकिस्तान द्वारा विदेशों में भारत-विरोधी अभियान शुरू करने के जवाब में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री भुट्टो द्वारा समय समय पर चलाए गए भारत-विरोधी अभियान से हमारे विचार में कोई प्रभावित नहीं हुआ है । किसी देश को आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है । बढ़िया तरीका तो यह होगा कि शिमला समझौते का पालन करें और क्रियान्वयन की स्थितियां बनाएं । पाकिस्तान को भी चाहिए कि वह शिमला समझौते का पालन करे ताकि दोनों देशों के बीच सभी समस्याओं को शांतिपुर्ण तथा द्विपक्षीय आधार पर हल किया जा सके । किसी अन्य देश को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहना हमारे लिए हितकर नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय प्रश्नों के उत्तर दे रहे हों तो अन्य सदस्यों के खड़े रहने का क्या अर्थ है ? ऐसा नहीं होना चाहिये ।

Shri Jharkhande Rai : Will the hon. Minister state how the attitude of Mr. Bhutto has suddenly changed after the recent successful agreement between India-Bangladesh-Pakistan? What information the Goverument of India have in this regard ?

Shri Swaran Singh : I concede that his attitude has charged. But I do not find any reason for the same. I think there is no reason for this.

Shri Nawal Kishore Sharma: Internal situation in Pakistan is deteriorating day by day and there is possibility of its disintegration. May I know whether Mr. Bhutto has adopted this new attitude in order to control the situation? What is his opinion in this regard ?

Mr. Speaker : What is your opinion ?

Shri Nawal Kishore Sharma : I have given my opinion, but I would like to know his opinion.

Shri Swaran Singh: He has given his opinion. It would not be proper for me to give my opinion. But it seems that he wants to divert the attention of his people from deteriorating internal conditions of Pakistan to anti-India campaign.

श्री एम० रामगोपाल रेडडी: श्री भुट्टो तब तक समझौते का पालन करेंगे जब तक उनके देश के हित सिद्ध नहीं हो जाते और जब भी उनका हित सिद्ध हो जाएगा वह समझौते की कोई परवाह नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में उनके साथ बातचीत करने और उनकी मांगों के आगे घुटने न टेकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? हम उनकी मागों को एक-एक करके स्वीकार क्यों करते जा रहे हैं ? हमने उनके देश के लोगों को वापिस क्यों किया और उनको भूमि क्यों लौटा रहे हैं जबकि वह देश बदल में हमें कुछ नहीं दे रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं, सुझाव है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it not a fact that the object of Pakistan behind Simla and Delhi agreements is to get back her territory and release of Pakistani P.O.Ws. Now when its objects have been achieved, she has changed her attitude. May I know whether implementation of Simla Agreement will be unilateral and Pakistan would continue to violate the agreement ?

श्री स्वर्ण सिंह : द्विपक्षीय समझौते का पालन दोनों पक्षों को करना होता है। हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित है कि द्विपक्षीय समझौते का प्रभावी कार्यान्वयन हो। हम इस दिशा में अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। इस समय मैं इतना बता सकता हूं कि शिमला समझौते का आंशिक क्रियान्वयन हो चुका है और इसके लिए दोनों देशों का सहयोग मिला है। शिमला समझौते के शेष भाग को क्रियान्वित किए जाने के लिए आगे कार्यवाही अभी की जानी है और भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसरण में पाकिस्तान में सरकारी स्तर पर एक बैठक होनी है। यह बैठक स्थगित कर दी गई है। क्रियान्वयन में कुछ रुकावटें अवश्य आई हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों पक्षों ने शिमला समझौते का परित्याग कर दिया है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए कहें ताकि शिमला समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन हो सके।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या हाल ही में श्री भुट्टो ने कहा है कि यदि रणजीत सिंह जैसा सिख काबुल को विजय कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता। और यदि हां, तो क्या इस अजीबो-गरीब कल्पना द्वारा वह भारत-भूमि पर कब्जा करने की बात कहते हैं क्योंकि औरंगजेब ने कभी भारत पर शासन किया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अखबारों नें प्रधानमंत्री भुट्टो द्वारा दिए गए वक्तव्य को देखा है और निश्चित रूप से यह अन्यायपूर्ण है । उनका यह कथन कि वह काबुल में पाकिस्तान का झंडा लहरायेंगे, हास्यास्पद है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करना नहीं चाहते ।

स्पष्टतया, यदि यह कथित वक्तव्य सही है तो प्रधान मंत्री भुट्टो के, पश्चिम में स्थित अपने पड़ोसी अर्थात् अफ़गानिस्तान जिसके साथ यह सभा खूब जानती है कि हमारे बहुत ही अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंध हैं, के विरुद्ध इस प्रकार के आक्रामक रवैये का कड़ा विरोध होगा और हमारी सहानुभूति पूरी तरह अफ़गानिस्तान के साथ होगी ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने शिमला सन्धि की केवल उन्हीं समस्याओं को कार्य रूप दिया है जो कि उसके अपने हित में थीं जबकि उसने करार की उन बातों पर अमल करने से इन्कार कर दिया है, जिससे भारत को लाभ पहुंचता था ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें उस स्थिति को दिमाग में रखना है जो कि पाकिस्तानी हमले के फल-स्वरूप हुए भारत-पाक युद्ध के पशचत् उत्पन्न हुई । वह परिस्थिति ऐसी थी जिसमें वह हमें कुछ नहीं दे सकते थे क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय सेना विजयी हुई थी, आगे बढ़ी थी, और इसीलिए . . . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : छम्ब का क्या हुआ ? हम छम्ब मांग सकते थे ।

श्री स्वर्ण सिंह : परन्तु इस समय तो यह प्रश्न नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रश्न अलग कैसे हैं ? उन्होंने पाकिस्तान को अधिक क्षेत्र दे दिया और अब कहते हैं कि पाकिस्तान के पास देने को क्या था ?

श्री स्वर्ण सिंह : काश्मीर के बारे में करार यह है कि इस संघर्ष के फलस्वरुप जो भी वास्तविक नियंत्रण रेखा बनी वह वही रहेगी और उस पर निशान भी लगाये जा चुके हैं, और समझौते के अनुसार दोनों पक्ष इसका सम्मान भी करेंगे । यह बात मेरे विचार से हमारे राष्ट्रीय हित में है ।

यह करार दोनों देशों के परस्पर हितों पर आधारित है । यह करार शांति स्थापना के लिये हैं और हम शांति चाहते हैं तथा स्थायी शांति चाहते हैं, पाकिस्तान को भी यही इच्छा करनी चाहिये । इस उपमहाद्वीप में जो भी परिस्थितियां पैदा हुई उस संदर्भ में हमें उसी भावना को लेकर समस्या का अवलोकन करना चाहिये न कि इस दृष्टिकोण से कि किस देश को क्या मिला क्या नहीं मिला । हमें यह देखना है कि क्या यह करार इस तरह का है कि स्थायी शांति का हमारा लक्ष्य पूरा करता है, यह मुख्य भावना इस शिमला करार का सूत्र है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान द्वारा शिमला संधि के उल्लंघन संम्बधी भारत के विरोध-पत्रों का उत्तर देती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : शायद माननीय सदस्य उस समय यहां उपस्थित नहीं थे जबकि इसी प्रकार के एक प्रश्न का पहले उत्तर दिया गया था। मैं कह चुका हूं कि जब भी उल्लंघन हुआ है हमने पाकिस्तान को लिखा है। विशेष रूप से शिमला संधि के गंभीर उल्लंघनों के बारे में लिखा है। हमने अपने पत्र स्विस दूतावास के माध्यम से भेजे हैं। मैंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्री को भी पत्र लिखे हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मेरा प्रश्न यह था कि क्या पाकिस्तान सरकार ने उस विरोध पर ध्यान दिया है ? यदि हां, तो किस रूप में, यदि नहीं, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें पाकिस्तान सरकार से अपने नोटों तथा पत्रों के उत्तर मिलते रहे हैं। कई बार वे उत्तर सन्तोषजनक थे तो कई बार टाल-मटोल वाले थे।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : समय समय पर तथा अभी हाल ही में भी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू व काश्मीर राज्य के बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या हमने किसी सम्मेलन में या किसी पत्र में श्री भुट्टो को यह समझाया है कि उन्हें पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरी क्षेत्र से अपना कब्जा हटा लेना चाहिये और उस क्षेत्र में किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा अन्य तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : हमनें बातचीत के दौरान तथा अपने सार्वजनिक वक्तब्यों में भी भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जम्मू व काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसलिये प्रधान मंत्री भुट्टो को ऐसी कोई बात कहने से बचना चाहिये जिसका अभिप्राय भारत के अन्दरूनी मामलों में दखल देना होता है। यह कहते हुए हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है क्योंकि शिमला संधि में एक खण्ड है जिसमें भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि काश्मीर के प्रश्न पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा भी होगी और एक अन्तिम हल निकाल लिया जायेगा। हमें हमेशा यह बात दिमाग में रखनी चाहिये। जम्मू व काश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और इसीलिये काश्मीर के बारे में अन्तिम निर्णय होने में पाकिस्तान भी इसमें एक पार्टी होगा।

श्री जी० विश्वानाथन् : प्रधान मंत्री भुट्टो अभी हाल ही में यह कहते रहे हैं कि भारत का परमाणु विस्फोट शिमला करार की भावना के विरुद्ध है और इससे उनके देश की सुरक्षा को खतरा है। इस भय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? दूसरा, क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि प्रधान मंत्री भुट्टो ने अफ़गानिस्तान के साथ भी शिमला समझौते जैसे करार का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि प्रधान मंत्री श्री भुट्टो और अन्य पाकिस्तानी नेता भारत द्वारा शांतिप्रिय उद्देश्यों के लिये किये गये आणविक विस्फोट की आलोचना कर रहे हैं लेकिन मेरे ध्यान में कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आ रहा है जिसमें कि उन्होंने कहा हो कि यह शिमला समझौते की भावना के विपरीत है। मेरे विचार में माननीय सदस्य का ध्यान उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा आणविक विस्फोट से शिमला समझौते के अनुरूप संबंधों को सामान्य बनाने की प्रतिक्रिया तथा उसकी जो आंशिक क्रियान्विनि हुई है उसको धक्का पहुंचा है। हमारी

प्रधान मंत्री ने उनके इस तर्क को निराधार बताया है और हमने इसे अस्वीकार किया है हमारे द्वारा शांतिप्रिय उद्देश्यों के लिए किए गए आणविक परीक्षण से पाकिस्तान को किसी किस्म का खतरा नहीं और यदि वह काल्पनिक ढंग से इस आणविक विस्फोट परीक्षण की आड़ लेकर संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को धीमा करना चाहता है तो यह वास्तव में उनके हित में नहीं है और पूर्णतया असंगत है । हमारी प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री श्री भुट्टो को लिखा है कि यह विस्फोट शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और भारत की इस तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धि का उद्देश्य परमाण हथियार बनाना नहीं है इस विषय पर पूरी-पूरी व्याख्या कर दी गई है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपसी मामला है । हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए ।

वाणिज्यिक वाहनों के रूप में मोटर गाड़ियों का पंजीकरण

*64. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ये निदेश दिये हैं कि यदि अम्बैसेडर, फिएट और स्टैण्डर्ड मोटर-गाड़ियों को निजी प्रयोग में न लाया जाय, तो उन्हें वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत किया जाय ; और

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें स्वत: ही ऐसा कर रही हैं या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि उन्हें निजी वाहनों के रूप में ही चलाने की अनुमति दी जाय ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : कार निर्माताओं को अपने चेसिस उत्पादन का कुछ भाग ड्राइव अवे चेसिसों का निर्माण करने हेतु जो वाणिज्यिक गाड़ियों के रूप में बदली तथा इस्तेमाल होगी, पृथक रखने की अनुमति दी गई है । अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि जहां मोटर कार नियंत्रक द्वारा उनका पंजीकरण स्टेशन बैगनों के रूप में करने की अनुमति दी गई हो उन्हें छोड़कर ड्राइव अवे चैसिसों पर बनाई गई गाड़ियां वाणिज्यिक गाड़ियों के रूप में पंजीकृत की जानी चाहिए ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारें स्वत: ऐसा कर रही हैं अथवा भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार ऐसा किया जा रहा है ? वाणिज्यिक वाहनों और अन्य वाहनों की प्रतिशतता क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जब 20 प्रतिशत निर्मित कारों को कमर्शल चेसिस के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी तो ऐसा मुख्यत: उन्हें वाणिज्यिक वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से ही किया गया था । जब तक उनका पंजीकरण वाणिज्यिक वाहनों के रूप में किया जाता है, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं होती । हमने तभी हस्तक्षेप किया जब हमें पता चला कि चेसिस बेचे जा रहे हैं तथा उन्हें निजी वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । हम निजी वाहनों के रूप में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहते थे इसीलिये हमें उनके वितरण को नियंत्रण में लेना पड़ा । किन्तु जब हमें पता चला कि कुछ लोग इन्हें स्टेशन-वैगनों के रूप में

तथा सरकारी/सरकारी क्षेत्र के निकाय परिवहन कार्यों हेतु प्रयोग में लाना चाहते हैं और कुछ उद्योग, पैट्रोल की कमी को दृष्टि में रखते हुए डीज़ल में परिवर्तित करना चाहते हैं तब हमने कहा कि हम इस बात की जांच करने को तैयार हैं और उन्हें कारों के रूप में चलाने की भी अनुमति दे देंगे ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या इन वाहनों को डीजल में परिवर्तित कर जन-साधारण को देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री टी० ए० पाई : कुछ लोग उपलब्ध डीज़ल इन्जनों के साथ परीक्षण कर रहे हैं । हम भी यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनमें से कुछ चेसिस डीज़ल की सहायता से चलाये जा सकते हैं या नहीं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय ने अभी चेसिस के गलत उपयोत तथा उसके संबंध में हो रहे कदाचारों का उल्लेख किया है जिसके कारण उन्हें, अपने आदेशों और रवैये को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह गुण नियंत्रण (Quality Control) के लिए क्या उपाय करने जा रहे हैं । क्योंकि अच्छे किस्म के पुर्जे न लगाए जाने के कारण वाहनों की स्थिति दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है । मंत्री महोदय, आप भारतीय वाहन का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं ? यदि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें काफी मात्रा में टीन लगा है और कीमतें दित प्रतिदिन बढ़ रही हैं अत: मेरा अनुरोध है कि चाहे वाहनों को वाणिज्यिक वाहनों के रुप में पंजीकृत किया गया हो या निजी वाहनों के रूप में वाहन का गुण में अच्छा होना बहुत जरूरी है । आज गाड़ियों के लिए हम जो कीमत अदा कर रहे हैं उतनी कीमत से विदेशों में इससे एक दर्जन गाड़ियां इससे बढ़िया किस्म की खरीद सकते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण और रवैये से गुण नियंत्रण के लिए कड़े उपाय अपनायेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : हमने अधिकांश पुर्जों को भारतीय मानक संस्थान के नियंत्रणाधीन ले लिया है । हमने यह आदेश दिया है कि गाड़ी तैयार करने के बाद उसे परीक्षण हेतु भेजा जाए ताकि हम इन गाड़ियों के कार्यकरण की निरंतर जांच कर सकें विशेषकर उन पुर्जों के काम के जो कि बाद में तकलीफ देते हैं । कुछ विशेष पुर्जों के बारे में भी हमें जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं हमनें उनकी जांच की है । यदि माननीय सदस्य को वाहनों के संबंध में कोई खास शिकायत है तो वह मुझे बतायें मैं उसकी जांच करूंगा क्योंकि किसी भी वाहन में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है । मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि देश में उपलब्ध होने वाले कच्चे माल से उत्तम कोटि की गाड़ियों का निर्माण हो ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has said that Government has allowed the manufacturers of these vehicles to convert some of these into commercial vehicles whereas the state transport is suffering losses. In U.P. particularly, because of the introduction of mini buses, people have stopped using the state roadways. The state transport is incurring loss on this account. Is the hon. Minister aware of it ? If so, will this matter be re-considered ?

श्री टी० ए० पाई : राज्य में चल रही मिनी बसें राज्य परिवहन के परिवहन प्रयासों की पूर्ति कर रही है। यदि राज्य परिवहन को किसी अन्य प्रकार के वाहनों के चलाए जाने पर एतराज है तो वह रोक सकते हैं।

पाकिस्तान के साथ वार्ता पुनः आरम्भ करना

*67 **श्री अनादि चरण दास**
श्री एम० एस० पुरती } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के परमाणु विस्फोट के बारे में गलतबयानी करके उप-महाद्वीप में संबंधों को सामान्य बनाने के मार्ग में नई बाधाएं पैदा कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो डाक, दूर संचार सम्पर्क और यात्रा सुविधाओं के बारे में बातचीत पुनः आरम्भ करने के मार्ग में यह बात कहां तक बाधक सिद्ध हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने एकपक्षीय रूप से 10 जून की बैठक को स्थगित कर दिया था जिसे शिमला समझौते के अधीन डाक-तार, दूर संचार संबंधों तथा यात्रा को पुनः चालू करने के संबंध में विचार विमर्श करना था। पाकिस्तान का यह बहाना कि भारत के शांतिमय परमाणु परीक्षण ने वातावरण को दूषित कर दिया है और इसलिए वार्ता शुरु करने से पहले किसी आश्वासन या गारंटी की आवश्यकता है—तर्कसंगत नहीं है। भारत ने शिमला समझौते का पालन बराबर उसकी भावनाओं के अनुरूप किया है और समझौते में ही सभी आवश्यक आश्वासन निहित हैं। इसलिए अब यह पाकिस्तान के ऊपर है कि वह समझे कि सामान्य बनाने वाले उपायों का अमल उसके अपने हित में है।

Shri M.S. Purti : I want to know whether Pakistan has been overawed by the nuclear explosion or whether she is intentionally making it an excuse for resiling from the Simla Agreement ? If Pakistan is inclined to be hostile towards India what will be our attitude ?

Shri Surendra Pal Singh : Pakistani allegation against us is that the nuclear explosion has created a situation wherein further talks .....

अध्यक्ष : मंत्री महोदय द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। अगला प्रश्न।

पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञ द्वारा भारत का दौरा

*68. **श्री शक्ति कुमार सरकार**
श्री कुमार माझी } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सहायता देने के लिये पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने किन क्षेत्रों के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता मांगी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्रालय ने जर्मन संघीय गणराज्य से कोई तकनीकी सहायता नहीं मांगी है। लेकिन भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों ने कृषि, टैलिविजन, लघु उद्योग, तकनीकी शिक्षा, निर्यात संवर्धन, छापेखाने और औज़ार कक्ष, तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में ऐसा किया है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हाल में कुल कितने विशेषज्ञों ने भारत का दौरा किया, उनके नाम क्या हैं और वह किन-किन विषयों के विशेषज्ञ हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मेरे पास उन सब विशेषज्ञों के नाम नहीं हैं जिन्होने हाल ही में भारत का दौरा किया था किन्तु 1 जुलाई 1974 तक भारत में 53 तकनीशियन थे।

श्री कुमार मांझी : राजस्थान मरुस्थल में भारत द्वारा भूमिगत आणविक विस्फोट के परीक्षण से लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया है कि भारत सरकार को इसकी तकनीकी जानकारी भी है किन्तु विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेशों से मांगी गई तकनीकी सहायता को विदेश मंत्रालय कैसे न्यायचित ठहरा सकता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : देश में तकनीकी जानकारी का स्तर काफी ऊंचा है फिर भी कुछ क्षेत्रों में अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है ऐसा हम उस अन्तर को दूर करने के लिए करते हैं जो हमारे पास है और जिसकी हमें आवश्यकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

जैसप एण्ड कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध शिकायत

*65. **हाजी लुतपल हक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को जैसप एण्ड कम्पनी के प्रशासन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) हाल ही में जैसप एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध के विरुद्ध लेखे सम्बन्धी गोल-माल और पक्षपात आदि के कुछ आरोप लगाये गये थे। इनकी पूर्ण रूप से जांच कर ली गई है, और ये निराधार सिद्ध हुए हैं।

कोयला खान कर्मचारियों की भूतपूर्व कोयला खान मालिकों पर बकाया राशि

*66. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कर्मचारियों की कोयला खान मालिकों पर बकाया राशि को वसूल करने तथा उसे कर्मचारियों को अदा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि मजदूरों की बकाया राशि को भूतपूर्व खान-मालिकों को देय राशि में से बरीयता के आधार पर कटौती कर ली जाए। किन्तु बकाया राशि के दावे भुगतान आयुक्त के सामने प्रस्तुत करने होंगे, जिसकी शीघ्र ही नियुक्ति की जा रही है।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

*69. **श्री एच० एम० पटेल**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सियालकोट क्षेत्र में सीमा पर और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सेना के भारी जमाव से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां श्रीमन्।

(ख) हमारी रक्षा संबंधी योजनायें बनाते समय हमारी सीमा के पार हुई उन सभी संबंधित गतिविधियों पर विचार किया जाता है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। सीमा के पार पाकिस्तानी सेना के हाल ही में तैनात किए जाने के प्रति हमारी सशस्त्र सेनाएं सतर्क हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड

*70. **श्री वसंत साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड गठित करने का बहुत समय पूर्व निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कार्यरूप देने हेतु क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड गठित करने के मामले को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अक्टूबर, 1973 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया गया था।

(ख) अध्यक्ष, स्वतंत्र सदस्यों और नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने से संबंधित मामलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। बोर्ड को गठित करने की प्रक्रिया चल रही है।

New System of Steel Distribution

71. Shri M.C. Daga
Shri P. Narasimha Reddy : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether in June, 1974 he had declared that distribution of steel is not taking place properly and a new system will be announced shortly to set it right; and

(b) whether the new system has since been introduced and if so, the main features thereof and how far it is an improvement over the previous system ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K.D. Malaviya) : (a) & (b) The distribution procedure is constantly under review and changes are made as and when necessary. A list of changes proposed to be made is given in the statement laid on the Table of the House.

STATEMENT

1. Allocation of steel by steel Priority Committee would hereafter be on a six-monthly basis ;

2. Despatches from the Main Steel Plants direct will hereafter be made to about 800 major SPC allottees; the balance allottees would be provided steel by SPC through the stockyards of the main producers;

3. The list of direct allottees will be subject to revision from time to time in the light of future demands of old projects and essential demands of new projects/sanctioned industrial units.

4. The list of compact group of industries would be expanded by inclusion of manufacture of buckets, drums, barrels and containers, bolts, nuts, rivets and furnitures. Allocation to these industries will be made on Annual basis.

5. Stipulation for deposit of earnest money while booking indents for steel materials will be dispensed with.

6. Joint Plant Committee will in future screen the indents with reference to past allocations and outstanding orders.

Increase in Coal Prices

***72. Dr. Laxminarayan Pandeya**
Shri S.M. Banerjee : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the prices of coal have been increased by Rs. 10·00 per ton with effect from June, 1974 ; and

(b) the number of times prices of coal have been increased since the nationalisation of coa lmines and the extent of these prices increases ?

The Minister of Steel and Mines (Shri K.D. Malaviya) : (a) Consequent on the consideration of the Report submitted by the Inter-Ministerial Committee set up in January, 1974, the Government of India have agreed to allow the revision of the pit-head prices of different grades of coal with effect from 1-4-1974. The average increase comes to about Rs. 10.00 per tonne.

(b) The prices of coking coal produced by the Bharat Coking Coal Ltd., have been increased three times since nationalisation of coking coal mines on 1-5-1972 and those of coal produced by the Coal Mines Authority Limited have been increased once since nationalisation i.e., 1-5-1973. The extent of price increase varies depending on the grade of coal.

Recommendations of Bonus Review Committee

*73. **Shri Jagannathrao Joshi**
Shri Atal Bihari Vajpayee } : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the main recommedations of the Bonus Review Committee;

(b) the reaction of Government thereto and the action being taken by Government thereon; and

(c) the time by which bonus would be given on a uniform basis in the Railways, Posts and Telegraphs, Defence Production, Road and Air Transport and Shipping and in other public undertakings and at what rate ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) The report of the Committee has not been submitted so far.

(b) and (c) Do not arise.

विद्युत संकट के परिणाम स्वरूप कारखानों के बन्द होने के कारण वर्ष 1972-73 में कर्मचारियों की जबरन छट्टी

*74 **श्री रानेन सेन**
श्री चिरंजीव झा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत संकट के परिणाम स्वरूप कारखानों के बन्द हो जाने के कारण वर्ष 1972-73 में कितने कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की गई है ; और

(ख) क्या जबरन छुट्टी मुआवजे की राशि में वृद्धि करने के लिए सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एक विवरण, जिसमें 1972-73 के दौरान बिजली की कमियों से होने वाली कारखानों की कामबंदियों के कारण जबरी छट्टी पर भेजे गए श्रमिकों के बारे में उपलब्ध सूचना का सार दिया गया है, सदन की मेज पर रख दिया गया है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8038/74)

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम के जवरी छुट्टी संबंधी उपबंधों में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

Visit to India by a Delegation of P.R.G. of/South Vietnam

*75. **Shri Ramavatar Shastri**
Shri Mukhtiar Singh Malik } : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam visited India recently;

(b) whether the said delegation had any talks with him and if so, the main points thereof ; and

(c) whether the delegation had raised the question of recognition of their Government and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. The delegation stopped over in India, after attending the annual Afro-Asian Peace and Solidarity Organisation Conference in Kathmandu last month.

(b) During the Delegation's call on the Foreign Minister, the situation in Vietnam was reviewed.

(c) Yes, Sir. The matter of recognition of the Provisional Revolutionary Government of South Vietnam continues to be under the consideration of the Government.

कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र का चालू किया जाना

*76. **श्री के० मालन्ना**
श्री के० लकप्पा } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) संयंत्र में अनुमानत: कितने इस्पात का उत्पादन होगा और यह संयंत्र कब तक चालू हो जायेगा ;

(ग) ककितनी धनराशि खर्च की गई, क्या संयंत्र को प्रमुख वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी गई थी तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) इस संयंत्र को पांचवी पंच वर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) विजयनगर इस्पात कारखाने का कुल अनुमानित पूंजीगत परिव्यय (1972 के मूल्यों के आधार पर) लगभग 854 करोड़ रुपए है ।

(ख) कारखाने का लगभग 33.5 लाख टन द्रव इस्पात की क्षमता के लिए रूपांकन करने का प्रस्ताव है जिससे 23.10 लाख टन गर्म बेलित स्ट्रिप और 6.55 लाख टन बिलैट तैयार किए जायेंगे। इस कारखाने के छठी पंचवर्षीय योजना में चालू होने की सम्भावना है।

(ग) 1973-74 के अन्त तक इस प्रयोजना पर लगभग 1.44 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। स्टील अथारिटी आफ इण्डिय लि० विस्तृत प्राथोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इस बीच भूमि अर्जन का कार्य और अवस्थापन सुविधाओं के विकास के कार्य के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। किसी संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर नहीं दिए गए हैं क्योंकि विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के प्राप्त होने और उसकी जांच कर लेने तथा इस बात का फैसला करने कि यह काम कितने चरणों में पूरा किया जाएगा के पश्चात् ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इस प्रायोजना के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय मजूरी नीति

77. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों सहित समूचे कार्मिक वर्ग के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) समस्त श्रमजीवी वर्ग के संबंध में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने संबंधी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात संयंत्रों में इस्पात का जमा हो जाना

*78. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों में इस वर्ष मई के अन्त तक तीन लाख मीटरी टन तैयार इस्पात का भंडार जमा हो गया था ;

(ख) इस भंडार का मूल्य कितना है और इसमें इस प्रकार कितनी धनराशि रुकी पड़ी है ;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(घ) इस भंडार को कब तक हटा लिया जायेगा और क्या इस बीच मांगकर्त्ताओं को सड़क परिवहन द्वारा अपना माल ढुलवाने का परामर्श दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) 31 मई, 1974 को इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का कुल स्टाक 3.95 लाख टन था।

(ख) 30 जून, 1974 को इस्पात कारखानों में जमा विक्रेय इस्पात के स्टाक का मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) स्टाक जमा होने का मुख्य कारण रेल यातायात की कठिनाई है। सामान्य स्तर से अधिक स्टाक की शीघ्र निकासी के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे से विशेष प्रबन्ध किये गये हैं और जहां तक सम्भव है सड़क तथा तटीय पोतों द्वारा भी माल की निकासी की जा रही है।

सिक्किम के चोग्याल की भारत यात्रा

*79. **श्री पीलू मोदी**
श्री एच० एन० मुकर्जी } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के चोग्याल ने सिक्किम के नये संविधान को अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया था और वह इस विषय पर भारत अधिकारियों से विचार विमर्श करने के लिए नई दिल्ली आए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय अधिकारियों से नई दिल्ली में इस विषय पर क्या वार्ता हुई और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सिक्किम की असेम्बली ने 20 जून को एक प्रस्ताव पास करके सिक्किम बिल 1974 का अनुमोदन किया। सिक्किम के चोग्याल ने 25 जून से 1 जुलाई 1974 तक नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने सिक्किम की राजनीतिक स्थिति तथा संवैधानिक घटनाओं के बारे में प्रधान मंत्री से, विदेश मंत्री तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। सिक्कम सरकार बिल असेम्बली द्वारा 20 जून और 28 जून 1974 को अनुमोदित किया गया था। चोग्याल 1 जुलाई 1974 को गंगतोक वापस चले गए। 3 जुलाई को असेम्बली की फिर बैठक हुई जिसमें संवैधानिक बिल की पुनर्पुष्टि की गई। चोग्याल ने 4 जुलाई 1974 को इस बिल को अपनी सहमति दे दी।

मजूरी और मूल्य-वृद्धि के बीच अन्तर को समाप्त करना

*80. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजूरी और मूल्य-वृद्धि के बीच के अन्तर को बिल्कुल समाप्त करने और मुद्रा स्फीति तथा घाटे की अर्थव्यवस्था द्वारा वास्तविक आय में कमी न होने देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) संगठित क्षेत्र में, मजदूरी ढांचे पक्षों के बीच द्वितीय समझौता द्वारा अधिकाधिक रूप से तैयार किए जा रहे हैं और इनमें परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रश्न भी सम्मिलित है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय, उन सभी कर्मचारियों के संबंध में जिनका संशोधित मूल-वेतन प्रति मास 300 रुपया या उससे कम है,उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के पूर्ण निराकरण की व्यवस्था करते हैं।

केरल के कोजीकोड जिले के लौह-अयस्क के संबंध में मूल्यांकन

513. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में उपलब्ध होने वाले लौह अयस्क की मात्रा तथा किस्म के बारे में श्रेष्ठता संबधी मूल्यांकन पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ? और सरकार किस तरह इन संसाधनों का उपयोग करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) केरल के कोजीकोड जिले के चार खण्डों—चेरूपा, नोनडमरा, नेन्दुवेल्लूरु तथा एलीयेती माला में 31.46 से 41.24 प्रतिशत लौह वाले 440 लाख टन लौह-अयस्क भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है। पांचवें खण्ड आलमपाड़ा में भी लौह-अयस्क की खोज मई 1973 में पूरी की जा चुकी है और इस क्षेत्र में लौह-अयस्क से उपलब्ध भण्डार और किस्म के बारे में अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

इन निक्षेपों के समुपयोजन के बारे में कोई भी निर्णय आलमपाड़ा निक्षेप पर अंतिम रिपोर्ट के तैयार हो जाने तथा आधार भूत सामग्री की उपलब्धि के सन्दर्भ के समूचे क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन तथा घरेलू खपत और निर्यात हेतु समुपयोजन की आर्थिक उपादेयता के बाद ही किया जा सकता है ।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति

514. **श्री एस० एन० मिश्र**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव
श्री बनमाली बाबू } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में कोई प्रगति नहीं हुई है जैसी कि केन्द्रीय सरकार को आशा थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोडाजी बासप्पा) : (क) वर्ष 1966-67 से 1973-74 के दौरान परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के अपनाए जाने के बारे में प्रगति का एक विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8039/74)

(ख) लक्ष्य प्राप्त न होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) जनता की गरीबी,

(2) शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति के स्तर का नीचा होना,

(3) अत्याधिक वित्तीय प्रतिबन्ध ।

(ग) कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिए राज्यों की सहायता हेतु जो कदम उठाए गए ह वे इस प्रकार हैं :

(1) आधार भूत सुविधाएं प्रदान करने में क्रमिक सुधार ।

(2) वित्तीय प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा अधिकारियों, सहायक नस धात्रियों तथा महिला स्वास्थ्य वीक्षिकाओं के कुछ पदों को भरने में छूट दे दी गई है ताकि विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाऐं प्रदान करने के लिए एक कारगर आधार प्रदान किया जा सके ।

(3) परिवार नियोजन, मातृ तथा शिशु कल्याण, पोषण आदि कार्यक्रमों को क्रमिक रूप से मिलाने का निर्णय किया गया है ताकि एक समेकित रास्ता तैयार किया जा सके ।

(4) शिक्षा, कृषि, सामुदायिक विकास आदि जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था की सहायता से प्रेरणा की नई नीति आरम्भ की जा रही है ताकि परिवार नियोजन कार्यक्रम को देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ पूरी तरह मिलाया जा सके ।

(5) परिवार नियोजन कार्यक्रम में जनता को अधिकाधिक शामिल करने का लक्ष्य रखा गया ह ।

(6) ऐसे छोटे शिविरों को चलाने का विचार अपनाया गया है जिनमें 5 रुपये प्रति मामले की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी ।

पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मंजूरी निर्धारण तंत्र

515. श्री एम० एस० संजीवी राव
श्री बनमाली बाबू
श्री वीरभद्र सिंह } : क्या मंत्री **श्रम** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी निर्धारण तंत्र की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित निकाय के सदस्य कौन कौन होंगे और उसके निदेश पद क्या होंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) और (ख) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करने पर के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

मूल्य वृद्धि के लिए वैगन निर्माताओं का तर्क

516. **श्री एम० एस० पुराती**
श्री गजाधर मांझी } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन निर्माताओं ने केन्द्रीय सरकार से मूल्य वृद्धि के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) क्या रेल वित्त और भारी उद्योग मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श के पश्चात् कोई सूत्र तैयार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने गत वर्ष इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके कुछ विभिन्न पहलुओं जैसे, इस्पात के मूल्य, प्रत्यावर्तन लागत आदि पर विचार करने के पश्चात् माल गाड़ी के डिब्बों के मूल्यों के बारे में एक करार तैयार किया था । सूत्र में तैयार किये गये हिस्से-पुर्जों के मूल्यों में हुई वृद्धि पूर्णत: सम्मिलित नहीं है । इस प्रश्न पर रेल मंत्रालय के साथ बात चीत की जा रही है ।

Demand for bringing Labour Courts under control of Judiciary

517. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the labour courts in various States are at present under the control of Government;

(b) whether a demand for bringing these courts under the control of judiciary on the pattern of other judicial courts has been made; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) The Labour Courts are constituted by the appropriate Government in accordance with section 7 of the Industrial disputes Act.

(b) No such demand has been made in the recent past.

(c) Does not arise.

दुर्गापुर मिश्र (एलाय) इस्पात संयंत्र का विस्तार

5185. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 11 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6539 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के विस्तार की योजना पर विचार किया गया है, और यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या इसे पांचवीं योजना में शामिल किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे पूरा किये जाने के लिए निर्धारित समय क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विस्तार योजना का जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। यह बताना सम्भव नहीं है कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा।

(ख) इसे पांचवीं योजना के मसौदे में शामिल किया गया है।

(ग) विस्तृत योजना प्रतिवेदन के तैयार हो जाने तथा विस्तार योजना के लिए प्रोडेक्ट मिक्स के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लिये जाने के बाद ही इसके लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता के युक्तिसंगत स्तर पर उत्पादन करने लगे।

Sale of Aluminia to Russia

519. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state:

(a) the price at which the Alumina produced by 'Balco' at Korba was sold to Russia;

(b) the names of the countries which offered to purchase the said Alumina; and

(c) the reasons why the Alumina was sold to Russia alone?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Bharat Aluminium Company Ltd. contracted to sell 50,000 tonnes of Alumina to the U.S.S.R during 1974 @ Rs. 719 per metric tonne FOB Visakhapatnam.

(b) & (c) Besides USSR, Thailand has contracted to purchase a quantity of 7,500 tonnes of alumina at about the same price contracted for the sale to U.S.S.R. No other foreign party showed interest in buying alumina at the price offered by U.S.S.R.

वाणिज्यिक वाहनों के मूल्यों में वृद्धि

520. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं की वाहनों के मूल्य बढ़ाने की अनुमित दी है ;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि की किस दर की अनुमति दी गई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी बार मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माताओं की दिनांक 15-5-1974 से 30 मी० टन और इससे अधिक की गाड़ियों के मूल्यों में 3.25 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति दे दी गई है। उत्पादन मूल्य में हुई बढ़ोत्तरी को ध्यान में रख कर वृद्धि की अनुमति दी गई है।

(ग) 8 मई, 1973 से पूर्व निर्माताओं को ही अपनी गाड़ियों के मूल्य नियत करने की स्वतंत्रता थी। दिनांक 8 मई, 1973 से गाड़ी निर्माताओं को केवल एक बार मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी गई है।

कुंजपुरा सैनिक स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्तियां दिया जाना

521. **श्री नारायण पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक स्कूल, कुंजपुरा में दाखिल किये गये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के छात्रों को वर्ष 1968 में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) क्या छात्रवृत्तियां उनके स्कूल में रहने की पूरी अवधि के लिये मान्य थीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे छात्र हैं जो अभी स्कूल में है परन्तु जिन छात्रवृत्तियों की राशि वर्ष 1972–73 में उक्त स्कूल को भेजी नहीं गईं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 17।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) तथा (घ) सैनिक स्कूल, कुंजपुरा में केवल एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी वर्ष 1972–73 की 2,200 रुपये की छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। तथापि, उक्त प्रशासन ने अभी हाल में ही इस मामले में छात्रवृत्ति देना मंजूर कर दिया है।

Manufacture of Atom Bomb by India

523. Shri R. Sharma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the country has the capacity to manufacture atom-bomb; and

(b) if so, the time by which an atom-bomb would be manufactured in the country?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) Government's policy with regard to the production of nuclear weapons has been explained to Parliament on many occasions. The policy is to use nuclear energy for peaceful purposes only. Consistent with this, the nuclear explosion conducted by India on 18th May 1974, was exclusively for peaceful purpuses. It will thus be appreciated that in the context of the Government's policy the question as to whether the country has the capacity to manufacture atom bomb and if so the time by which an atom bomb would be manufactured in the country are purely hypothetical.

आन्ध्र प्रदेश में कार्बनीकरण संयंत्र

524. **श्री भोला मांझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के रामकृष्णपुर में 7 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक निम्नतापीय कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना का निर्णय किया गया है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 500 टन कोक के उत्पादन की आशा है। जिससे आंध्र प्रदेश और निकटवर्ती राज्यों से इसी किस्म के कोयले की मांग की पूर्ति की जाएगी। संयंत्र का प्रबंध एक स्वतंत्र कम्पनी के हाथ में होगा जिसकी शेयर पूंजी में सिंगैरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 : 2 के अनुपात में धन लगाया जाएगा।

जेसप एण्ड कम्पनी को हुई हानि

525. **श्री रानेन सेन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेसप एण्ड कम्पनी, जो भारी और जटिल इंजीनियरी माल बनाने वाले बड़े वर्कशापों में से एक है, को निरन्तर भारी हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हानि बराबर हो रही है किन्तु इस हानि को तेजी से कम किया जा रहा है।

(ख) (i) पहले से लिये गये अलाभकारी क्रयादेश।

(ii) सामान और पुर्जों की कम तथा समय से सप्लाई न करना।

(iii) धन का निम्न स्तर होने के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना और बढ़ाते हुए मूल्यों के संदर्भ में वस्तु सूची आयोजन।

(iv) रुक रुक कर बिजली आने के कारण श्रमिक समय की हानि।

एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० जे० के० नगर के कार्यकरण की जांच

526. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एल्यमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया, जे. के. नगर, पश्चिम बंगाल के कार्यकरण की विस्तृत जांच के लिए औद्योगिक विकास (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की जांच की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

Food Adulterated cases in the country

527. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of cases detected in India during the year 1972-73 and 1973-74 year-wise under the Food Adulteration Act; and

(b) the steps taken by the Government for making this Act more strict?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. A.K. Kisku : (a)According to the latest available information, 34064 and 18262 case were detected in India during the calendar year 1972 and financial year 1973-74 respectively under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. Information regarding 1973-74 has not yet been received from Assam, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Tamil Nadu, Tripura, Nagaland, Rajasthan, Uttar Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Goa Daman & Diu.

(b) A Bill further to amend the Prevention of Food Adulteration Act 1954 is proposed to be introduced shortly with a view to make punishment more deterrent and to plug loopholes in the Act.

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का पकड़ा जाना

528. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में 1 जून, 1974 को लगभग 20,000 रुपये मूल्य की नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री पकड़ी गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यह मामला पुलिस के विचाराधिकार में नहीं आता । फिर भी मुकदमा चलाने के विचार से जांच पड़ताल की जा रही है ।

कार तथा स्कूटरो के नियमन के नियतन के नियमों को उदार बनाना

529. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कारों एवं स्कूटरों के नियमन सबंधी नियमों को उदार बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Repatriation of Pakistani .P.O.Ws. and Other Nationals

530. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state

(a) whether the Pakistani P.O.Ws. and other nationals have since been repatriated;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the expenditure incurred on their repatriation and other allied items?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) All the Pakistani Prisoners of war numbering 75,193 and Civilians under Protective Custody numbering 17,520, have since been repatriated.

(c) No separate statistics of expenditure incurred exclusively on repatriation of Pakistani Prisoners of War and Civilians under Protective Custody are being maintained. However, as per compiled actuals, a total expenditure of Rs. 34,91,27,000·00 has been incurred on them upto 31st May, 1974.

छम्ब क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा सेना पर पाकिस्तान सेना द्वारा गोली चलाया जाना

531. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने छम्ब क्षेत्र की अखनूर तहसील में खौउर के निकट 17–18 जून, 1974 की रात्रि को भारतीय सुरक्षा सेना पर गोली चलाई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Smuggling of Arms and Ammunition to Foreign Countries

532. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a Press report, dated the 12th June, 1974 to the effect that arms and ammunition were smuggled from India to other countries in the preceding fortnight;

(b) whether memorandum has since been submitted to Government in this regard; and

(c) the authenticity of the said press-report and the actin taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) to (c) The information required is being collected and will be laid on the table of the House.

Proposal for No-War Pact with Pakistan

533. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Bishwanath Jhunjhunwala } : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have made a propsal to Pakistan to agree on some draft of a no-War Pact between the two countries; and

(b) if so, the reaction of Pakistan Government thereto?

The Minister of State in the Ministery of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) While we had offered a no-war pact to Pakistan on several occasions in previous years, there has been no formal repetition of this offer in the recent past on account of Pakistan's known strong opposition to such a pact.

However, the Simla Agreement contains all the essential ingredients for the peaceful settlement of all differences between India and Pakistan, bilaterally. The agreement also enjoins on both countries to abjure the threat or the use of force.

(b) Does not arise.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कथित वित्तीय संकट

534. श्री बंसत साठे
श्री धामंनकर } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारात कोकिंग कोल लिमिटेड को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे के पास पड़े हुए लाखों रुपये के मूल्य की भंडार सामग्री को छुड़ाने के लिए इसके पास धन राशि नहीं है और विलम्ब शुल्क के रूप में लाखों रुपये का भुगतान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कारखाने को किस प्रकार के वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस कारखाने के वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रस्तावित कार्यवाही क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोद हंसदा) : (क) और (ख) मजदूरी तथा अन्य आदानों की लागत में वृद्धि होने तथा कोयले की कीमतों में तदनुरूपी वृद्धि न होने से भारत कोकिंग कोल लि० में अस्थायी तौर पर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। आशा है 31 मई 1974 को अधिसूचित पिट हैड मूल्यों में वृद्धि से कम्पनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाएगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की भर्ती और पदोन्नति नीति

535. श्री राजा कुलकर्णी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी भर्ती और पदोन्नति नीति को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या इसने कर्मचारियों के संगठन के साथ बातचीत की है और फैसला किया है; और

(ग) क्या यह नीति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भर्ती और पदोन्नति नीति से मिलती जुलती है या भिन्न है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न लिखित सूचना भेजी है :—

(क) और (ख) निगम में विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियमों को कर्मचारी राज्य बीमा नगनिगम कर्मचारी फेडरेशन यूनियनों/एसोसिएशनों द्वारा की गई टिप्पणियों/सुझावों को ध्यान में रखने के बाद 1965 में निर्मित किया गया था ।

(ग) दोनों संगठनों के भर्ती सम्बन्धी विनियम कुछ बातों में, संगठनों की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे से भिन्न है ।

बिहार में चेचक

536. श्री पी० गंगादेव
श्री रघुन्नदन लाल भाटिया
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चेचक की महामारी के कारण 8,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले पांच महीनों के दौरान हजारों व्यक्तियों का रूप विकृत हो गया है और अन्धे हो गये हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने कोई कार्यवाही आरम्भ की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) बिहार में जनवरी से 14 जुलाई, 1974 तक की अवधि में चेचक के कारण 95,793 मामलों की सूचना मिली है और 15,807 व्यक्तियों की मृत्यु हुई बताई गई है ।

(ख) हालांकि चेचक के दागों के कारण कुरूपता आयी है, अन्धेपन के मामले इक्के-दुक्के ही हुये हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को, जो स्वास्थ्य कायक्रमों को चलाने के लिये मुख्यत: उत्तरदायी हैं, वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिये सहायता देने के शीघ्र उपाय करते हैं । इस संबंध में पहले ही जो उपाय बरते गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्राथमिक टकों को (जिनमें नवजातों को टका लगाना भी शामिल ह) और चेचक की आंशंका वाले रोगियों तक की सक्रिय खोज करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ।

(2) बिहार में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाती है । इस कार्यक्रम को चलाने में पाई गई कमियों को प्रकाश में ला दिया जाता है ताकि रोकथाम के तत्काल उपाय किए जा सकें ।

(3) जमाकर सुखाई गई चेचक वैक्सीन और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री की काफी मात्रा में सप्लाई की जा रही है तथा पटना और रांची में उसका स्टाक भी काफी रखा जा रहा है।

(4) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो एक केन्द्रीय पोषित योजना है, राज्य को इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है।

(5) बिहार में सामान्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के अलावा वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिकों के अधीन 32 विशेष निगरानी दलों और 29 निरोधी दलों को इस कार्य में लगा दिया गया है।

(6) स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके कार्यों में मदद करने के लिए सिविल अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। अनेक जिलों में ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और पंचायत सेवकों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ रोग निरोधी टीके लगाने के कार्य में लगाया गया है।

(7) दुमुंही सूइयों और छपे प्रोफार्मों की सप्लाई के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अपने महामारी वैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कर इस कार्यक्रम में सहायता कर रहा है : विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 55 गाड़ियां दी गई हैं जिनमें से 30 बिहार को शीघ्र भेजी जा रही है। इन महामारी वैज्ञानिकों और निरोधी दलों के सदस्यों का प्रति दिन भत्ता और गाड़ियों पर होने वाले पैट्रोल का खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है।

वर्ष 1974 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन

537. श्री मणी गंगादेव
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1974 के पहले 6 महीनों में उत्पादन में कोई सुधार हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस वर्ष के आरम्भ में उत्पादन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं, हिन्दुस्तान स्टील लि० के सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में जनवरी से जून, 1974 की अवधि में विक्रय इस्पात का उत्पादन 13.77 लाख टन हुआ जबकि गत वर्ष इसी अवधि में उत्पादन 14.77 लाख टन हुआ था।

(ख) जनवरी—मार्च, 1974 की तिमाही में मुख्यतया कोयले और अन्य कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की ढुलाई में गड़बड़ी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और कच्चे माल की न्यूनतम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कटौती करनी आवश्यक हो गई थी। इस स्थिति तथा रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल की संभावना को ध्यान में रखते हुए 1974–75 की प्रथम तिमाही के लिए उत्पादन लक्ष्य कम रखे गए थे ताकि सामान्य परिचालन पुनः आरम्भ करने से पहिले कच्चे माल का स्टाक किया जा सके। जब कि अप्रैल, 1974 में पूरे महीने उत्पादन पर प्रतिबन्ध

लगा रहा। मई, 1974 के आरम्भ से कारखानों की प्रौद्योगिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन्हें न्यूनतम स्तर पर चलाना पड़ा यह कार्य कुछ कोक भट्टियों को योजनाबद्ध तरीके से बन्द करके तथा कुछ धमन भट्टियों तथा इस्पात बनाने वाली और बेलन मिलों में काम बन्द करने से किया गया ताकि रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इनको अचानक बन्द न करना पड़े।

(ग) वर्ष 1974–75 के लिए उत्पादन लक्ष्य, बिजली, अन्य आवश्यक आदानों और रेल परिवहन का मूल्यांकन करने के पश्चात् सभी समुचित अभिकरणों से परामर्श करके, निर्धारित किए गए हैं। इन अभिकरणों के साथ सतत् सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

फरक्का और एन्क्लेवों (बस्तिओं) के बारे में भारत और बंगला देश के बीच समझौता

538. **श्री पी० गंगादेव**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच हाल ही में फरक्का और इन्क्लेवों (बस्तीयों) के बारें में कोई समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 16 मई, 1974 के सीमांकन करार के माध्यम से इन बस्तियों के बारें में समझौता हो गया है। फरक्का के संबंध में दोंनों सरकारों ने कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है और एक न्यायसंगत समझौते पर पहुंचने के लिये प्रयत्न शुरू कर दिये गए हैं।

16 मई, 1974 के सीमांकन करार में बंगला देश स्थित सभी भारतीय बस्तियों की भारत स्थित बंगला देश की बस्तियों के साथ अदला-बदली की व्यवस्था है इसमें यह अपवाद रहेगा कि दहगराम और अंगरपोटा बंगला देश में रहेंगे और इसके एवज में बेरूबारी भारत में रहेगा। इस करार की एक प्रति 22 जुलाई, 1974 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

मई, 1974 में शेख मुजीबुर रहमान की भारत यात्रा के दौरान दोनो प्रधान मंत्रीयों ने इस बात पर गौर किया था कि फरक्का बराज परियोजना 1974 की समाप्ति से पहले शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि कमी के महीनों में कलकत्ता बन्दरगाह और बंगला देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं भी हो सकता है। उन्होंने यह निश्चय किया कि संयुक्त नदी आयोग इस बात का अध्ययन करेगा कि इस क्षेत्र में दोनों देशों को उपलब्ध जल संसधानों का अधिकतम उपयोग करते हुए कमी के महीनों में गंगा की साफ मौसम की धार को तेज करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते है; यह आयोग समुचित सिफारिश करेगा जिससे कि दोनों देशों की आवश्यकताएं पूरी होती होगी। इस बीच दोनों सरकारों ने यह तय कर लिया है कि न्यूनतम बहाव के दिनों में जितना भी जल उपलब्ध होगा उसे वे एक दूसरे को स्वीकार्य आधार पर बांट लेंगें।

इस्पात और कोयले का उत्पादन

539. **श्री पी० गंगादेव**
श्री डी० डी० देसाई } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार इस्पात और कोयले के कुशल और अधिक उत्पादन के लिये एक सामान्य नीति पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जी हां। ऐसा विचार है उत्पादन में वृद्धि वर्तमान सुविधाओं की व्यवस्था, अवस्थापन सुविधाओं में सुधार, बेहतर रख-रखाव, अनुपूरक उपकरणों की व्यवस्था तथा मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार द्वारा लाई जाएगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

540. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का इस प्रकार पुनर्गठन करने का है कि सरकारी क्षेत्र के चारों इस्पात संयंत्रों के लिये अलग-अलग कम्पनी हों, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और ऐसा किये जाने के कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के बन जाने से हिन्दुस्तान स्टील लि० का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की क्षमता का कम किया जाना

541. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमताओं को कम करने क प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनर्गठन

542. श्री वसंत साठे
श्री धामनकर } : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक और रोजगार प्रवृत्तियों वाला बनाने की दृष्टि से देश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के पुनर्गठन और नवीकरण करने के लिए कोई सुनियोजित और व्यापक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता क्या है और प्रशिक्षणार्थियों को कहां तक रोजगार मिल सकता है ;

(घ) क्या रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी, कम राशि के वजीफे और प्रशिक्षणार्थियों के लिए रिहायशी आवास की कमी औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की असंतोषजनक प्रगति के मुख्य कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है और तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) चूंकि आर्थिक और रोजगार प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए राज्य सरकारों को मानकित प्रचलित व्यवसायों पर, जिनमें स्थानीय रोज़गार अवसर उपलब्ध है, आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विविधता लाने के लिए कहा गया है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वाले क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करें। लगभग 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को "कैप्टिव" औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी पांचवीं योजना की अवधि के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कल्पना की गई है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विशेष समेकित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके उद्योगों के समूह की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगें ।

(ग) देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता लगभग 1·56 लाख स्थान है। प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात् स्व-रोज़गार या सवेतदन रोज़गार अपना सकते हैं या शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उद्योग में शिक्षु के रूप में भर्ती हो सकते हैं। इनके रोज़गार संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) (i) औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति का सम्बन्ध निःसंदेह रोज़गार अवसरों से है। हाल ही में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश-स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् ने छात्रवृत्ति की दरको 25 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिमाह करने और लाभानुयोगियों की प्रतिशतता को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कुल प्रशिक्षणार्थियों के 33-1/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने की सिफारिश की है। कुछ राज्यों ने इस सिफारिश को लागू कर दिया है और अन्य राज्यों को ऐसा करने के लिये कहा जा रहा है।

(iii) बहुत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास की व्यवस्था है।

शिशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दरें

543. **श्री रानेन सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिशिक्षुओं को दी जाने वाली छात्र-वृत्ति की दरें पहले 6 महीनों में 60 रुपये प्रतिमाह, अगले छः महीनों में 70 रुपये प्रतिमाह, दूसरे वर्ष 80 रुपये प्रतिमाह और तीसरे वर्ष 90 रुपये प्रतिमाह है;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि गत 10 वर्षों में अत्यावश्यक वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है, सरकार का विचार छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने के लये अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां। ये दरें 1-8-1971 लागू हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् ने 27 जून, 1974 को हुई अपनी बैठक में अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति की निम्नलिखित संशोधित दरों की सिफारिश की है :—

	रुपये प्रतिमाह
पहले वर्ष के दौरान	90
दूसरे वर्ष के दौरान	100
तीसरे वर्ष के दौरान	110
चौथे वर्ष के दौरान	150

परिषद् की उपर्युक्त सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि यह मामला नियमों के अन्तर्गत आता है, इसलिये इस प्रयोजन के लिये अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

औद्योगिक विवाद अधिनियमों में संशोधन

544. **श्री रानेन सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधान पर सरकार विचार कर रही है, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विवादों और अन्य संबंधित मामलों के निपटान हेतु तंत्र की व्यवस्था करेगा।

एल्युमिनियम और उसके उत्पादकों के मूल्य में वृद्धि

545. श्री रानेन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम और उसके उत्पादों के मूल्यों में 23 मई, 1974 से वृद्धि का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 तथा जुलाई 1974 तक एल्यूमिनियम और उसके उत्पादों के मूल्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम उत्पादों (कतरनों और पन्नियों को छोड़कर) के नियंत्रित मूल्य सरकार द्वारा 24-5-71 से निर्धारित किये गए, जिन्हें भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 2170 से 2175 तक के पृष्ठों में प्रकाशित का० आ० 2085 दिनांक 24-5-1971 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

उत्पाद शुल्क की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप नियंत्रित मूल्यों में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 135 से 140 तक के पृष्ठों में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 56(ई) दिनांक 21-1-1972 तथा भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 899 से 905 तक पृष्ठों में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 331 (ई) दिनांक 2-5-72 द्वारा दो बार वृद्धि की गई।

एल्यूमिनियम के निविष्ट काकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण एल्यूमिनियम पिण्डों तथा एल्यूमिनियम के उत्पादों (कतरणों और पन्नियों को छोड़कर) के नियंत्रित मूल्यों को, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) पृष्ठ 1115--1121 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टन आ० 315(ई) द्वारा 23-5-1974 से (उत्पादन शुल्क को छोड़कर) 1090 रुपये प्रति टन तक बढ़ा दिया गया है।

इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 1974-75 की अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये अधिक बजट व्यवस्था की मांग

546. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपनी 1974-75 की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजट व्यवस्था की मांग की है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान स्टील और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के आन्तरिक संसाधन कुप्रबन्ध के कारण पूर्व निर्धारित योजना की मांगों की पूर्ति में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मंत्रालय में 'एक विभाग एक सचिव' के नियम का कठोरता से पालन करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1974-75 में इस्पात विकास कार्यक्रम के लिये अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। बजट से जो अतिरिक्त धनराशि अब प्राप्त की जा रही है वह मुख्यतः संयंत्र तथा उपस्करों, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने तथा वेतन, भाड़े आदि पर खर्च बढ़ जाने के कारण ली जा रही है। बजट बनाते समय इन कारणों से हुई वृद्धि का ठीक-ठीक पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण की अवधि बढ़ाया जाना

547. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय उसके प्रबन्धग्रहण की अवधि को हाल ही में और बढ़ाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को 14 जुलाई, 1974 से तीन वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया है।

(ख) विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के पश्चात्, यही उचित समझा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा प्रबन्ध की अवधि बढ़ाना हितकर होगा।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टी० आई० एस० सी० ओ०) का विस्तार

548. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना सम्भव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की भान्ति टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भी सरकार द्वारा दो वर्ष के लिये अपने नियंत्रण में लिये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अब तक कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखाने के सम्भाव्य विस्तार के बारे में एक विस्तृत शक्यता प्रतिवेदन हाल ही में तैयार किया गया है। फिलहाल सरकार द्वारा नियुक्त की गई कर्णधार समिति इस की जांच कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा श्री लंका में रबड़ पर आधारित उद्योग की स्थापना

549. श्री एम० एस० संजीवी राव
श्री तनमाली बाबू
श्री वीरभद्र सिंह } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का श्रीलंका में रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे उस देश के सहयोग से स्थापित किया जायेगा; और

(ग) सहयोग समझौते की शर्त क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) इंजीनियरी प्रोजेक्ट्स इंडिया ने रबड़ पर आधारित उद्योग की स्थापना के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके श्रीलंका सरकार को प्रस्तुत किया है ।

(ख) यद्यपि श्रीलंका सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है, फिर भी सहयोग के प्रश्न पर निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उपकरणों तथा संयंत्रों की मशीनरी का निर्यात

550. श्री एम० एस० संजीवी राव
श्री वीर भद्र सिंह } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने गत तीन वर्ष में कितने मूल्य के उपकरणों एवं संयंत्रों की मशीनरी का निर्यात किया ;

(ख) उनका निर्यात किन किन देशों को किया गया ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अभी तक किसी भी देश को किसी भी संयंत्र और उपकरण का निर्यात नहीं किया है । यह उपक्रम लगभग चार वर्ष पहले स्थापित किया गया था और उन्होंने पिछले डेढ़ वर्ष विदेशी बाजारों का पता लगाना शुरू किया । उन्होंने लगभग 6·0 करोड़ रुपये के मूल्य के संयंत्र तथा मशीनों के लिए निर्यात आर्डर प्राप्त किये हैं जिसमें युगोस्लाविया में कोक ओवन प्रोजेक्ट के लिए एक आर्डर भी शामिल है । ये आर्डर हाल ही में प्राप्त हुआ है और वास्तविक निर्यात इस वर्ष के अन्त तक शुरू होने की आशा है ।

भारत और पुर्तगाल के बीच सामान्य सम्बन्ध

551. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील ने भारत और पुर्तगाल के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए अपनी सेवायें अर्पित की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पुर्तगाल के साथ भारत के संबंध, गोआ के प्रति पुर्तगाल का रुख और अफ्रीका में उनकी नीतियों पर आधारित रहे हैं । संबंध सामान्य बनाने की बात भविष्य में इन नीतियों में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करेंगी ।

अभ्रक की खानों के लिये आवास और जल सप्लाई योजनाएं

552. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक की खानों के लिये आवास और जल सप्लाई योजनाओं के प्रश्न की जांच करने के लिये गठित की गई उप-समिति के प्रतिवेदन पर अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की 29 जुलाई, 1974 को हुई छठी बैटक में विचार विमर्श किया गया था ; और

(ख) क्या उप-समिति ने बिहार और आन्ध्र प्रदेश के संबंध में खानों के लिये अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ।

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 59वां अधिवेशन

553. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनेवा में जून, 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 59वें अधिवेशन की बैठक मे भारत ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न लिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था —

(i) महानिदेशक की रिपोर्ट ;

(ii) कार्यक्रम और बजट प्रस्ताव आदि अन्य वित्तीय प्रश्न ;

(iii) अभिसमयों और सिफारिशों की प्रयोज्यता के बारे में सूचना और रिपोर्टें;

(iv) सवेतन शिक्षा संबंधी छुट्टी ;

(v) दमावुर्द-जन पदार्थों और कारकों से उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक जोखिमों पर नियंत्रण और उनकी रोकथाम ;

(vi) ग्रामीण श्रमिकों के संगठन और आर्थिक और सामाजिक विकास में उनकी भूमिका ;

(vii) प्रवासी श्रमिक ;

(viii) मानवी साधनों का विकास-व्यावसायिक मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण; और

(ix) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ढांचा ;

(ग) इस सम्मेलन ने व्यावसायिक कैंसर और सवेतन शैक्षणिक छुट्टी के संबंध में एक-एक अभिसमय और एक-एक पूरक सिफारिश स्वीकार की । इसने विभिन्न विषयों पर पांच संकल्प भी स्वीकार किए ।

मैसर की खानों को नया जीवन

554. श्री जी० आई० कृष्णन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैम्पयन रीफ माईन के गारलैण्ड और डालेमल सैफ्ट क्षेत्र जो कुछ वर्ष पहले छोड़ दिये गये थे, और विकास तथा उपभोग कार्य करने के लिए फिर से ले लिए गए हैं ;

(ख) क्या खोज के सघन कार्यक्रम से मैसूर की खानों को नया जीवन मिला है ; और

(ग) यदि हो तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) मैसूर की खानों के समन्वेषी विकास का एक सघन कार्यक्रम हाथ में है तथा एक दूसरी बड़ी सम्पन्न अयस्क पट्टी का पता चला है जो पुराने खनिज क्षेत्र के साथ कुछ दूरी पर गिर्फ्ड भ्रंश श्रृखंला के दक्षिण तक फैली है । यह नयी अयस्क पट्टी उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान कर रही है और इसकी खोज से मैसूर की खानों में अयस्क उत्पादन की और सम्भावना हो गई है ।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए रूस का सहयोग

555. श्री वाई० जी० कृष्णन्
श्री मोहम्मद शरीफ } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के वाणिज्यिक वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए संयंत्रों का डिजायन तैयार करने तथा संयंत्र बनाने के कार्य में रूस के साथ कोई सहयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सहयोगियों ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य अपने हाथ में लिया है । इन शर्तों में पूर्ण जानकारी का हस्तांतरण और सभी प्रकार के नमूनों एंव विस्तृत ड्राईंगों का सम्प्रेशण का उल्लेख किया गया है । सहयोगियों ने निर्यात सहायता देने को भी कहा है ।

कोयला गैस संयंत्र

556. श्री पी० वंकटासुब्बया
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री के० एस० मधुकर } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गम्भीर ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार का विचार देश में अनेक कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : योजना आयोग ने कोयला गैसीकरण पर जनवरी, 1974 में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था और उसने, जुलाई 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । रिपोर्ट में कई अनुसंशाएं की गई हैं जिन पर विचार हो रहा है ।

भारत पुर्तगाल संबंध

557. श्री पी० वंकटासुब्बया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी पुर्तगाली सरकार ने हमारे देश के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिये हमारी सरकार से सर्म्पक स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति में विषमतायें

558. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न गम्भीर विषमताओं को दूर करने के लिय संयुक्त परामर्श दात्री तंत्र की विभागीय परिषद में एक विषमता संबंधी समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विषमतायें दूर कर दी गई हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) यह निर्णय किया गया है कि तृतीय वेतन आयोग के द्वारा "असामान्य वर्गों" के पदों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के फलस्वरूप सरकारी आदेशों के कार्यान्वियन पर होने वाली असंगतियों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाय जिसमें विभागीय परिषद (जे० सी० एम०) के अमला पक्ष तथा पदाधिकारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल होंगे । अमला पक्ष की ओर से समिति की सदस्यता के लिये नामांकन पत्र अभी प्राप्त हुए हैं तथा आशा है कि समिति का गठन शीघ्र ही हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) समिति के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जब सरकार निर्णय कर लेगी तब यथा समय सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तत किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को अधिक कार्य

559. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में अधिक कार्य दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्तमान कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (कानपुर प्रभाग) को अतिरिक्त कार्य आंवटित किए जाने का प्रश्न सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है और ऐसी आशा की जाती है कि इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा । इसी बीच, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड अपने अन्य प्रभागों से कानपुर प्रभाग को कार्य देने के लिये प्रयत्न कर रहा है ।

सेन्ट्रल आर्डनेंस डिपुओं में वेतनमान का अधिकतम पा रहे अवर श्रेणी लिपिक

560. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल आर्डनेंस डिपुओं में बहुत से अवर श्रेणी लिपिक कई वर्षों से अपने वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर रहें है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या उच्च श्रेणी लिपिकों के कुछ तदर्थ पद बनाये गये हैं और यदि हां, तो कब और कितने ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० वी० पटनायक): (क) तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणाम स्वरुप पहली जनवरी, 1974 से नए वेतन मान लागू हो जाने से आर्मी आर्डनेंस कोर में कोई अवर श्रेणी लिपिक वेतन मान के अधिकतम पर नहीं रुका हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) लम्बी सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार करने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

डाक-तार कर्मचारियों के लिये वेतन बोर्ड की सिफारिशो के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

561. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों को डाक-तार कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय पर अब विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गयें हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है ।

पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रो की सप्लाई पर लगा प्रतिबन्ध हटाने का चीन का अनुरोध

562. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को 14 जून 1974 के दिल्ली के एक दैनिक पत्र में प्रकाशित इस समाचार का पता है कि चीन ने अमेरीका सरकार से अनुरोध किया है कि वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगा प्रतिबन्ध उठा ले ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने निरन्तर इस बात पर ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ढंग से हथियार भेजने से इस उपमहाद्वीप में सामान्यीकरण की प्रक्रिया में बाधा आयेगी और यह हमारी गहरी चिन्ता का विषय रहेगा ।

Exploration for Metals in Rajasthan

563. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of those 16 places in Rajasthan where there are prospects of finding some important metals as reported in the Press on the 16th June, 1974; and

(b) when and under which scheme the explo ration work will be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukh Prasad): (a) & (b) The geological Survey of India are carrying out exploration for base metals in the following 18 areas in Rajasthan—

1. Badshahpur area, Jaipur district (for copper).
2. Dhaula area, Jaipur district (for copper).
3. Baleshwar area, Sikar district (for copper).
4. Mathoka area, Sikar district (for copper).
5. Naori area, Jhunjhunu district (for copper).
6. Rajotha area, Khetri copper belt, Jhunjhunu district (for copper).
7. Usri area, Khetri copper belt, Jhunjhunu district (for copper).
8. Banwas area, Khetri copper belt, Jhunjhunu district (for copper).
9. Nalladeshwar area, Alwar district (for copper).
10. Baldeogarh area, Alwar district (for copper).

11, 12 & 13. Samodi, Dariba-Suras and Banera R.F. areas, Bhilwara district (for lead, zinc and copper).

14. Jhikri area, Bhilwara district (for lead and zinc).

15, 16 & 17. Jagpura, Delwara and Parsola areas, Udaipur and Banswar districts (for lead, zinc and copper).

18. Chenpura, Ajmer district (for copper).

Manufacture of Spurious Dog bite injections

564. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether according to a news item appearing in a local daily dated the 14th June, 1974, the injections for dog bite are not manufactured in the country and some licence holding firms taking advantage of this scarcity are manufacturing spurious injections;

(b) if so the name of the firm in Delhi which is making a publicity that whosoever needs these injections could get them from that firm;

(c) Whether the injection for dog bite is kept in freeze and gets spoiled by sending it, by post; and

(d) if so the facts in this regard ?

Deputy Minister of Health & Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) Such news items have appeared in 'Nav Bharat Times' a local Hindi daily on 14th June, 1974, Times of India and Hindustan Times dated 13th June, 1974. It is, however, not a fact, that the injections for dog bite (rabies) are not manufactured in the country. Injections for dog bite are Rabies Vaccine which are given both to human beings as well as to dogs. There are other injections which are given to dogs such as Canine Distemper Vaccine and DHL

Vaccine (Distemper Hepatitis Leptospirosis) and DH (Distemper Hepatitis) Vaccine. Vaccine for human use and Rabies Vaccine for prophylaxis of dog are manufactured in Central Research Institute, Kasauli and Haffkine Institute, Bombay. The Canine Distemper Vaccines are generally imported from abroad.

(b) There is no firm in Delhi licensed to manufacture injection for dog bite and case of manufacture of spurious injection for dog bite has not come to notice.

(c) & (d). The temperature for storage of these vaccines is between 2°C to 10°C. Therefore these are required to be kept in refrigerator. Nevertheless they could be sent by post with adequate precautions.

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती फोर्ज प्लांट

565. श्री के० मालन्ना : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12.9 करोड़ रुपये की लागत से फोर्ज प्लांट लगाने के लिये मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड भद्रावती का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति के लिए सरकार के विचारधीन है ; और

(ख) क्या डी० एम० के पुनर्मूल्यांकन और नवीनतम तकनीकी विकास लाने के लिए अतिरिक्त उपकरण सम्मिलित करने के लिये मूल प्राक्कलन में कोई वृद्धि की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

इस्पात के उपभोग में कमी का इस्पात उद्योग पर प्रभाव

566. श्री के मालन्ना : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के उपभोग में कमी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस्पात के उपभोग में कमी की जाने वाली कमी का इस्पात उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात के सर्वतोमुखी कारखानों की स्थापना पर आने वाली भारी पूंजीगत लागत, आदानों अर्थात् बीजली की कमी और इस्पात के आयात पर विदेशी मुद्रा के अधिक खर्च को देखते हुए सरकार इस्पात की खपत में कमी करने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है ।

इस्पात की खपत में कटौती से इस्पात उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की जनेवा में होने वाली बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल को मार्गदर्शी सिद्धान्त

567. श्री के० मालन्ना : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए जाने वाले प्रतिनिधि-मंडल के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर दिए थे ;

(ख) क्या हांगकांग में हुई इन्टरनेशनल कनफैडरेशन आफ ट्रेड यूनियन की क्षेत्रीय बैठक आणविक परीक्षण के लिए भारत की आलोचना करने का कोई सामूहिक प्रयास किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 59वें सत्र, जो जेनेवा में 5 से 25 जून, 1974 को हुआ था, में भाग लेने वाले भारत सरकार के शिष्ट मण्डल को उचित निर्देश जारी किए थे ।

(ख) बैठक में भारतीय स्थिति के स्पष्ट किए जाने के बाद प्रस्तावित संकल्प को काफी संशोधित किया गया था । मूल संकल्प तथा अन्त में अस्वीकृत किए गए संकल्प संलग्न हैं ।(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8040/74)

(ग) सम्मलन की संकल्प समिति में, पाकिस्तान के सरकारी शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया । भारत सरकार के प्रतिनिधि ने सम्मेलन में वक्तव्य दिया कि भारत ने परमाणु परीक्षण करके किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं किया है तथा यह कि भारत का परमाणु शक्ति का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का इरादा है ।

केरल में स्थापित किए जाने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों के स्थान

568. श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो-तीन वर्षों में केरल में किन-किन स्थानों पर स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय खोल जायेंगे और क्या सरकार को उन आवश्यकता के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से इस बारे में ब्यौरा प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो इसके लिए क्या सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है जिसके लिए राज्य-योजनाओं में धन दिया जा रहा है। केरल सरकार से पता चला है कि इस समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आटा पाडी के जनजातीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3 तालुक खोलने का उनका विचार है। राज्य सरकार ने इस योजना को योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप से विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया है।

केरल में पांचवीं योजना में भारी उद्योगों की स्थापना

569. **श्रीमती भार्गवी तंकप्पन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजना की अवधि के दौरान सरकार का विचार केरल में भारी उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान भारी उद्योगों के विस्तार की कौन सी योजनायें आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) लीनोटाइप मशीनों का निर्माण करने हेतु कलामस्सेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एकक का विस्तार करने के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था की गई है ;

(ख) तथा (ग) : जी, हां निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) मे० केरल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड नें 25 वीं वार्षिक क्षमता से स्टील हल्ड डीप सी फिशिंग ट्रालरों का निर्माण करने के लिए आशय पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया था। मार्च 1974 में उन्हें एक आशय पत्र दिया गया था।

(2) मे० ट्रांसफार्मस एण्ड इलैक्ट्रिकल्स केरल लिमिटेड (एवं सरकारी उपक्रम) ने 400 के० वी० तक विद्युत ट्रांसफार्मरों 400 के० वी० तक करेंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मरों और बुशिंग और आन लोड टैप चेंजरों का निर्माण करने के लिए आवेदन दिया। उन्हें 23 अप्रैल, 1973 को आशय पत्र दिया गया था। उपर्युक्त वस्तुओं का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोग की शर्तों को सरकार ने 23 फरवरी 1974 को स्वीकृत किया। उपक्रम द्वारा प्रस्तुत किये गये मसौदा सहयोग करार की जांच की जा रही है ?

(3) केरल सरकार ने प्रतिवर्ष 5000 मी० टन इस्पाती ढांचों और प्रति वर्ष 2500 यूनिट रेल वैगनों का निर्माण करने के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु 1 जून, 1974 को क आवेदन पत्र दिया था। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

देश में बनी मिलावटी और घटिया किस्म की औषधियां और दवाइयां

570. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन**
श्री एस० सी० सामन्त } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगा है जिनमें देश के विभिन्न भागों में स्थित फार्मेस्यूटिकल तथा औषध कारखानों द्वारा घटिया किस्म की या मिलावटी औषधियां और दवाइयां बनाई गईं ;

(ख) इन मामलों या कदाचारों से कौन से निर्माता सम्बद्ध है या सम्बद्ध बताये गये हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए स्वयं सेवी महिला संगठन

571. **श्रीमती भार्गवी तन्कप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिये केरल में स्वयंसेवी संगठनों विशेष रूप से महिला संगठनों को आश्रय दे रही हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में किन-किन संगठनों को सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी, हां। जहां तक नगरीय क्षेत्रों का संबंध है वहां यह सहायता दी जा रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जन जातीय क्षेत्रों में कोई स्वयंसेवी संगठन कार्य नहीं कर रहा है ।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये पिछले तीन वर्षों में जिन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान दिये गये हैं उन के नाम इस प्रकार हैं :—

1. भारत सेवक समाज, त्रिवेन्द्रम ।
2. दी रोटरी क्लब, पूजापुरा, त्रिवेन्द्रम ।
3. दी लायन्स क्लब काडियार, त्रिवेन्द्रम ।
4. दी फैमिली प्लानिंग एसोसियेशन आफ इंडिया, त्रिवेन्द्रम शाखा ।
5. दी त्रिवेन्द्रम कोआपरेटिव ग्रुप अस्पताल सोसाइटी लिमिडेड, त्रिवेन्द्रम (1972-73 के दौरान कार्य आरम्भ किया और जुलाई 1973 में स्वेच्छा से कार्य करना बंद कर दिया) ।

6. शिवगिरी श्री नारायण मेडिकल मिशन, वरकला ।

7. एन० एस० एस० मेडिकल मिशन, पंडालम ।

8. दी मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, छोटानिकरा ।

9. क्विलान लेडीज क्लब, क्विलान ।

भिलाई और रूरकेला इस्पात संयंत्रों में राज्य सरकारों के शेयर

572. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के इस अनुरोध पर विचार कर रही है कि भिलाई और रुरकेला इस्पात संयंत्रों में उन्हें भी शेयर प्राप्त करने की अनुमति दी जाय, और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात और खान मंत्रालय को सम्बन्धित राज्य सरकारों से भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों में शेयर प्राप्त करने की अनुमति के बारे में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा किए गए विदेशी दौरे

573. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गत तीन महीनों में किन किन देशों की यात्रा की ; और

(ख) किन किन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ और क्या निर्णय किये गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जन्तीना, ब्राजील, कोलम्बिया, पेरु, यूनाइटे किंगडम, बंगलादेश और इराक गये थे ।

(ख) लातीनी अमरीका और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और हित संबंधी अन्य मामलों पर लाभदायक बातचीत की । उन्होंने पड़ौसी देशों, निर्गटता और विशेष तौर से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के उपयोग के बारे में भारत की नीति को समझाया । राज्य मंत्री ने दो सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किए—एक कोलम्बिया के साथ और दूसरा अर्जनतीना के साथ ।

बंगलादेश में राज्य मंत्री राष्ट्रपति के साथ सहचारी मंत्री के रूप में गए थे । मंत्री महोदय ने ईराक की जुलाई क्रांति के वार्षिक समारोहों में भाग लेने के लिए भारतीय शिष्ट मंडल के रूप में 13 से 17 जुलाई तक ईराक की यात्रा की ।

पाकिस्तान को वार्ता के लिये सहमत करने हेतु की गई कार्यवाही

574. श्री एम० ए० मुरुगनन्तम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को यह बात समझाने के लिये हाल ही में कोई प्रयास किये गये हैं कि उप महाद्वीप के व्यापक हित में भारत के साथ बातचीत फिर से प्रारम्भ की जाये ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) शिमला समझौता के अंतर्गत, डाक, तार सम्पर्क और यातायात को पुनः आरम्भ करने से सम्बद्ध बातचीत करने के लिए 10 जून को जो बैठक होने वाली थी उसे पाकिस्तान ने एक तरफा तरीके से स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान का यह बहाना कि भारत के शान्तिपूर्ण अणु-परीक्षण ने वातावरण को दूषित कर दिया है और इसलिए बातचीत आरम्भ करने से पहले उनके द्वारा कुछ आश्वासन अथवा गारंटी का मांगा जाना नितांत बेतुकी बात है। भारत शिमला समझौते का, उसके भाव और भाषा के अनुरूप, पालन करता रहा है और इस समझौते में सभी आवश्यक आश्वासन आ गये हैं। इसलिए यह पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह इस बात का अहसास करे कि सामान्यीकरण के तरीकों का कार्यान्वयन उसके अपने हित में है ।

वैगन निर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

575. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन निर्माण उद्योग को कच्चे माल और विशेष रूप से इस्पात की कमी के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) भारतीय रेलों के पूरे न किए गए आर्डरों का ब्यौरा क्या है और वे डिलीवरी की समय तालिका से कितने पीछे हैं ; और

(ग) क्या उनकी कोई निर्यात बचन बद्धतायें भी हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-4-1974 को वैगन उद्योग के पास 4 पहिए वाले 35,068.8 वैगनों के आर्डर बकाया पड़े हैं। इनमें से चार पहिए वाले 10,955.1 वैगन डिलीवरी की समय-तालिका से पीछे हैं ।

(ग) भारतीय वैगन निर्माताओं के पास निर्यात-आर्डर नीचे दिये जाते हैं :

क्रमांक	देश	मात्रा	अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपथों में)
1	युगोस्लाविया	3600 बैगन	37.4 रुपये
2	ईरान	492 बैगन	4.2 रुपये
3	पूर्वी अफ्रीकी रेलवे	100 बैगन	1.3 रुपये
4	मलयेशिया	110 बैगन	1.7 रुपये

रक्षा कार्यों के लिए पोतों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए परमाणु प्रक्षेपण (प्रोपल्जन) आरम्भ करना

576. श्री समर गुह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य पोतों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों आदि के लि परमाणु प्रक्षेपण आरम्भ किए जाने की अपेक्षा पर सरकार विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार की नीति प्रोद्यौगिकी में प्रगति को अद्यतन रखने और उसे यथा सम्भव उपयोग में लाने की है। इसके अनुसार व्यापारिक और नौसैनिक जहाजों के लिए परमाणु शक्ति चालित जहाज प्रारम्भ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में आगे और ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के पास हैवी इंजीनियरिंग निगम की देय राशि

577. श्री डी० के० पंडा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी औद्योगिक उपक्रमों ने भारी इंजीनियरिंग निगम को बहुत पसा देना है ;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं और उन्होंने भारी इंजीनियरिंग निगम को कितना-कितना पैसा देना है ; और

(ग) उनके द्वारा इंजीनियरिंग निगम की अदायगियां रोकने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उन उपक्रमों के नाम जिनके पास पर्याप्त राशि बकाया है, संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(ग) बकाया राशि के भुगतान में विलम्ब होने के मुख्य कारण उपक्रमों के पास धन की कमी होना, हैवी इंजीनियर्स कारपोरेशन में हुए समझौतों के परिणाम स्वरूप दावों (क्लेम) की राशि में हुई वृद्धि और सप्लाई किये गये उपकरणों के सम्बन्ध में विवाद आदि हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	बकाया राशि (लाख रुपये में)
1. बोकारो स्टील लिमिटेड	367.25
2 भारत एल्यूमिनियम कम्पनी	376.85
3. हिन्दुस्तान स्टील बर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	18.07

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	बकाया राशि (लाख रुपये में)
4. माईनिंग एण्ड इलाड मशीनरी कारपोरेशन लि०	32.51
5. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	10.71
6. जी० आर० डब्ल्यू० कलकत्ता	125.12
7. एम० डी० ई० पी० (जी० आर० डब्ल्यू०) रांची	28.67
8. एन० सी० डी० सी०, रांची	69.05
9. मशीन टूल्स कारपोरेशन, अजमेर	11.51
10. भिलाई स्टील प्लांट	49.63
11. राऊरकेला स्टील प्लांट	14.24
12. दुर्गापुर स्टील प्लांट	21.03
13. आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन	12.70
14. एन० एम० डी० सी०, दिल्ली	14.30

भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए उपकरणों की सप्लाई

578. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम अब देश में सभी इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये उपकरणों की सप्लाई करने की स्थिति में है ;

(ख) सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के किन-किन इस्पात संयंत्रों ने भारी इंजीनियरिंग निगम को अब तक उपकरणों के आर्डर दिये हैं ;

(ग) क्या इन में से किन्हीं इस्पात संयंत्रों ने उन उपकरणों के लिये भी विदेशों में आर्डर दे रखे हैं जो भारी इंजीनियरिंग निगम के पास उपलब्ध हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां । हैवी इंजीनयरिंग कारपोरेशन अब इस स्थिति में है कि वह इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये बहुत से आवश्यक उपकरणों की सप्लाई कर सकता है ।

(ख) बोकारो स्टील लिमिटेड और भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने विस्तार के लिये आवश्यक उपकरणों की सप्लाई हेतु हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को क्रयादेश प्रस्तुत किये हैं । अन्य इस्पात संयंत्रों के विस्तार कार्यक्रमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) विदेशों को केवल ऐसे उपकरणों की सप्लाई के लिये क्रयादेश दिये गये हैं जिनका निर्माण हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप या उपकरणों के लगाने तथा चालू करने तक नहीं किया जा सकता है ।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा कोयला वितरण में से भ्रष्टाचार समाप्त करने संबंधी अभियान

579. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने कोयला खान और विशेष रूप से कोयला वितरण संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कोई योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ठोस उपाय किये गए हैं और इस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) तथा (ख) भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोयला खान प्राधिकरण ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें ये सम्मिलिति हैं—दोषी अधिकारियों का स्थानान्तरण तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, विक्रय प्रणाली को कारगर बनाना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य पुलिस प्राधिकारियों को सहायता प्राप्त करना और कोयला क्षेत्रों में सुरक्षा दल तैनात करना । इन उपायों से पर्याप्त सुधार हुआ है हालांकि अभी और अधिक सुधार की गुंजाइश है ।

रानीगंज क्षेत्र में कोयला खनन अधिकरण सतर्कता विंग

580. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान अधिकरण ने व्यापारियों द्वारा डिलीवरी आर्डर्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक छोटी सतर्कता विंग रानीगंज क्षेत्र में स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस संगठन के कार्यों के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) पूर्वी प्रभाग में कोयला खान प्राधिकरण के सतर्कता संगठन का एक प्रभागीय यूनिट है । इसके अतिरिक्त, कोयला खान प्राधिकरण के उस प्रभाग में सतर्कता टुकड़ियों का गठन किया गया है । ये टुकड़ियां अच्छा काम कर रही हैं । परन्तु उनके गठन अथवा उनकी कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया का ब्यौरा देना लोक हित में नहीं है ।

भारत द्वारा ब्रिटेन से 'निमरोड' नामक समुद्र में गश्त लगाने वाले विमान की खरीद

581. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिट्रेन से 'निमरोड' नामक अत्यन्त आधुनिक समुद्री गश्त लगाने वाला विमान खरीदने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा उनका मूल्य क्या है ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) समुद्री टोह लेने वाले उपयुक्त विमान प्राप्त करने पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यों के औषध नियंत्रण संगठनों के कार्यकरण में सुधार

582. **श्री एच० एन० मुकर्जी**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम
श्री सी० जनार्दनन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न राज्यों से कहा है कि वे अपने औषध नियंत्रण संगठनों के कार्यकरण में सुधार करें और नकली दवाओं के विरुद्ध देश व्यापी आन्दोलन चलाएं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) और (ख) जी, हां। सभी राज्य सरकारों को राज्यों में औषधि नियंत्रण संगठनों को सुव्यवस्थित करने के लिए लिख दिया गया था। अप्रैल, 1974 में नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की संयुक्त बैठक में भी इस बात पर जोर दिया गया था। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इस संयुक्त बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा भेज दिया गया था।

(ग) देश के विभिन्न भागों में संयुक्त खाद्य और औषधि प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) द्वारा कोयला खानों का विकास

583. **श्री भान सिंह भौंरा**
श्री के० एम० मधुकर
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कुछ खानों का विकास करने सम्बन्धी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के चेयरमैन ने अगस्त, 1973 में एक बैठक बुलाई थी,

(ख) क्या इस बैठक में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के प्रस्तावों से सहमत हो गया था जबकि राष्ट्रीय विकास निगम के अधिकारी सहमत नहीं थे; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित कोयला खानों की क्षमता के विस्तार के प्रस्ताव के बारे में एक समय यह मत व्यक्त किया गया था कि इस उद्देश्य से टिस्को द्वारा प्रस्तावित विस्तृत शक्यता अध्ययन में यदि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और भारत कोकिंग कोल लि० के समीपवर्ती क्षेत्र भी शामिल कर लिये जाएं जो यह अधिक लोक हित में होगा इस प्रश्न के तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए

भारत कोकिंग कोल लि० के अध्यक्ष ने अगस्त, 1973 में एक बैठक बुलाई थी। परन्तु इस बैठक में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा किसी विशिष्ट प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं था। सरकार के सामने कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि सरकारी क्षेत्र की किसी खान का काम 'टिस्को' द्वारा कराया जाये अथवा इस को किसी भी रूप में इन खानों के विकास कार्य में शामिल किया जाय। यह फैसला किया गया है कि 'टिस्को' द्वारा किया जाने वाला विस्तृत शक्यता अध्ययन केवल उनके नियंत्रणाधीन खानों तक ही सीमित होगा ।

निजी व्यापारियों द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश में कोयले के ढेर लगाना

584. **श्री भानसिंह भौरा**
श्री कमल मिश्र मधुकर
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में कोयले के ढेर और डीपों पहले सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने की योजना थी ;

(ख) क्या कोयला खान प्राधिकरण ने अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार में सात महत्वपूर्ण केन्द्रों में कोयले के ढेर और डीपो बनाने के लिए निजी व्यापारियों को अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो नीति में यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) कोयला खान प्राधिकरण चुने हुए स्थानों पर डीलरशिप आधार पर कोयले की टाल/डिपो खोल रहा है जिसके लिए राज्य सरकार के संगठनों और सहकारी समितियों को तरजीह दी जा रही है ।

खानों के मुहानों पर जमा कोयले में आग लगना

585. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मई के महीने में खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में जमा हो गये कोयले में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) हानि के बारे में सही-सही अनुमान देना संभव नहीं है ।

(ग) अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें जल-पाइप लाइनों की व्यवस्था, कोयला स्टैक्स की ऊंचाई को कम करना तथा रेल परिवहन के अनुरूप सुविधाएं जुटा कर उत्पादित कोयले की शीघ्र ढुलाई के लिए रेलवे के साथ समन्वय की बातें शामिल हैं ।

लद्दाख सीमा पर चीन की सेना तथा काश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तान की सेना का जमाव

586. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा रूसी ग्लोवल एयर इंस्पैकशन स्रोतों द्वारा प्राप्त समाचारों के अनुसार चीन ने लद्दाख की सीमा के साथ-साथ अपनी सेना का असाधारण रूप से जमाव कर रखा है ;

(ख) क्या काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक गति-विधियां भी बढ़ गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो काश्मीर की दोनों पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं के बारे में सरकार के पास कौन-कौन से तथ्य उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या चीन ने तिब्बत सीमा के साथ-साथ अपनी सेना का किसी प्रकार का असाधारण जमाव किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) जून और जुलाई 1974 के शुरू में नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई गोली-बारी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हमारी रिपोर्टों के अनुसार भी इस सीमा के साथ पाकिस्तानी सेना के युद्धाभयास और गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) उत्तरी सीमाओं के साथ चीनी सेना के किसी असाधारण जमाव की कोई बात नोटिस में नहीं आयी है।

मिलावट वाले मक्खन और पनीर पर लोक प्रिय मक्खन एवं पनीर ब्रांडो के लेबल लगाया जाना

587. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक व्यक्ति अपमिश्रित मक्खन और पनीर के डिब्बों आदि पर लोक प्रिय मख्खन और ब्रांडों के लेबल लगाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है और यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है ; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

स्कूटरों के मूल्यों में वृद्धि

588. **श्री मधु लिमये** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर निर्माताओं को मूल्य बढ़ाने की अनुमती देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न एककों को कितना-कितना मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) 15 जून, 1973 और 15 जून, 1974 को दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद और कलकत्ता में स्कूटरों का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या-क्या था ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 12-2-74 को बजाज और लम्ब्रेटा 150 सी सी स्कूटरों के कारखाने से निकलते समय के खुदरा बिक्री मूल्यों में (विक्रेता का कमीशन सहित) अस्थायी आधार पर क्रमश: 249 रु० और 883 रु० की वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी, यह वृद्धि इस शर्त के अधीन थी कि अंतिम मूल्य लागत की विस्तृत जांच के पश्चात् निर्धारित किया जायेगा। लागत की जांच के परिणाम स्वरूप सरकार ने बजाज स्कूटर के कारखाने से निकलते समय के खुदरा बिक्री मूल्य में 12-2-1974 को मूल्य में की गई वृद्धि के अलावा 1-6-1974 से 229 रु० की वृद्धि की अनुमति दी और लम्ब्रेटा 150 सी सी स्कूटर के मूल्य में 12-2-1974 को प्रचलित कारखाने से निकलते समय के खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। सरकार ने 17-7-1974 को अस्थायी आधार पर राजदूत स्कूटर 175 सी सी मॉडल के कारखाने से निकलते समय के खुदरा बिक्री मूल्य में (विक्रेता का कमीशन और चालक के पीछे की गद्दी) 485 रु० की वृद्धि की अनुमति दे दी है।

(ग) जानकारी निम्नलिखि है :

स्कूटर का माडल	स्थान का नाम	15-6-73 को बिक्री मूल्य रुपये	18-6-74 को बिक्री मूल्य रुपये
लम्ब्रेटा			
150 सीसी	दिल्ली	3331.94	4425.27
	बम्बई	3162.20	4218.75
	मद्रास	3486.85	4669.30
	बंगलौर	3437.60	4593.87
	हैदराबाद	3486.85	4669.30
	कलकत्ता	3461.38	4825.97
बजाज			
150 सी सी	दिल्ली	3182.70	3837.17
	बम्बई	3105.33	3783.85
	मद्रास	3304.08	4047.81
	बंगलौर	3236.28	3940.89
	हैदराबाद	3212.22	2888.12
	कलकत्ता	3270.81	3980.95
राजदूत			
150 सी सी	दिल्ली	3137.58	3486.82
	बम्बई	3137.58	3486.82
	मद्रास	3137.58	3486.82
	बंगलौर	3137.58	3486.82
	हैदराबाद	3137.58	3486.82
	कलकत्ता	3137.58	3486.82

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन में तालाबन्दी

589. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, मिर्जापुर में तालाबन्दी लागू थी ;

(ख) क्या तालाबन्दी सरकार को एल्यूमिनियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के लिये सहमत कराने हेतु करवायी गयी थी ;

(ग) क्या सरकार वृद्धि करने को सहमत हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) व (घ) : एल्यूमिनियम तथा उसके उत्पादों के मूल्यों में 23 मई, 1974 से जो वृद्धि हुई वह हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि० द्वारा लागू तालाबन्दी से सम्बद्ध नहीं थी । यह वृद्धि 24 मई, 1971 से एल्यूमिनियम तथा उसके उत्पादों के लिये नियंत्रित मूल्यों के निर्धारण के बाद एल्यूमिनियम उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण आवश्यक हो गई थी ।

हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों का सम्मेलन

590. **श्री मधु लिमये** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी नौसैनिक शक्तियों और हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के सम्मेलन का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया सरकार को मिली है; और

(ग) प्रस्तावित सम्मेलन कब और कहां होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पांचवीं योजना के दौरान कपड़ा बनाने संबंधी मशीनों की आवश्यकता

591. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री डी० डी० देसाई
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 31 मई, 1974 को कपड़ा मशीन विकास परिषद् से कहा था कि पांचवीं योजना के दौरान पुरानी मशीनों को बदलने तथा नई मशीनें लगाने के दोनों कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या उद्योग की प्रभावी क्षमता केवल 60 करोड़ रु० की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या कपड़ा मशीन उद्योग के विस्तार की योजनायें विचाराधीन हैं यदि हां, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कपड़ा मशीन उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 117 करोड़ रुपये की होने का अनुमान है ।

(ग) कपड़ा मशीन उद्योग को प्रतिवर्ष लगभग 90 करोड़ रुपये के उत्पादन स्तर तक बढ़ाया जा रहा है । अधिष्ठापित क्षमता का चयनात्मक विस्तार करके और नियतकालिक समन्वित ढंग से नई क्षमता उत्पन्न करके कपड़ा मशीन उद्योग की प्रभावी मांग पर्याप्त रूप से पूरी करना संभव होगा ।

इस्पात का आयात

592. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस वर्ष 800,000 मीटर टन इस्पात का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां , तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्ष 1974-75 के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा लगभग 11.3 लाख टन इस्पात आयात करने की सम्भावना है ।

(ख) मुख्यत: गर्म वेलित क्वायल, ठंडी वेलित चादर क्वायल, साधारण इस्पात की प्लेटें, संरचनात्मक , टिन प्लेटें और विद्युत इस्पात की चादरें आयात की जायेंगी ।

बहु-उद्देशीय और चिकित्सा कर्मचारियों का दल तैयार करने संबंधी प्रस्ताव

593. **श्री धामनकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिये समेकित चिकित्सा सुविधा की सरकारी नई नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिये बहु-उद्देशीय चिकित्सा कर्मचारियों का दल बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा): (क) जी, हां ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण अपनाया जायेगा कि स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मातृ शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सेवाओं का अधिक से अधिक एकीकरण किया जाए । एक उद्देश्यीय कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में बहूद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के रूप में परिवर्तित करने के लिये प्रयास किये जायेंगे ।

वर्तमान सहायक नर्सधात्रियों और महिला स्वास्थ्य वीक्षिकाओं का नया पदनाम महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य कार्य कर्ताओं, मलेरिया निगरानी कार्यकर्ताओं, चेचक वेक्सीनेटरों, स्वास्थ्य शिक्षा सहायकों (रोहे) और परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों का नया पदनाम पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता (मेलहेल्थ वर्कर) होगा।

यह योजना अलग-अलग चरणों में आरम्भ की जायेगी। प्रथम चरण में बहूद्देशीय कार्यकर्ताओं वाला कार्यक्रम 103 जिलों में आरम्भ होगा जहां मलेरिया अनुरक्षण चरण (मेंटिनेंस फेज) में चल रहा है और चेचक पर काबू पा लिया गया है। कार्यक्रम को उन अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जायेगा जहां मलेरिया अनुरक्षण चरण में पहुंच जाये अथवा जहां चेचक पर काबू पा लिया जाये।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के लगभग 55,000 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रशिक्षण के लिए तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार लगभग 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकर्ताओं का पहला समूह बहूद्देश्यीय कार्य वाले केन्द्रों के रूप में आगामी वर्ष के लगभग मध्य तक कार्य करना आरम्भ कर देगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कम उत्पादन

594. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उत्पादन बढाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) अप्रैल–जून, 1974 की अवधि में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में अधिक था जैसा कि नीचे दिखाया गया है : —

हजार टन

क्रम सं०	विवरण	अप्रैल-जून 1974 की तिमाही का उत्पादन			
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्यों की तुलना में अन्तर	
1	इस्पात पिण्ड	155	173	(+)	18
2	विक्रेय इस्पात	77	117	(+)	40

फिर भी निर्धारित क्षमता की तुलना में उत्पादन कम हुआ।

निर्धारित क्षमता की तुलना में कारखाने में कम उत्पादन होने के विभिन्न कारण हैं जो इस प्रकार है : कोक् भट्टियों तथा अन्य उपस्करों की स्थिति सन्तोषजतक न होना, गैस की कमी, उपस्करों में खराबी, दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर लगाए गए प्रतिबन्ध, रेल यातायात की कठिनाईयां और मालिक-मजदूर सम्बन्धों की समस्यायें। उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न

किये जा रहे हैं इसके लिए कई उपाय किये गये हैं जैसे कोक भट्टियों की मरम्मत, गैस की उपलब्धि बढ़ाने के लिए वैकल्पिक/सहायक ईंधनों का उपयोग, जहां तक सम्भव हो खुले मुंह की भट्टियों में आक्सीजन का प्रयोग, उपकरणों के बेहतर उपयोग के लिए रख-रखाव में सुधार, पूंजीगत कार्यक्रमों को शीघ्रता से पुरा करना और फालतू पुर्जों, तापसह ईंटों तथा अन्य आवश्यक कच्चे माल की योजनाबद्ध ढंग से प्राप्ति। जहां तक मालिक-मजदूर संबंधों का प्रश्न है त्रिस्तरीय सलाहकार मशीनरी की फिर से व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। जहां तक बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध है दामोदर घाटी निगम तथा सिंचाई और बिजली मंत्रालय के साथ निकट तथा सतत संपर्क बनाये रखा जा रहा है जिससे कारखानों को बिजली की सप्लाई में उच्चतम प्राथमिकता दी जाय।

संयुक्त राष्ट्र संघ के हिन्द महासागर संबंधी प्रतिवेदन में संशोधन

595. श्री आर वी० स्वामीनाथन्
श्री वी० मायावन } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा की गई आलोचना को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के हिन्द महासागर संबंधी प्रतिवेदन में संशोधन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो कितना ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कई सरकारों के जिनमें अमरीकी सरकार भी शामिल थी, विरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र महा सचिव ने तीनों विशेषज्ञों से हिन्द महासागर संबंधी रिपोर्ट का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया। यह रिपोर्ट 1973 में महासभा के 28वें अधिवेशन में पारित प्रस्ताव संख्या 3080 के अनुपालन में तैयार की गई थी।

विशेषज्ञों के बीच परस्पर तथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से परामर्श के बाद पहले वाली रिपोर्ट की जगह एक पुनरीक्षित रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में अब वर्णानुक्रम से पांचों बड़ी शक्तियों के संबंध में विचार किया गया है। सुविधाओं आदि के बारे में, जिन्हें संबंधित सरकारों ने अस्वीकार कर दिया था, उल्लेखों को या तो हटा दिया गया है या संशोधित कर दिया गया है। अन्य संदर्भों के साथ उन साधनों को भी दे दिया गया है जहां से वे प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट में न कोई निष्कर्ष दिया गया है और न कोई सिफारिश की गई है क्योंकि उसमें वर्तमान स्थिति का तथ्यपूरक विवरण ही देना था।

(ग) रिपोर्ट अभी हाल में ही निकली है और सरकार उसे देख रही है।

Postponement of Malaria Eradication Programme

596. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the "Malaria Eradication" programme under the Central Scheme with the aid from World Bank has been postponed since last two years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total aid received under this scheme so far and the extent of aid likely to be received in the future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): (a) to (c) The National Malaria Eradication Programme still continues as a Centrally sponsered scheme during the Fifth Plan period. However, it is not being assisted by the World Bank.

Suspension of proposed talks by Pakistan

597. Shri Shrikrishna Agrawal
Shri Jagannath Mishra } : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the suspension of the proposed talks by Pakistan for opening the communication system and trade between India and Pakistan is likely to have an adverse impact on the Simla Agreement; and

(b) if so, the reasons advanced by Pakistan and the reaction of Government of India thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) Pakistan's unilateral action in postponing the talks scheduled for June 10, 1974 for the implementation of some normalisation measures envisaged in the Simla Agreement was totally unjustified. Even before India's peaceful nuclear experiment of May 18, Pakistan had shown a lack of enthusiasm for implementing normalisation measures. Pakistan-negative step does not affect the Simla Agreement as Pakistan would ultis mately realise that the implementation of measures for normalisation and the establishment of durable peace between the two countries is in the mutual interest of the two countries.

ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यौलगौरा

598. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री ईंधन अनुसंधान संस्थान ज्यौलगौरा के बारे में 7 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2229 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० एफ० आर० आई० धनबाद, द्वारा तैयार किये गये 29 अक्टूबर, 1971 के प्रतिवेदन संख्या जे० एच० सी०/71/21 और जे० एच० सी०-71/28 कोयला खानों के सरकारी प्रबन्धकों को उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या ह और नमूने के राख तत्व के अनुसार कोयले क ग्रड क्या थे और नमूने किसने लिये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयला बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र के कोयला खानों को अपना उत्पादन सीमित करने के लिए कहना

599. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड ने मई, 1972 में महाराष्ट्र की कोयला खानों को परामर्श दिया था कि वे रेत भराई (स्टोंग) द्वारा उत्पादन सीमित करें ;

(ख) यदि हां, तो, जून, 1971 से जून, 1972 की तुलना में जून, 1972 से मई, 1973 के दौरान उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है तथा उपरोक्त अवधि में और जून, 1973 से मई, 1974 तक कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) विकास और रेत भराई (स्टोंग) द्वारा खम्बे हटा कर उक्त अवधि में उपादन के आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सभी भराई कोयला खानों को भराई द्वारा उत्पादन को नियंत्रित करने तथा विकास द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(ख) महाराष्ट्र के भराई कोयला खानों का जून, 1972 से मई 1973 तक का कुल उत्पादन 14.03 लाख टन, जून, 1971 से मई 1972 तक 12.96 लाख टन तथा जून, 1973 से मई, 1974 तक का 11.9 लाख टन (लगभग) था।

(ग) विकास द्वारा जून, 1972 से मई, 1973 तक का उत्पादन	11.98 लाख टन
जन, 1971 से मई, 1972 तक का उत्पादन	11.98 लाख टन
जून, 1973 से मई, 1974 तक का उत्पादन	10.36 लाख टन (लगभग)
भराई के साथ मांगों को हटा कर उत्पादन जून, 1972 से मई, 1973 तक	2.05 लाख टन
जून, 1971 से मई, 1972 तक	1.56 लाख टन
और जून, 1973 से मई, 1974 तक	1.54 लाख टन (लगभग) था।

सिल्चर के निकट मेहरपुर में भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

600. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिल्चर के निकट मेहरपुर में भारतीय वायु सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्, भारतीय वायु सेना का एक विमान 7 जून, 1974 को सिल्चर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ।

(ख) और (ग) दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच-अदालत के आदेश दे दिए गए हैं । जांच-अदालत की कार्रवाई को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है :

कोयला उत्पादन क्षेत्रों में संचार संबंधी आधारभूत ढांचे का विकास

601. **श्री धामनकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उत्पादन क्षेत्रों में संचार संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास के लिये एक पृथक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में विचाराधीन है और इस योजना के लिये क्या मुख्य बातें सोची गयी हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां ।

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र झरिया में सड़क, सफाई आदि जैसी अवस्थापन सुविधाओं की देखभाल के लिए एक एकीकृत विकास प्राधिकरण की स्थापना के बारे में बिहार सरकार से सलाह ली गई है । किन्तु किसी ठोस प्रस्ताव के तैयार होने में कुछ समय लगेगा ।

चीन के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भोज से भारतीय राजनयिक का उठकर चला जाना

602. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजनयिक 12 मई, 1974 को चीन के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के सम्मान में दिये गये भोज से उस समय उठकर कर चले गये थे जहाँ चीन के उप-प्रधान मंत्री ने काश्मीर की जनता के आत्म निर्णय के अधिकार के संबंध में चीन के समर्थन का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में चीन सरकार को विरोध पत्र भेजा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह बहिर्गमन स्वयं एक विरोध ही था । चीन लोक गणराज्य की सरकार से अलग से कोई और विरोध प्रकट नहीं किया गया ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

603. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा } : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में कारखाने के कार्यकरण सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिये और उत्पादन में सुधार करने के लिए उपयुक्त समाधान के बारे में सुझाव देने के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों को निदेशक बोर्ड में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फार्म मजदूरों तथा कृषि श्रमिकों की मजदूरी को निर्धारित करने के लिए विधान

604. श्री सरजू पांडे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फार्म मजदूरों तथा कृषि श्रमिकों की मजदूरी को निर्धारित करने के लिए विधान लानें का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) एक वर्ष में कुल कितने दिनों के लिए उन्हें काम मिलता है तथा उनके द्वारा कितनी मजदूरी अर्जित की जाती है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं। कृषि में नियोजन पहले ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1943 के अन्तर्गत आता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन मामलों के संबंध में कोई हाल की सूचना उपलब्ध नहीं है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद् की कार्मिक नीतियों का आत्मनिर्भरता के अनुरूप न होना

605. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद् की कार्मिक नीतियों से आत्मनिर्भर होने सम्बन्धी वांछित परिणाम निकलने की सम्भावना नहीं है क्योंकि वे दूसरे विश्व युद्ध से पहले के ब्रिटिश-ढांचे पर आधारित है ; और

(ख) क्या उनका विचार देश में अनुसंधान एवं विकास को कार्यात्मक आधार पर पुनर्गठित करने और उस से प्राप्त परिणाम पर स्पष्ट निर्देश देने के लिए कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास की कार्मिक नीतियों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। रक्षा विज्ञान सेवा सन् 1953 में बनायी गई थी और सन् 1967 में इस पर पुनर्विचार किया गया था और नई आवश्यकताओं को देखते हुए इस पर फिर विचार किया जा रहा है।

माना शिविर के प्रतिनिधियों के साथ भेंट

606. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिविर के शरणार्थियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में नई दिल्ली में उनसे भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधियों की मुख्य मांग नकद अनुदान में 10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वृद्धि करने की थी। शिविरों में रह रहे सभी नए प्रवासी परिवारों के नकद अनुदान में 10-5-74 से 5/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वृद्धि मंजूर कर दी गई थी।

उन परिवारों को, जिन्होंने शिविरों से पुनर्वास स्थलों तथा कार्य-स्थलों (कर्मी शिविरों) में जाने की सहमति दे दी है, 19–6–74 से 5/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से अतिरिक्त वृद्धि की मंजूरी दे दी गई थी। यह वृद्धि निम्नलिखित को भी लागू होती है :—

(i) वे प्रवासी परिवार जो पहले ही कार्य-स्थलों (कर्मी शिविरों) में हैं।

(ii) वे परिवार जो पहले ही पुनर्वास स्थलों में हैं और जो वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत भरण-पोषण सहायता पाने के लिए पात्र हैं।

(iii) शिविरों और गृहों में रह रहे स्थायी दायित्व परिवार।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये मामले

607. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान अब तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत कुल कितने मामले दर्ज किये गये हैं; और

(ख) खाद्य अपमिश्रण के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जनवरी से जून, 1974 की अवधि में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत खाद्य में मिलावट करने के 335 मामले दर्ज किये गये है।

(ख) अपराधियों के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमें चलाये गये हैं/चलाए जा रहे हैं।

चीन की भारत के प्रति नीति में परिवर्तन

608. **श्री महेंद्र सिंह गिल**
श्री श्याम सुन्दर महापात्र } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में भारत के प्रति चीन की नीति में महत्वपुर्ण परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत के प्रति चीन की सरकारी नीति में पिछले कुछ महीनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट के लिए रूस द्वारा उपकरणों की सप्लाई

609. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को पुनः आश्वासन दिया है कि वह हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्लांट के योजनाबद्ध विस्तार के लिए उपकरणों और कल-पुर्जों की शीघ्र सप्लाई करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारी विद्युत संयंत्र, हरिद्वार म विस्तार कार्यक्रम की कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय करण के बाद कोयला उद्योग का कार्य-निष्पादन

610. **श्री महेन्द्र सिंह गिल**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के बाद कोयाल उद्योग के कार्य निष्पादन में आशानुसार सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) क्या इन असफलताओं के प्रभावों का, उद्योग का कोकिंग और गैर-कोकिंग के रूप में कृत्रिम श्रेणीकरण करके और प्राधिकार की रेखाओं तथा प्रबन्धकों के उत्तरदायित्व आदि का उल्लंघन करके संयोजन कर दिया गया है ; और

(ग) क्या देश में कोयले की सप्लाई में सुधार करने और विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिये रक्षित कोकिंग कोल सुविधाओं की व्यवस्था कर के खनन की स्थिति में भी सुधार करने के लिये कुछ उपाय करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जनवरी, 1973 में अकोककर कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के बाद के पहले वर्ष अर्थात् 1973–74 में कोयला उद्योग के उत्पादन में 1972-73 के उत्पादन की तुलना में लगभग 16 लाख टन की वृद्धि हुई थी। उत्पादन की इस वृद्धि को एकदा संतोषजनक समझा गया था क्योंकि यह राष्ट्रीयकरण के कारण इस उद्योग के सामने उपस्थित अनेक समस्याओं यथा––भूतपूर्व निजी खान स्वामियों द्वारा खानों में पूंजी निवेश न करने, कामगारों के समुचित वर्गीकरण, और नियमित न होने, मजदूरी, बोर्ड के कार्यान्वयन, बिजली की कमी आदि के बावजूद प्राप्त हुई थी।

(ख) जी, नहीं। वास्तव में कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल विभिन्न सुस्पष्ट भौगोलिक इलाकों में खानों का प्रबंध करता है, जो अच्छे प्रबंध में सहायक है। दोनों को ही एक निश्चित सीमा तक सुस्थापित प्रबंध के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

(ग) देश में कोयले की पूर्ति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में कोयले की टालें खोलने, कोयला परिवहन को, विशेषकर बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्र में, युक्ति संगत बनाने, वैगन सप्लाई में सुधार हेतु रेलवे के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखने जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। खानों के पुनर्निमाण तथा पुनर्गठन तथा कार्य प्रणाली में सुधार के उपाय भी किए जा रहे हैं। गैर-सरकारी इस्पात कारखानों की ग्रहीत कोयला खानों को छोड़कर सभी खानें, सरकारी क्षेत्र में हैं तथा समूचे कोककर कोयले के वितरण पर कानूनी नियंत्रण है। अतः विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए अलग से ग्रहीत कोककर कोयला खानों को सुविधा देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी

611. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी औद्योगिक श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी की गारण्टी देने के संबंध में सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन की मांग को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसको क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जैसा कि लोकसभा में पहले ही 7 मार्च, 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2345 के उत्तर में सूचित किया गया है, सरकार का इस समय आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में इस्पात परियोजना की पूंजी लागत

612. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस्पात परियोजना की पूंजी लागत इस समय अधिकतम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1973 में बिजली की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों को हुई हानि

613. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में बिजली की कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एलाय इस्पात संयंत्र को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस प्रकार की हानियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अनुमान है कि वर्ष 1973–74 में बिजली की कमी और/अथवा कोयला खानों में बिजली की कमी के परिणामस्वरूप कोयले की कमी के कारण भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में 1,54,000 टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की हानि हुई। इसी कारण से दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने में 14,300 टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन की हानि हुई।

(ख) सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों तथा सबन्धित राज्य सरकारों से निकट तथा लगातार संपर्क बनाये रखा जा रहा है। इन कारखानों की बिजली पैदा करने की रक्षित क्षमता को बढ़ाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कोक भट्टी बैटरियों का सामान्य कार्यकरण

614. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कोक भट्टी बैटरियां अपना सामान्य कार्यकरण कब से आरम्भ कर देगी और गैस और कोयले के मामले में समस्त संयंत्र क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगी ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आशा है कि कोक ओवन बैटरियों की मरम्मतों/पुनर्निर्माण से, जो इस समय चल रही है निर्धारित लक्ष्य तक उत्पादन करने के लिए जनवरी 1975 तक बैटरियों से आवश्यकता से भी अधिक उत्पादन हो जायेगा, बशर्ते कि कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाए। गैस की सप्लाई में सुधार अपेक्षित वाष्पशील अंश के कोयले की लगातार उपलब्धि पर निर्भर है।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती द्वारा एलाय एंड हाई कार्बन स्टील वायर राड मिल स्थापित किया जाना

615. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती ने 60,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली 5.5 से 16 मिलीमीटर आकार वाली एक एलाय एण्ड हाई कार्बन स्टील वायर राड मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस योजना के लिए, मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैण्टस (इंडिया) लि० द्वारा शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और इस प्रतिवेदन के तैयार हो जाने पर ही इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। उत्पादित तार छड़ों का प्रयोग तार बनाने वाले उद्योगों द्वारा भिन्न-भिन्न साईज के तारों का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। इस कम्पनी को एक आशय पत्र दिया गया है जो एक वर्ष के लिए वैध है।

विजयवाड़ा में कच्चे लोहे की सप्लाई

616. **डा० के० एल० राव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में, जहां पर कच्चे लोहे की मासिक आवश्यकता 5,000 टन की ह केवल 50 टन ही कच्चे लोहे की सप्लाई की जा रही है ;

(ख) सप्लाई में इस कमी के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) सप्लाई को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

अधिकतम उत्पादन के लिये कोयला खान प्राधिकरण को 225 करोड़ रुपये दिया जाना

617. **श्री गजाधर माझी**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयला खान प्राधिकरण की वर्ष 1974–75 और 1975–76 में अधिकतम उत्पादन करने के लिये 225 करोड़ रुपये खर्च करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो मशीनों और संयंत्रों तथा अन्य मदों की खरीद के लिये आबंटित धनराशि का मोटा ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ग) विभिन्न खानों में इस समय कोयले का कुल कितना उत्पादन होता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान प्राधिकरण को उसके पांचवी योजना कार्यक्रम के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई की अनुमति दी गई है, जिसके लिए 1974–75 और 1975–76 के लिए 225.24 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है।

(ख) इस 225.24 करोड़ रुपये की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद के लिए 219.19 करोड़ रुपये।

(ii) अवस्थापन (आधार भूत सामग्री) के विकास के लिए 6.05 करोड़ रुपये। उपर्युक्त व्यय पांचवीं योजना के अंत, अर्थात् 1978-79 तक कुल उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 460 लाख टन कर देने से संबंधित है।

(ग) कोयला खान प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों और क्षेत्रों के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 के वार्षिक उत्पादन आंकड़े, अनुबन्ध में दर्शाए गए हैं।

विवरण

1973-74 के दौरान कोयला खान प्राधिकरण लि० के कोयला उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

प्रभाग/क्षेत्र		उत्पादन मिलियन टन में
पूर्वी प्रभाग		
दिशेरगढ		3.39
श्रीपुर		3.18
सतग्राम		3.47
कजोर		4.84
पाण्डेश्वर		4.14
मुग्मा		2.03
	योग	21.05
केन्द्रीय प्रभाग		
अरगदा हजारीबाग		3.58
कारगली		3.21
कठारा		1.65
उत्तरी कर्णपुरा		1.69
रामगढ़		2.46
सिंगरौली		1.91
तालचेर		1.05
	योग	15.55
पश्चिमी प्रभाग		
बैकुण्ठपुर		2.18
चिरी-मिरी		2.41
कोरबा		2.98
नागपुर		1.91
पेंच		3.40
सोहागपुर		2.34
वर्धा		1.23
	योग	16.45
असम		
असम		0.41
	कुल योग	53.46

कोयला खान आयोजन और डिजाइन संस्थान

618. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान आयोजन और डिजाइन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान की पहले ही स्थापना की जा चुकी है जिसका मुख्यालय रांची में है। रांची के इस संस्थान के तीन स्थानीय संस्थान—एक आसनसोल में, एक धनबाद में तथा एक नागपुर में—होंगे जिन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो चरणों में स्थापित किया जायेगा। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० का वर्तमान आयोजन तथा डिजाइन सेल रांची के केन्द्रीय संस्थान का केन्द्र है और भारत कोकिंग कोल लि० का आयोजन तथा डिजाइन सेल धनबाद के क्षेत्रीय संस्थान का केन्द्र होगा।

रांची का केन्द्रीय संस्थान अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कोयला खानों/खान क्षेत्रों के लिये परियोजना आयोजन तथा डिजाइन तैयार करने का काम और प्रयुक्त अनुसंधान के मानकीकरण, प्रतीकीकरण समन्वय तथा समेकन का कार्य, कोयला खनन उद्योग की नई तकनीकों के विकास परिप्रेक्ष्य आयोजन तथा स्थानीय कोयला समन्वेषण का कार्य कर रहा है। यह संस्थान कोयला उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यथा समय नयी खानों के आयोजन तथा डिजाइन तैयार करने और वर्तमान खानों के आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण का काम हाथ में लेगा।

हाल की रेलवे हड़ताल के दौरान एच० एस० एल० को उत्पादन की हानि

619. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की रेलवे हड़ताल के कारण एच० एस० एल० को उत्पादन की भारी हानि हुई है; और

(ख) क्या रेलवे हड़ताल के दौरान सरकार इस्पात संयंत्रों को अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई करने में सफल रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 1973–74 की अन्तिम तिमाही में रेल द्वारा ढुलाई में गड़बड़ी हो जाने के परिणामस्वरूप परिचालन में हुई गड़बड़ी तथा रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये 1974–75 की प्रथम तिमाही के लिये उत्पादन लक्ष्य कम रखे गये थे ताकि सामान्य परिचालन पुनः आरम्भ करने से पहिले कच्चे माल का स्टाक किया जा सके। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कारखाना अचानक बन्द न करना पड़े इससे बचने के लिये जब कि अप्रैल, 1974 में पूरे महीने उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा रहा, मई, 1974 के आरम्भ से कारखाने की प्रौद्योगिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर इन्हें न्यूनतम स्तर पर चलाना पड़ा और कई इकाइयों को बन्द कर दिया गया था। परिणामतः मई, 1974 में भिलाई

दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन 1,69,000 टन हुआ जबकि अप्रैल, 1974 में इसका उत्पादन 2,10,000 टन हुआ था। फिर भी हड़ताल के दौरान इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की संतोषजनक स्तर पर सप्लाई बनाये रखी गई परिणामस्वरूप इसके स्टाक में काफी सुधार हुआ।

दक्षिण भारत में तीन इस्पात कारखानों के निर्माण चरण

620. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण भारत में उन तीन इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस चरण पर है जिसकी आधारशिला 1971 में रखी गई थी; और

(ख) क्या इनका निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है तथा इन में से प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम्, विजय नगर और सलेम के तीन नए इस्पात कारखानों के लिये निर्माण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन में बताया जाएगा। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, विशाखापत्तनम और विजयनगर इस्पात कारखानों के लिये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कार्रवाई कर रही है। जहां तक सलेम इस्पात प्रयोजना का संबंध है विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और इस वर्ष के अन्त तक इसके प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। इसके साथ-साथ सलेम प्रायोजना, के प्रथम चरण का इंजीनियरी कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है। इस चरण में बेदाग इस्पात की ठण्डी बेलित चादरें और स्ट्रिप तैयार करने के लिये एक ठण्डी बेलन मिल स्थापित करने का विचार है। पांचवीं योजना के अन्त तक कारखाने के इस चरण का कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है।

जहां तक विशाखापत्तनम् और विजय नगर इस्पात प्रायोजनाओं का सम्बन्ध है, भूमि-अर्जन तथा अवस्थापन सुविधाओं का विकास कार्य चल रहा है। इन कारखानों में छटी योजनावधि में उत्पादन आरम्भ करने का कार्यक्रम बनाया गया था।

गत दो वर्षों में देश में चेचक के मामलों में वृद्धि

621. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी**
श्री राम कुंवर } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान हमारे देश में चेचक रोग बहुत बढ़ गया तथा घातक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों में कितने व्यक्ति चेचक से पीड़ित हुये और राज्यवार कितने व्यक्तियों की इस रोग से मृत्यु हुई; और

(घ) देश में चेचक उन्मूलन के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) पिछले वर्ष खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में चेचक की घटनाओं में स्पष्टत: वृद्धि हुई है।

(ख) प्राथमिक टीके न लगे हुये लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना, काफी दिनों से चले आ रहे अन्ध विश्वास के कारण कुछ लोगों द्वारा टीके का निरोध करना और अज्ञात रोगियों का पता लगाने के लिये समूचे देश में तीव्र खोज का किया जाना ही चेचक की घटनाओं में वृद्धि के कारण हो सकते हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8041/74)।

(घ) पिछले वर्ष से चलाये गये चेचक निरोधी तीव्र अभियान के अधीन राज्य सरकारों ने जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाने के लिये मुख्यत: उत्तरदायी हैं, रोगियों का पता लगाने के लिये स्वास्थ्य कार्मिकों को नियुक्त कर दिया है तथा परिवहन की सुविधाएं भी दे दी हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को सहायता देने के लिये शीघ्र उपाय बरते हैं ताकि वे वर्तमान स्थिति का मुकाबिला कर सकें। जिन राज्यों में यह रोग स्थानिकमारी के रूप फैला हुआ हो वहां पर चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये तैनात सामान्य कर्मचारियों के अतिरिक्त, वरिष्ठ महामारी वैज्ञानिकों के अधीन निगरानी दलों की संख्या 22 से बढ़ा कर अब 73 कर दी गई है और जहां पिछले साल 15 निरोधी दल काम कर रहे थे अब 69 दल काम कर रहे हैं। सक्रियरूप से रोकथाम कार्य सुनिश्चित करने के लिये इन दलों को काफी संख्या में अतिरिक्त गाड़ियां भी दे दी गई हैं। वैक्सीन, द्विशिरावाली सुइयां और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री काफी मात्रा में दी गई हैं और इनकी पर्याप्त् मात्रा रिजर्व रखी जाती है।

हड़ताल की अवधि के दौरान मजूरी का भुगतान करने बारे में राष्ट्रीय मजूरी नीति

622. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हड़ताल की अवधि के दौरान मजूरी का भुगतान करने के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

हिंडाल्को में तालाबन्दी समाप्त करना

623. **श्री झारखण्ड राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंडाल्कों (उत्तर प्रदेश) में तालाबन्दी समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सब मजदूरों और कर्मचारियों को काम पर लौट आने की अनुमति दी गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य मुख्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप के बाद 8 मई, 1974 को इस एकक में तालाबंदी उठा ली गई थी। बताया गया है कि उन 17 कर्मचारियों के सिवाय, जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, सभी ने ड्यूटी आरम्भ कर ली है और रिपोर्ट मिली है कि यह एकक अब सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

तालाबन्दी के कारण हिंडाल्कों में उत्पादन की हानि

624. **श्री झारखण्ड राय** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 अप्रैल, 1974 को प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी घोषित किये जाने के कारण हिंडाल्को में कितने उत्पादन की हानि हुई; और

(ख) प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी करके उत्पादन में बाधा डालने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यतः राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य मुख्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप के बाद इस एकक में 8 मई, 1974 को तालाबन्दी उठा ली गई थी और सूचना मिली है कि अब यह एकक सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

कानपुर के अस्पताल में मिलावटी ग्लूकोज की सप्लाई

625. **श्री झारखण्ड राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर के अस्पतालों में मिलावटी ग्लूकोज सप्लाई करने वाली फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : जी, हां। घटिया किस्म का ग्लूकोज सप्लाई करने वाली फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभ तथा हानि

626. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान उन के मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ तथा हानि का क्या ब्यौरा है तथा वर्ष 1972–73 और 1971–72 में इनकी स्थिति क्या थी; और

(ख) उन उपक्रमों की कुल परिसम्पत्तियां कितनी हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8042/74)।

कोलार की सोना खानों में सोने की उत्पादन लागत

627. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 में जुलाई, 1974 तक कोलार खानों में सोने का उत्पादन कितना था ;

(ख) प्रति औंस उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या कोलार सोने की औसत उत्पादन लागत अनेक देशों की उत्पादन लागत की तुलना में अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1972-73, 1973-74 तथा 19 जून, 1974 तक के दौरान कोलार खानों से सोने का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

	लाख ग्रामों में
1972-73	20·00
1973-74	18·02
1974-75 (19 जून, 1974 तक)	4·19

(ख) सम्बन्धित वर्षों में स्वर्ण उत्पादन लागत इस प्रकार रही है :–

	प्रति औंस
1972-73 (वास्तविक)	1,013·54 रुपये
1973-74 (संशोधित बजट)	1,252·26 रुपये
1974-75 (बजट)	1,324·79 रुपये

(ग) तथा (घ) अन्य देशों की तुलनात्मक लागत की जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु कोलार में अयस्क की कोटि में गिरावट तथा अन्य बढ़ती हुई लागतों से उत्पादन लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

कोयला उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए सी० एम० ए० दल का रूस का दौरा

628. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण (सी० एम० ए०) का तीन सदस्यीय दल कोयला खानों के विकास हेतु तकनीकी सहयोग प्राप्त करने और कोयला उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिये रूस गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या परिणाम रहा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण के 3 अधिकारियों के एक दल को रूस निर्मित कोल कटर्स टाइप यूराल-33 और कोल फेश उपकरण जैसे लांगवाल में इस्तेमाल किये जाने वाले रेंजिंग ड्रम शियर्स की उपादेयता की परख हेतु 15 दिन के लिये रूस भेजा गया था । इस दल ने इन दोनों किस्म के उपकरणों पर अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । दल के विचारणीय विषय में कोयला खानों के विकास हेतु तकनीकी सहयोग और कोयला उत्पादन में वृद्धि पर विचार विमर्श करना शामिल नहीं था ।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में सैनिक अधिकारियों को मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट के रूप में नियुक्त करना

629. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुखत्यार सिंह मलिक } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधारने के लिये वहां सैनिक अधिकारियों को मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां ऐसे अधिकारियों को अब तक नियुक्त किया जा चुका है ; और

(ग) शेष केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को, यदि कोई है, तो ऐसे अधिकारियों के अधीन न करने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों के पद पर सैनिक अधिकारी को नियुक्त करने के लिये कोई आम फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) 4 जनवरी, 1973 से तीन साल के लिये नई दिल्ली स्थित विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों के पदों पर दो ए० एम० सी० के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ।

(ग) चूंकि अन्य केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों के पदों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी, जो अस्पताल प्रशासन का आवश्यक अनुभव रखते हैं, संभाले हुए हैं, अतः उन्हें ए० एम० सी० अधिकारियों के अधीन रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रक्षा सेवाओं में अधिकारियों एवम् अन्य रैंकों के कर्मचारियों के वेतन-मान तथा पेंशन

630. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के बाद से अन्य केन्द्रीय सेवाओं को लाभ देने के बाद रक्षा सेवाओं के अधिकारियों तथा अन्य रैंकों के कर्मचारियों के वेतन-मान तथा पेंशन बढ़ा दिये गये हैं ; और

(ख) अब तक इस बारे में क्या निर्णय किया गया है और यदि उनके वेतन-मान पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं तो उसमें विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) अफसर पद से नीचे सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन-मान बढ़ाने के लिये निर्णय ले लिया गया है । बढ़ौतरी के ब्यौरों के विवरण संलग्न हैं । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8043/74) इसके परिणामस्वरूप पेंशन की दरों में भी बढ़ौतरी होगी जिसकी दरों का हिसाब लगाया जा रहा है ।

अफसरों के वेतन-मानों में सुधार करने और उसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन पर प्रभाव के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ।

बीड़ी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरी का क्रियान्वयन

631. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **श्रम** मंत्री 21 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मजूरी के संबंध में 17 जनवरी, 1973 को राज्य श्रम मंत्रीयों की बैठक में लिए गए निर्णय को सब सम्बद्ध राज्य सरकारों ने क्रियान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार न्यूनतम मजूरी दर कितनी है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में उक्त निर्णय को कहाँ तक क्रियान्वित किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8044/74) ।

खेत मजदूर यूनियन का ज्ञापन

632. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेत मजदूर यूनियन, नई दिल्ली की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में, भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने सरकार से कृषि श्रम श्रमिकों की दशाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित तुरन्त उपाय करने के लिये अनुरोध किया है :—

(1) राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरियां पिछड़े हुए क्षेत्रों में 4रु पये से 10 रुपये तक की दर से और सिंचाई किए गए और विकसित क्षेत्रों में जहां वाणिज्यिक फसलें पदा की जाती हैं, रुपये से 10 रुपये तक की दर से निर्धारित की जानी चाहिए ।

(i) आधुनिक फार्मों में काम करने वाले कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में, काम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उच्चतर मजदूरी दरें निश्चित की जायें। उन्हें रोजगार की सुरक्षा, मंदी के मौसम के दौरान बेरोज़गारी भत्ते, भविष्य निधि के लाभों, कर्मकार प्रतिकर आदि की गारंटी भी दी जानी चाहिए।

(ii) फार्मों के ऐसे नौकरों की मजदूरियों को भी उच्चतर दर पर निर्धारित किया जाना है, जो सारे वर्ष के लिए नियोजित किये जाते हैं।

(iii) मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की मजदूरियां बढ़ाने की व्यवस्था की जाये।

(iv) मज़दूरियों का भुगतान पुरुषों और महिलाओं के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन के आधार पर होना चाहिये।

(v) कृषि श्रमिकों के संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए मज़दूरी पुनरीक्षा अधिकरण बनाए जाएं।

(vi) जब श्रमिक दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त हो जायें तो प्रतिकर के भुगतान के लिये उपबन्ध बनाया जाये।

(2) सभी राज्यों में और केन्द्र में केरल कृषि मज़दूर प्रतिकर अधिनियम के नमूने पर व्यापक विधान तुरन्त पास किया जाना चाहिये।

(3) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम और कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित अन्य उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों में और केन्द्र में अलग-अलग प्रशासकीय तंत्र (श्रम विभाग) सृजित किया जाए। सभी स्तरों पर ऐसे तन्त्र के अपने एकक होने चाहिएं और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम को प्रवृत करने के प्रयोजन के लिये प्रत्येक ताल्लुक के लिये काफी संख्या में निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए।

(4) कृषि श्रमिकों को खाद्यान, कपड़े और अन्य अनिवार्य वस्तुओं का सम्भरण साहाय्य प्राप्त दरों पर किया जाए। प्रत्येक गांव में कृषि श्रमिकों को इन सभी वस्तुओं का सम्भरण करने के लिये एक दुकान अवश्य होनी चाहिये।

(ग) इन मांगों की जांच की जा रही है।

मैसर्स कुमारडुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट का समाप्त किया जाना

633. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० कुमारढुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन दी गई छूट बिहार सरकार ने सितम्बर, 1973 में समाप्त कर दी थी और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बिहार, पटना ने एक छूट प्राप्त कारखाने के रूप में आदेश का

पालन करने के लिये प्रबन्धकों को जनवरी, 1974 में आदेश जारी किये और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार द्वारा इस प्रकार का विलम्ब प्रबन्धकों के लिये एक वरदान सिद्ध हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों से आदेशों का शीघ्र पालन न कराने के लिये उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) मैसर्स कुमारडुबी इंजीनियरिंग वर्क्स, धनबाद को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन दी गई छूट को बिहार सरकार ने सितम्बर, 1973 में वापस ले लिया था। इसलिये यह प्रतिष्ठान छूट को रद्द करने की तारीख से इस अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आ गया है। क्षेत्री भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने 23 जनवरी, 1974 को प्रतिष्ठान को निदेश दिया कि वह, छूट न प्राप्त एकक के रूप में अनुपालन शुरु करें। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ओर से किये गये विलम्ब से इस प्रतिष्ठान की एक छूट-न-प्राप्त एकक के रूप में अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने की तारीख पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) क्षेत्रीय आयुक्त के निदेशानुसार प्रतिष्ठान ने अभी अनुपालन करना शुरु नहीं किया। यदि प्रतिष्ठान चूक करना जारी रखता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का और साथ ही समस्त विलम्बित भुगतान के लिये बकाया देय राशि का 100 प्रतिशत तक हरजाने लगाने का भी विचार है। इसे दृष्टि में रखते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार की मैसर्स पार्श्व प्रोपर्टीज को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्राप्त छूट का वापस लिया जाना

634. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली मैसर्स पार्श्व प्रोपर्टीज को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत जो छूट प्राप्त थी, क्या वह वापस ले ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया था और क्या उसका प्रबन्ध तब से बिना छूट प्राप्त एकक की भाँति अधिनियम का पालम करता आ रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई जिस से वह अधिनियम का पालन ठीक से करे ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी, हां।

(ख) यह छूट 28-12-1967 को वापस ले ली थी। इसलिये प्रतिष्ठान द्वारा एक छूट प्राप्त एकक के रूप में अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बकाया देय राशियों का अधिनियम की धारा 7क के अधीन एकतरफा निर्णय किया है और अक्तूबर, 1973 तक की अवधि संबंधी भविष्यनिधि को बकाया राशियों के लिये तथा उस राशि के लिये, जो छूट के रद्द किये जाने पर अन्तरित की जानी है, राजस्व वसूली कार्यवाहियां शुरू की हैं। जनवरी, 1968 से जून, 1970 तक की अवधि के लिये चूक के संबंध में राज्य सरकारों को पहले भेजे गये अभियोजन प्रस्ताव भविष्य निधि आयुक्त को अभी तक लौटाए नहीं गए हैं और राज्य सरकार ने कोई मंजूरी जारी नहीं की है। तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उपर्युक्त अवधि संबंधी बकाया राशियों के बारे में नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिये कार्यवाही कर रहा है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने नवम्बर, 1973 से मई, 1974 तक की अवधि के लिये धारा 7 के अन्तर्गत भविष्य निधि की देय राशियों का निर्धारण करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

कर्मचारी भविष्य निधि के बिहार स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

635. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के बिहार स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण संबंधी अनेक अभ्यावेदन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पटना कार्यालय और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के दिल्ली कार्यालय में विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने अभ्यावेदन हैं और सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में निर्णय करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) केन्द्रीय भाविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में कोई अभ्यावेदन अनिर्णीत नहीं पड़ा है। उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण हेतु बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के 14 कर्मचारियों से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में 1971 में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इन कर्मचारियों की नियमानुसार पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय को 1973 में उपयुक्त अनुदेश जारी किए गए थे क्षेत्रीय आयुक्त को इस सूची को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है।

जिन 14 कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, उनके नाम संलग्न विवरण में उल्लिखित किए गए हैं।

(ग) संबंधित अधिकारियों की वरिष्ठता को अन्तिम रूप देने में विलम्ब मुख्यत: उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में रिक्त स्थानों को भरने के लिए जनवरी, 1972 में पदोन्नति के कोटे में परिवतन के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप विरोध अभ्यावेदन किए गए ।

विवरण

क्रमांक	नाम
1	श्री आर० एस० सिंह
2	श्री बी० एम० प्रसाद
3	श्री के० एन० प्रसाद
4	श्री एन० के० पी० सिंह
5	श्री एन० सी० मित्रा
6	श्री एम० एल० सेन गुप्ता
7	श्री ओ० पी० वर्मा
8	श्री गणेश प्रसाद
9	श्रीमती सुलेखा झा
10	श्री एस० के० चटर्जी
11	श्री जेड० अनसारी
12	श्री पी० एन० झा
13	श्री जी० एस० गुप्ता
14	श्री के० के० सिन्हा

बान्दा के निकट भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

636. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वान्दा के निकट 17 जून, 1974 को भारतीय वायु सेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जीवन तथा सम्पति की अनुमानित कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) और (ग) दुर्घटना के कारणों की छान बीन के लिए एक जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं। जांच अदालत की कार्यवाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

लोगों के जान माल की कोई हानि नहीं हुई । तथापि वायुयान पूरी तरह से नष्ट हो गया था ।

रामगढ़ में 'ओपन-कास्ट कोकिंग कोल माइन'

637. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के कोयला प्रौद्योगिकी शास्त्रियों ने भारत की सब से बड़ी 'ओपन-कास्ट कोकिंग कोल माइन' रामगढ़ में बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) तथा (ख) रामगढ़ क्षेत्र से प्रतिवर्ष 35 लाख टन कोयले के उत्पादन की दृष्टि से एक ओपन-कास्ट खान के विकास के लिए तथा इस एक कोयला-प्रक्षालनशाला को स्थापना के लिए, 11-5-1974 को कोयला खान प्राधिकरण लि० तथा भारत कोकिंग कोल कम्पनी ने सोवियत रूस की सरकार के कोयला और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि 'स्वेतमेत्प्रोमेक्सपोर्त' के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके प्रति भारत और रूस सरकारों के अनुमोदन की शर्त थी । इस करार में केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाईन संस्थान रांची में भारतीय तथा सोवियत विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से एक साध्यता रिपोर्ट तथा आरम्भिक नक्शा तैयार करने की व्यवस्था है । साध्यता रिर्पोट के अनुमोदन के बाद एक विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार की जाएगी ।

हड़तालों और तालाबन्दियों पर रोक

639. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के प्रधान को आशा है कि हड़तालों और तालाबन्दियों पर रोक लगाने का विचार शीघ्र ही ठोस रूप ले लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) यह बताया गया है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के प्रधान ने 13 मई, 1974 को कलकत्ता में अपने भाषण में हड़तालों और तालाबन्दियों पर पांच वर्ष के लिए रोक लगाने का सुझाव दिया है ।

(ख) सरकार काम बन्दियों पर स्वैच्छिक रोक का स्वागत करेगी ।

हिन्डाल्को के कर्मचारियों द्वारा काम पर लौट आना

640. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्डाल्को के प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी समाप्त किये जाने के बावजूद अनेक कर्मचारियों को काम पर आने की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि तालाबंदी समाप्त हो जाने के बाद किसी भी कर्मचारी को काम पर आने से रोका गया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का सवाई माधोपुर राजस्थान में दूसरा जस्ता पिघलाने का कारखाना

641. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का दूसरा जस्ता पिघलाने का कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के विशेषज्ञों ने अप्रेल के महीने में उक्त स्थल का दौरा किया था और वहां स्थानीय अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया था; और ;

(ग) यदि हां, तो स्थल पर की गई जांच के क्या परिणाम निकले और इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के राजपुरा-दरीबा, बरोई-जावरयाला आदि के अयस्क-भण्डारों के आधार पर राज्य में स्थापित किये जाने वाले एक नए जस्ता प्रद्रावक हेतु समुचित स्थान की तलाश में राजस्थान सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है । राज्य सरकार ने हाल ही में प्रद्रावक के लिये कम्पनी को सवाई माधोपुर का सुझाव दिया है। इसकी स्थापना हो जाने पर यह कम्पनी का तीसरा प्रद्रावक होगा ; क्योंकि कम्पनी देवरी (उदयपुर) के निकट में पहले ही एक जस्ता प्रद्रावक चला रही है और एक नया जस्ता प्रद्रावक विशाखापतनम में स्थापित कर रही है ।

(ख) जी हां, ।

(ग) सवाई माधोपुर का दौरा करने वाली हिन्दुस्तान जिंक लि० की एक टीम ने, प्रद्रावक के स्थान के बारे में अन्तिम निश्चय करने के लिए और आंकड़े एकत्र करना आवश्यक समझा । इस सम्बन्ध में कम्पनी की अनुशंसा मिलने पर सरकार इस मामले पर विचार करेगी ।

भारत और बंगलादेश के बीच आन्तरित बस्तियों (एनक्लेवस) के प्रवासियों का पुनर्वास

642. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप एक देश से दूसरे देश को हस्तांतरित की जा रही बस्तियों से भारी संख्या में लोगों को निकलना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत और बंगलादेश के बीच भूमि सीमा के रेखांकन पर करार के अनुच्छेद 3 में लिखा है कि जब इलाकों का तबादला किया जायेगा, तब उन इलाकों के लोगों को हक होगा कि वे जहां हैं वहीं रहते रहें और वे उस देश के राष्ट्रिक होंगे जिसे वे इलाके हस्तांतरित होंगे। इसलिये, जिन बस्तियों का तबादला किया जाना है, उनकी आबादी के सामूहिक रूप से आने-जाने की संभावना नहीं होनी चाहिये ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विशाखापत्तनम जिंक स्मैल्टर प्लांट का चालू किया जाना

644. **श्री बेकारिया**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् जिंक स्मैल्टर प्लांट से सम्बंधित काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है और यह प्लांट निर्धारित समय पर चालू नहीं हो सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात को 'रोड-रोलरों' की सप्लाई

645. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री बेकारिया } : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार से वर्ष, 1974-75 में रोड-रोलर सप्लाई करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां , तो केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) वर्ष, 1974-75 में रोड रोलरों की सप्लाई के लिये गुजरात राज्य से कोई निश्चित मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि श्रमिकों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

646. **श्री बेकारिया**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (i) श्रमिक संगठनों के मामले विशेषकर गोदावरी जिलों में (ii) विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजूरों संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार और (iii) कृषि संबंधी यंत्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा गठित कृषि श्रमिकों संबंधी स्थायी समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जापान से इस्पात का आयात

647. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जापान से 43,000 टन इस्पात आयात करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं और अब तक उसकी कितनी मात्रा प्राप्त हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने वर्ष 1974-75 के लिये जापान से 4,41,000 टन इस्पात के आयात के लिये करार किये हैं।

(ख) आयात लागत और भाड़े के आधार पर किया जाएगा और इसका भुगतान साख-पत्र के प्रति दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर किया जाएगा । अभी तक कोई माल नहीं आया है ।

हिमाचल प्रदेश में काज़ा-समदोह सड़क का निर्माण

648. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क डिवीज़न हिमाचल प्रदेश में काज़ा-समदोह सड़क का निर्माण कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सड़क कब तक तैयार हो जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) सड़क की 1977 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

'फासिल' पार्क की स्थापना

649. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर जिले में हरितलयांगार में शिवालिक रेंज में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में टेका और हरियाणा के अम्बाला जिले में मासूमपुर में तीन 'फासिल पार्क' बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह पार्क कब तक बनाये जाने की सम्भावना है और प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई भर्ती नीति के बारे में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रोष प्रकट किया जाना

650. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने सरकार की नई भर्ती नीति पर रोष प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) मोटे रूप से कोई नई भर्ती नीति नहीं है और न भर्ती नीति में कोई परिवर्तन हुआ है । सेना में केवल उन्हीं रेजिमेंन्टों में भर्ती विभिन्न राज्यों के 17—25 वर्ष के आयु वर्ग के भर्ती योग्य जनसंख्या के अनुपात से की जाती है, जो 'सभी श्रेणी रेजिमेंन्टों' के नाम से जानी जाती है । जिन यूनिटों अथवा रेजिमेंन्टों में भर्ती श्रेणी संघठन यथा 'एक श्रेणी', 'निर्धारित श्रेणी' अथवा मिश्रित श्रेणी के रूप में की जाती है, उन रेजिमेन्टों को केवल उन विशिष्ट जातियों अथवा श्रेणियों के लिये आरक्षित रखा जाता है ।

उपयुक्त नीति के समनुरूप, विभिन्न राज्यों में भर्ती को व्यापक बनाने के लिये, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में 1-4-1973 से भर्ती की मांग घटानी पड़ी है, क्योंकि इन राज्यों से भर्ती पहले इनके अपने हिस्से के अनुपात से बहुत अधिक रही है । फिर भी इन राज्यों में भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के अनुपात में भर्ती के हिस्से का अनुपात अधिक रहेगा क्योंकि जाति अथवा श्रेणी के आधार पर आरक्षित अधिकांश भर्ती इन क्षेत्रों से की जाती है ।

रेल हड़ताल के अवसर पर इस्पात कारखानों में कोयले के भण्डार की स्थिति

651. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल हड़ताल के पहले दिन विभिन्न इस्पात कारखानों में कोयले के भण्डार की स्थिति क्या थी ;

(ख) हड़ताल के अन्तिम दिन कोयले के भण्डार की स्थिति क्या थी ; और

(ग) हड़ताल की अवधि के दौरान प्रत्येक कारखाने को कुल कितना कोयला सप्लाई किया गया तथा गत वर्ष इसी अवधि में कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) हाल की रेल हड़ताल के प्रथम और अन्तिम दिन की स्थिति तथा हड़ताल की अवधि में कोयले की सप्लाई के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

(हज़ार टन)

इस्पात कारखाने का नाम	8 मई 1974 को स्टाक की स्थिति	28 मई 1974 को स्टाक की स्थिति	8 मई से 28 मई तक की गई सप्लाई (दोनों दिन सम्मिलित हैं)
भिलाई	52·6	82·0	148·03
राउरकेला	23·8	70·4	121·18
टिस्को	24·1	35·3	99·55
बोकारो	36·7	42·5	82·09
दुर्गापुर	18·6	15·4	70·73
इस्को	16·4	15·3	86·76
	172·2	260·9	608·34

1973 में इसी अवधि की सप्लाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों की सैनिक उपस्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन

652. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला**
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में बड़े राष्ट्रों की सैनिक उपस्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ;

(ख) क्या भारत को इसकी एक प्रति दे दी गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत ने प्रतिवेदन का पुनरीक्षण करने का भी अनुरोध किया है और यदि हां, तो किन किन आधारों पर ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित महासभा प्रस्ताव 3080 के अनुरूप यह तैयार कर दी गई है जिसमें महासचिव से कहा गया है कि वह योग्यताप्राप्त विशेषज्ञों की सहायता से हिन्द महासागर में बड़े-बड़े देशों की सैनिक उपस्थिति के सभी पहलुओं को लेकर एक तथ्यात्मक ब्यौरा तैयार करें जिसमें खास तौर से यह बताया जाए कि बड़े देशों की स्पर्धा के संदर्भ में उनकी नौसेनाओं की नियुक्तियां किस प्रकार हैं।

(ख) इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर वे बातें दी गई हैं जो हिन्द महासागर में सैनिक और नौ-सैनिक उपस्थिति के स्पष्ट दिखाई देने वाले तत्व बताती हैं ; जैसे नौसेना के जहाजों का लगाना, उस क्षेत्र में सैनिक और नौसेनिक संस्थानों का रख-रखाव, संचार व्यवस्था का सैनिक उपयोग, लंगूर वोया का नौसेनिक उपयोग, तटीय देशों की बंदरगाहों का नौसेनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग, नौसेनिक इंधन सुविधायों का प्रयोग और अड्डों तथा अन्य सैनिक सुविधाओं का सामान्य उपयोग।

(ग) जी नहीं।

भारत और बंगलादेश के बीच सीमा को युक्तिसंगत बनाना

653. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को कुल कितनी भूमि बंगलादेश को देनी पड़ेगी तथा उसे बंगलादेश से कितनी भूमि प्राप्त होगी ;

(ख) क्या सीमा को युक्तिसंगत बनाने के फलस्वरूप बंगलादेश के माध्यम से अथवा अन्यथा भारत के कुछ भागों के लिए रेल संचार व्यवस्था सुलभ हो जायेगी ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच नदी परिवहन व्यवस्था पुनः आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ठीक ठीक क्षेत्र का पता, जिसमें भारत अथवा बंगलादेश के प्रतिकूल अधिकार वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, तभी चलेगा जब सीमांकन पूरा हो जायेगा।

(ख) भारत और बंगलादेश के बीच स्थल सीमांकन संबंधित करार का संबंध बंगलादेश से होकर भारत के हिस्सों में आने जाने के प्रश्न से नहीं है।

(ग) जी हां, 1 नवम्बर 1972 को दोनों देशों के बीच एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर होने के बाद सामान लाने और ले जाने के लिए दोनों देशों के बीच नवम्बर 1972 में नदी यातायात शुरू हुआ।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों/पुनर्बलन मिलों की छीलन की मांग

654. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात मिलों/पुनर्बेलन मिलों की छीलन की कुल मांग कितनी है ;

(ख) इसमें से कितनी मांग की पूर्ति रेलवे और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से हो रही है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्रोतों से कुल उपलब्धता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य स्रोतों से काफी मात्रा में छीलन का संग्रह नहीं होता है और इन स्रोतों से छीलन की उपलब्धता का अनुमान कितना है ; और

(घ) अन्य स्रोतों से प्रभावी ढंग से छीलन को इक्ट्ठा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के मुख्य इस्पात कारखानों तथा विद्युत चाप भट्टियों की रद्दी लोहे की गत तीन वर्षों की वर्षवार खपत नीचे दी गई है :—

(लाख टन)

वर्ष	मेल्टिंग स्क्रैप की अनुमानित खपत
1971-72	26·3
1972-73	29·3
1973-74	31·0

रेलवे तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से मेल्टिंग स्क्रैप की आवश्यकता की पूर्ति सम्बन्धी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) मेल्टिंग स्क्रैप को एकत्र करने के तरीकों में सुधार द्वारा तथा देश में स्क्रेप प्रोसेसिंग यार्डों की स्थापना से इसकी उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है । इसके लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

डुबाई गए हुए भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय पासपोर्ट के लिये अनुरोध

655. श्री ए० के० गोपालन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैध पासपोर्ट के बिना डुबाई गये हुए अनेक भारतीय राष्ट्रिकों ने भारत वापस आने के लिए भारतीय पासपोर्ट को देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इन लोगों ने पासपोर्टों के लिए आवेदन दिए हैं । उनका यह अनुरोध डुबाई में उनके प्रवास को नियमित करने के लिए है ।

(ख) और (ग) डुबाई और संयुक्त अरब अमीर राज्यों के देशों में रहने वाले बहुत से भारतीयों के पास कोई पासपोर्ट या यात्रा प्रपत्र और रिहायशी परमिट नहीं हैं। उस देश में उनके प्रवास को नियमित करने के प्रश्न पर भारत तथा संयुक्त अरब अमीर राज्यों की सरकारों केबीच बिचार-विमर्श होता रहा है। संयुक्त अरब अमीर राज्यों के अधिकारी इसपर सहमत हो गए हैं कि पासपोर्ट दिए जाने पर उन लोगों को रिहायशी परमिट देकर उनके आवास को नियमित कर दिया जाएगा।

2. तद्नुसार, भारत सरकार ने इन व्यक्तियों की राष्ट्रिकता की समुचित जांच करने के बाद उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पांच अधिकारियों का एक दल भारतीय मिशनों को जल्दी पासपोर्ट जारी करने में सहायता देने के लिए संयुक्त अरब अमीर राज्य को हाल ही में भेजा गया है।

बोनस व्यवस्था का पुनरीक्षण

656. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बोनस व्यवस्था का पुनरीक्षण करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सरकार, अखिल भारतीय नियोजक संगठन के 41वें वार्षिक सत्र में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में बोनस के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से अवगत है। जो मुख्य सुझाव दिया गया वह यह है है कि बोनस के प्रश्न पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तृत संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में सम्मिलित वर्तमान बोनस योजना के, पुनरीक्षण हेतु पहले ही एक समिति नियुक्त कर दी है।

65 लाख रुपये या इससे अधिक राशि की अभिदत्त पूजीं वाले कोयला खान मालिक

657. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री एक लाख रुपये की आस्तियों वाली कोयला खानों के अधिग्रहण के बारे में 3 मई 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9019 के उत्तर के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को पूरा करते हुये 22 अगस्त, 1973 को सभा पटल पर रखे गए विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 65 लाख रुपये या इससे अधिक राशि की अभिदत्त पूंजी वाले उन कोयला खानों के मालिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने तथा राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 को चुनौती दी है;

(ख) प्रत्येक खान मालिकों के पास कितनी खानें तथा वे किन राज्यों में स्थित हैं ;

(ग) 31 मार्च, 1969, 1971 और 1973 में इसमें कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(घ) उनमें से प्रत्येक के पास प्रकाशित लेखों के अनुसार दिसम्बर/मार्च, 1971, 1972 और 1973 में शेयर होल्डर रिजर्व कितने थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 तथा कोयला खान (प्रबन्ध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 के विरोध में कुल 432 रिट-यचिकाएं दायर की गई हैं। सम्बन्धित कम्पनियों/मालिकों के पूंजीगत निवेश के अनुसार इस राशि का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) उक्त अधिनियम के साथ लगी अनुसूची में यह जानकारी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) यह सब जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सीमा निर्धारण के बारे में बंगलादेश के साथ समझौता

658. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा निर्धारण तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में बंगलादेश के साथ समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 16 मई, 1974 को भारत और बंगलादेश की सरकारों ने भारत और बंगलादेश के बीच भूमि सीमा के रेखांकन पर एक करार किया।

(ख) विदेश मंत्री ने 22 जुलाई, को सदन में एक वक्तव्य दिया था, जिस में करार की मुख्य बातें बताई थीं और उसी दिन करार की एक प्रति भी सदन की मेज़ पर रख दी गई थी।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि

659. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **श्रम** मंत्री राष्ट्रीय कोयला खान भविष्य निधि की बकाया राशि के बारे में 21 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले के मालिकों से सूचना एकत्रित करने तथा राष्ट्रीयकरण के पूर्व की बकाया राशि वसूल करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजा गया एक विवरण जिसमें चूककर्ता कोयला खानोंके नाम,उनके मालिकों के पतों सहित, दर्शाए गए हैं, संलग्न हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8045/74)। जहां तक कोयला खान भविष्य निधि की बकाया देय राशियों की वसूली का संबंध है, सदन को इससे पूर्व सूचित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

समुद्र-तल सीमा के बारे में इन्डोनेशिया के साथ करार

660. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-तल सीमा के बारे में भारत और इन्डोनेशिया के बीच शीघ्र ही एक करार करने का भारत का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) करार की मुख्य बातें क्या हैं और क्या यह भारत के लिये लाभप्रद होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह भारत और इन्डोनेशिया दोनों के ही हित में है कि वे अपनी समुद्र-तल सीमा निश्चित कर लें। जैसी की प्रथा है, करार की मुख्य बातें दोनों देशों द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही घोषित की जायेंगी।

गंगा नदी के जल के सम्बन्ध में भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान तथा सिक्किम का संयुक्त आयोग गठित करने का प्रस्ताव

661. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश ने गंगा नदी के जल का उचित वितरण करने के लिये भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान तथा सिक्किम का संयुक्त आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत बन्द का प्रभाव

662. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मई, 1974 को भारत बन्द आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितने श्रम घंटों की हानि हुई है; और

(ग) उत्पादन में हानि होने के परिणामस्वरूप अर्थ व्यवस्था को कितनी हानि हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) उपलब्ध अन्तिम सूचना, जो अधूरी है, के अनुसार मई, 74 में भारत बन्द के परिणामस्वरूप नष्ट हुये श्रम दिनों की संख्या 105,666 थी और नष्ट हुये उत्पादन का मूल्य 1028 करोड़ रुपये प्राक्कलित किया गया है।

हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र (फ्री जोन) बनाना

663. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के लिये और आगे क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत का यह मत सुविदित है कि हिन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखा जाये जो बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्दता, तनाव और सैनिक विस्तार से मुक्त हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार संयुक्त राष्ट्र में और राजनयिक माध्यमों से समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने प्रयत्नों का समन्वयन कर रही है। 15 देशों की तदर्थ समिति, जिसमें भारत भी है, शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार करेगी जो हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति से सम्बन्ध तथ्य पूर्ण ब्यौरा तैयार करने के लिये ही नियुक्त की गई थी।

हिमालय की सीमावर्ती भूमि में खनिज संसाधनों को निकालना

664. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमालय की सीमावर्ती भूमि में जो बोरक्स-कोयले, ताम्बे, गंधक और मूल्यवान पत्थर से भरपूर है, खनिज संसाधनों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबदव प्रसाद) : उत्तर प्रदेश में देहरादून के निकट फास्फेट निक्षेपों का और अल्मोड़ा के मैग्नेसाइट निक्षेपों का पहले से ही समुपयोजन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमूर जिले के चूना पत्थर निक्षेपों पर आधारित एक सीमेंट कारखाना राजबन में लगाया जा रहा है। लद्दाख जिले की पूगा घाटी में बौरैक्स और सल्फर की प्राप्ति के लिये भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा व्यापक आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। भारत सरकार का प्रतिष्ठान खनिज समन्वेषण निगम जे० एण्ड क० मिनरल लि० के सहयोग से जम्मू काश्मीर के पेडार इलाके में नीलम भंडारों का पता लगाने के लिये व्यापक खोज कार्य कर रहा है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कई आधार धातु निक्षेपों के लिये भी खोज कार्य किया जा रहा है। पूर्ण भूवैज्ञानिक आंकड़े मिलन पर ही इन खनिज स्रोतों के समुपयोजन के प्रश्न पर भली-भांति विचार किया जा सकता है।

Memorandum by Bengali Refugees of Betul District, M.P.

665. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Bengali refugees living in Betul district of Madhya Pradesh have submitted to him a memorandum in the first week of June containing certain problems facing them; and

(b) if so, their problems and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The main problems related to supply of seeds and fertilizers, grant of maintenance assistance and subsidized ration and replacement of old C.I. sheets from their houses. The Government of Madhya Pradesh have been requested to look into these matters and take remedial measures.

हिन्द महासागर में परमाणु शस्त्रास्त्रों से लैस रूसी तथा अमरीकी युद्धपोत

666. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर परमाणु शस्त्रास्त्र से लैस रूसी तथा अमरीकी युद्धपोतों की उपस्थिति के कारण तनाव का क्षेत्र बनता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसको तनाव मुक्त क्षेत्र बनाने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) बड़ी ताकतों की स्पर्धा और हिन्द महासागर में तनाव पैदा करने वाले सैनिक विस्तार के बारे में भारत का मत सर्वविदित है। संयुक्त राष्ट्र में तथा राजनयिक सूत्रों के माध्यम से भी सरकार विचार विनिमय करती रही है और हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के लिये प्रयत्न कर रही है। हिन्द महासागर में बड़ी ताकतों की सैनिक उपस्थिति के बारे में तथ्यात्मक विवरण तैयार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 15 जुलाई, 1974 को जारी कर दी गई थी और 15 राष्ट्रों की तदर्थ समिति द्वारा इस पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा, जिसका भारत भी सदस्य है।

ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि

667. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रेक्टरों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद अब भी ट्रेक्टरों की सप्लाई कम है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में मन्त्री : (क) तथा (ख) 1-12-73 को प्रचलित मूल्यों पर 10-6-74 से प्रति ट्रैक्टर के बिक्रय मूल्यों में 1,515 रुपये से लेकर 8,110 रुपये तक की वृद्धि करने के लिए ट्रैक्टर निर्माताओं को अनुमति दी गई है। वृद्धि के लिए यह अनुमति कच्चे माल, कल पुर्जों तथा उपरि खर्चों की लागत में वृद्धि होने के कारण दी गई है।

(ग) तथा (घ) एक किस्म के ट्रैक्टर को छोड़कर शेष ट्रैक्टरों की मांग और पूर्ति में कोई अन्तर नहीं है। फिर भी, वर्तमान वित्तीय वर्ष में ट्रैक्टरों का निर्माण ब ाकर 35,000 प्रति वर्ष करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

668. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोयले के मूल्य में वृद्धि से रेलवे, विद्युत उत्पादन पर गम्भीर प्रहार बढ़ने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयले के मूल्य में हाल में की गई वृधि का रेलवे के संचालन तथा बिजली उत्पादन पर मामूली सीधा प्रभाव होगा और इसका अर्थ-व्यवस्था पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सभा के प्रेस दीर्घा में एक प्रेस संवाददाता की मृत्यु के बारे में जांच

669. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के प्रेस दीर्घा में एक प्रेस संवाददाता की मृत्यु के फलस्वरूप संसद भवन के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा औषधालय के डाक्टर के विरुद्ध की गई जांच संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) उस प्रतिवेदन के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां ।

(ख) ये निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(1) संसद भवन स्थित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के स्टाफ के विरुद्ध लगाया गया आरोप तथ्यों द्वारा प्रमाणित नहीं होता ।

(2) श्री सुब्रहमण्यम् की बीमारी के बारे में पहली सूचना मिलने पर डाक्टर जोशी ने रोगी को देखने में कोई अवहेलना नहीं की ।

(3) जब डाक्टर जोशी ने श्री सुब्रहमण्यम् की जांच की तो उस समय वह गहरी सांस ले रहे थे और उन्हें पसीना आ रहा था । रोगी ने छाती पर दर्द की कोई शिकायत नहीं बतलाई । इस पर भी डाक्टर जोशी रोगी का कष्ट कुछ कम करने के लिए कोई शामक दवा दे सकते थे ।

(4) चूंकि पी० टी० आई० की स्टाफ कार वहां मौजूद थी इस लिए एम्बूलेंस बुलाने की कोई जरुरत नहीं थी क्योंकि एम्बूलेंस बुलाने से रोगी को विलिंग्डन अस्पताल पहुंचने में कुछ विलम्ब हो जाता ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) डा० एल० डी० जोशी के निलम्बन आदेश रद्द कर दिये गये हैं।

(2) संसद् भवन औषधालय, नई दिल्ली से उनकी बदली कर दी गई है।

आई एन० एस० खुकरी पोत को घटिया तेल की सप्लाई

670. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने आई० एन० एस० खुकरी पोत को घटिया भट्ठी तेल की सप्लाई की थी ;

(ख) क्या इसके कारण खुकरी पोत डूब गया था ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम को भट्ठी तेल के किस्म में अचानक परिवर्तन करने के बारे में विरोध प्रकट किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1970 और 1971 में नौसेना को किस किस्म का भट्ठी तेल सप्लाई किया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कुछ एक इक्के-दुक्के मामलों में 1971 में पूर्ति किया गया ईंधन तेल निर्धारित चिपचिपाहट से अधिक चिपचिपाहट वाला था। इस मामले की इण्डियन आयल कार्पोरेशन को सूचना दी गई और युद्धपोतों को पुनः घटिया तेल सप्लाई न किए जाने के लिए उन्होंने तत्काल उपचारी उपाय किए।

परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये कार्यवाही

671. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी आक्रमण के समय हमारे परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : विदेशी आक्रमण के समय हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त् उपाय किए हुए हैं। इस संबध में आगे और ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

चीन द्वारा किया गया परमाणु भू-विस्फोट

672. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के निर्माण सुविधा के प्रयोजन हेतु 17 जून, 1974 को सिंकियाग क्षेत्र में चीन द्वारा किए गए परमाणु भू-विस्फोट के समाचार की ओर दिलाया गया है ? और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) आणविक शस्त्रों के निर्माण के बारे में सरकारी नीति कई अवसरों पर सदन् में स्पष्ट की जा चुकी है। यह आणविक ऊर्जा को केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की है। सरकार को विश्वास है कि हमारी सीमाओं की रक्षा परम्परागत शस्त्रों के आधार पर पर्याप्त सैनिक तत्परता द्वारा बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित की जा सकती है ।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी साजिश

673. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी**
श्री एम० एम० जोज़फ } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान इस वर्ष 18 मई को भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट के बाद डाक, दूर-संचार तथा यात्रा सुविधाओं को वहाल करने के बारे में भारत के साथ बातचीत करने से मुकर गया है और इस प्रकार शिमला समझौते के बाद से आरम्भ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को बिल्कुल रोक दिया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान के भारत के प्रति इरादे भी अच्छे नहीं है ; जिससे एक और युद्ध छिड़ सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) श्री भुट्टो के इस वक्तव्य के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है कि उनका देश भारत पर विश्वास नहीं कर सकता ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) शिमला समझौते के अनुरूप सामान्यकरण के कतिपय उपायों पर अमल करने के बारें में बातचीत के उद्देश्य से 10 जून 1974 के लिए निश्चित बैठक का पाकिस्तान द्वारा इकतरफा तरीके से स्थगित किया जाना नितांत अनुचित कार्यवाही है । भारत द्वारा 18 मई, को शांतिपूर्ण अणु-परीक्षण किये जाने के पूर्व भी पाकिस्तान ने सामान्यकरण के तरीकों के क्रियान्वयन में कोई उत्साह नहीं दिखाया था । पाकिस्तान के इस विपरीत कदम से शिमला समझौते पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान को अतंत: इस बात का अहसास होगा कि सामान्यीकरण के तरीकों का क्रियान्वयन और दोनों के बीच स्थायी शांति की स्थापना दोनों के हित में है ।

(ख) और (ग) पाकिस्तानी नेताओं द्वारा भारत के विरुद्ध लगाये गये गलत आरोपों के बाद पाकिस्तानी फौजों के जमाब से उत्पन्न स्थिति पर भारत नजर रख रहा है ।

(घ) हमारी ओर से शिमला समझौते का भाव और भाषा के अनूरूप पालन किया जाना इस बात का सबूत है कि भारत पर लगाया गया यह आरोप कि भारत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पूर्णरूपेण अनुचित और स्पष्टत: खंडनीय भी।

पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के लिये समय-सीमा

674. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये अनेक विस्थापित लोगों के पुर्नवास के लिये सभी प्रयास पिछले 27 साल में विफल रहें है;

(ख) क्या शरणार्थी निम्नक्रांत व्यक्तियों के लिए विशेष पुर्नवास सहायता प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर बसाने और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिये समय-सीमा निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं तथापि, कुछ मामलों में कुछ लोग विभिन्न पुर्नवास स्थलों– बस्तियों को समय-समय पर छोड़ गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पांचवी योजनावधि के दौरान 21,300 परिवारों के पुर्नवास की योजना तैयार की गई है। इनमें से, 15,600 परिवारों को कृषि भूमि पर तथा 5,700 परिवारों को गैर-कृषक व्यवसायों में बसाने की योजना है जो उपयुक्त भूमि और पर्याप्त् निधि की उपलब्ता पर निर्भर होगा।

नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिग और कलावती सरन अस्पतालों में फार्मासिस्टों की हड़ताल

675. **श्रीराजदेब सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिग और कलावती सरन अस्पतालों में पहले तथा दूसरे वतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार अस्पताल के फार्मासिस्टों का 'प्वाइंट' टू प्वाइंट' वेतन निर्धारण के बारे में तथा कलावती सरन अस्पताल के फार्मासिस्टों का पहली जुलाई, 1959 से वेतन निर्धारण किये जाने के बारे में अगस्त, 1972 में हड़ताल हुई थी;

(ख) क्या इनके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मंत्रालय तथा नेशनलज फेडरेशन आफ फार्मासिस्टों एसोसियेशन में यह समझौता हुआ था कि कलावती सरन अस्पताल के फार्मासिस्टों को उनके पुनरीक्षित वेतन-मान के लाभों को 18 अक्तूबर, 1962 के बजाय पहली जुलाई 1959 से दिये जान सम्बन्धी पूरे प्रश्न पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय किया जाएगा; और

(ग) वर्तमान स्थिति क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 28 अगस्त, 1972 को स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय म नेशनल फेडरेशन आफ फार्मासिस्टों के एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि फार्मासिस्टों को 1 अप्रैल, 1972 से संशोधित वेतनमानों पर तुरन्त वेतन दे दिया जाय। जहां तक अप्रैल, 1972 से पहले की अवधि की बकाया राशि का प्रश्न है इस संबंध में यह निर्णय किया गया कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल और कलावती सरन शिशु अस्पताल के प्रशासन बोर्ड इस मसले पर विचार करें और उसके बाद इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाय। इन दोनों अस्पतालों के फार्मासिस्टों को 1 अप्रैल, 1972 से संशोधित वेतन देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। अप्रैल, 1972 से पहले की अवधि की बकाया राशि के भुगतान के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय से परामर्श कर विचार किया जा रहा है।

नेशनल फैडरेशन आफ फार्मासिस्ट्स एसोसियेशन द्वारा सुझाए गये फार्मेसी अधिनियम में संशोधन

676. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या नेशनल फैडरेशन आफ फार्मासिस्ट एसोसियेशन ने सितम्बर, 1974 में फार्मेसी अधिनियम में कुछ सुधार और संशोधन किये जाने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या इस पर उनके मंत्रालय ने यह वायदा किया था अथवा यह आश्वासन दिया था कि इस मामले की जांच की जा रही है तथा संसद् में एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) फार्मेसी अधिनियम, 1948 में संशोधन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और सरकार का निकट भविष्य में एक विधेयक लाने का विचार है।

Construction Engineer's Association of Bokaro Steel Plant

677. **Shri G.P. Yadav:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether members of the Construction Engineers' Association of Bokaro Steel Plant went on strike during the months of April and May last for the fulfilment of their demands;

(b) the main demands of the said Association;

(c) whether Government have accepted majority of their demands; and

(d) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) A section of the construction employees of Bokaro Steel Limited, constituted mostly of Technical Assistants and Assistant divisional Engineers, launched a "work-to-rule" agitation from 1st April, 1974 to 24th May, 1974, to press their demands.

(b) to (d): The main demands of the Construction Engineers, and the position regarding their acceptance by the Management of Bokaro Steel Ltd. are given below:—

(i) **Recognition of Bokaro Construction Engineers' Association under the Trade Union Act**—The question of according formal recognition will be considered by the Management, if the Asssociation is made broad based, so as to include all Officers cadre.

(ii) **Superannuation contract to be given to those Construction Engineers who are on contract terms**—The Management has agreed to increase the period of contract to five years instead of three years as at present and also to offer immediately superannuation contracts to 500 Construction Engineers, and thereafter to 150 Construction Engineers in a phased manner. The Management has also agreed to allow option to the Construction Engineers for absorption on the operation side or any other technical service under Bokaro Steel Ltd. or any other subsidiary of SAIL.

(iii) **Redesignation of Technical Assistants as Probationary Engineers and their automatic absorption to the post of Assistant Divisional Engineers or equivalent on completion of six months; service and further promo tion to next higher grade after two years**–The management has agreed to the redesignation of Technical Assistants as Assistant Engineers, and to their promotion as Assistant Divisional Engineers on satisfactory completion of service for 18 months.

(iv) **Seniority to be given from the date of joining construction and not from the date of absorption in operation**—It has been agreed by the management that the Construction Engineers will continue to have the option of seeking promotion in their own cadre or absorption in the operation cadre and that there will be no undue loss or gain or seniority in the case of absorption in operation.

(v) **Allotment of full residential accommodation**—It has been agreed that Management will endeavour to allot atleast one roomed accommodation to an Engineer on joining the Company.

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये संसाधनों का उपयोग करने में स्टील ग्राथरिटी ग्राफ इंडिया लि० की विफलता

678. **श्री बनमाली बाबू** : क्या इस्पात ग्रौर खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये स्टील ग्रथारिटी ग्राफ इन्डिया लिमिटेड संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकने में विफल रहा है ;

(ख) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है और इसके कार्यकरण में वाधा डालने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने 1974–75 के लिये इस्पात उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। यद्यपि वर्ष 1973–74 में मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात का उत्पादन वर्ष 1972–73 से कम हुआ तथापि इसका मुख्य कारण यह था कि इस पर कुछ वाह्य कारणों का प्रभाव पड़ा था जैसे (1) बिजली की सप्लाई में भारी कटौती तथा रुकावटें विशेषतया अप्रैल-नवम्बर, 1973 की अवधि में, जिससे भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा (2) कोयले का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना जिसका कारण भी बहुत हद तक इस अवधि में बिजली की सप्लाई में की गई कटौती तथा रुकावट था, जिससे समस्त झरिया कोयला क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप कोयला शोधनशालाओं और कोयला खानों में काम कम हुआ जिससे सभी इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा और (3) रेलवे में विशेषत: अगस्त, 1973 में दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी रेलवे में थोड़े-थोड़े समय के पश्चात् धीमी गति से काम करने की घटनाएं तथा औद्योगिक अशान्ति जिससे कोयले और दूसरे कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के लाने, ले जाने पर प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप कच्चे माल की कम आवक को देखते हुए उत्पादन में भारी कमी करनी आवश्यक हो गई।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० एक कम्पनी के रूप में केवल 24 जनवरी, 1973 को पंजीकृत की गई थी और इस अवधि में सरकार द्वारा इस कम्पनी के कार्यकरण के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि अपेक्षाकृत इतनी कम अवधि में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। फिर भी, सरकारी उपक्रम समिति ने इस कम्पनी के कार्यकरण की जांच का काम हाथ में लिया है।

(ग) वर्ष 1974–75 के लिये कारखाना-वार निर्धारित इस्पात के उत्पादन लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :–

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
1. भिलाई इस्पात कारखाना	2,070	1,655
2. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	915	672
3. रूरकेला इस्पात कारखाना	1,165	835
4. बोकारो इस्पात कारखाना	120	
5. टिस्को	1,760	1,400
6. इस्को	545	482

पनडुब्बियों का निर्माण

679. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी प्रयोजना है जिससे पनडुब्बियों का निर्माण देश में किया जाएगा ;

(ख) इसका उत्पादन शुरू होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) किस के सहयोग से इस परियोजना के चालू किये जाने की असम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार की नीति विभिन्न प्रकार के युद्धपोतों जिनमें पनडुब्बियां भी सम्मिलित हैं, के स्वदेश में निर्माण को बढ़ावा देने की है ।

(ख) और (ग) माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस सम्बन्ध में आगे और ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

समय समय पर औषधियों की पड़ताल करना

680. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों की शुद्धता अथवा अशुद्धता का पता लगाने के लिये इसके निर्माण, स्टोर और बेचने के स्थानों पर समय-समय पर पड़ताल की जाती है और यदि हां, तो क्या समय-समय पर रिपोर्ट भेजी जाती है; और

(ख) दोनों जनता तथा सरकारी वर्गों से कितने अपराधियों को जून, 1974 तक पकड़ा गया और उन्हें किस प्रकार निपटाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां, समय-समय पर जांच-पड़ताल की जाती है तथा सूचनायें दी जाती हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गार्डन रीच वर्कशाप में निर्मित भारी जलयानों की लागत

681. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी के सहयोग से गार्डन रीच वर्कशाप में भारी जलयानों के लिये बनाए जा रहे डीजल इंजन की लागत कितनी है ;

(ख) निर्माण या उत्पादन लागत और आयात-लागत के बीच कितना अंतर है;

(ग) संयन्त्र और मशीनरी, इमारत, सहयोग-लागत और समझौते में सम्मिलित परिव्यय के बारे में कुल व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्पादन-क्षमता का ब्यौरा क्या है और उत्पादन के कब तक पूरी तरह प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसा अनुमान है कि सदर्भ गार्डन रीच वर्कशाप लि० रांची के मैरीन डीजल इंजन प्लांट के द्वारा निर्मित

समुद्र में जाने वाले उच्च शक्ति के कम गति वाले के जेड इंजनों के संबंध में है । इस इंजन की अंतिम अनुमानित लागत लगभग 150 लाख रूपये है । अभी तक निर्माण लागत पक्की तरह पता नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रथम इंजन का निर्माण कार्य जून 1974 में पूरा हुआ है तथा लेखा को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इंजन के मूल्य पर उसकी विशिष्टियों तथा अश्व शक्ति के अनुसार भिन्नता होगी जो कि जलयान के टनभार तथा उसकी गति पर निर्भर करता है जिसके लिए इस इंजन की आवश्यकता है ।

(ख) गार्डन रीच वर्कशाप लि० के सहयोगी पश्चिम जर्मनी के मैसर्स एम० ए० एन० ने रांची कारखाने में निर्माण किये जा रहे के जेड मैरीन इंजन के सम रूप विशिष्टियों वाले मैरीन डीजल इंजनों का निर्माण कुछ समय पूर्व से बन्द कर दिया है । तथापि उनके इस प्रकार के इंजन के ज्ञात अन्तिम मूल्य के आधार पर एम० ए० एन० मेक के 1974 में आयात किये गये इंजन का सुपुर्दगी मूल्य लगभग 162·80 लाख रुपये है । इस तरह स्वदेश में निर्मित तथा आयात किये गये इंजन के मूल्य का अंतर लगभग 13 लाख रुपये है ।

(ग) रांची प्लांट की मंजूर शुदा पूंजी लागत कारखाना निर्माण तथा संयंत्र तथा मशीनरी इत्यादि की 363 लाख रुपए है । अभी हाल ही में प्लांट में वृद्धि करने के कारण जिसे प्रारम्भ में एक असेम्बली प्लांट के रूप में विचार किया गया था किन्तु अब उसे एक निर्माण इकाई के रूप में बढ़ाने के कारण परिशोधित पूंजी लागत 591 लाख रुपये होने का अनुमान है तथा यह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

जहां तक सहयोग की लागत का संबंध है जो कि गार्डन रीच वर्कशाप के द्वारा निर्माण किए जा रहे तीन प्रकार के इंजनों की 1,70,000 डी० एम० लाइसेंस के शुल्क के अतिरिक्त होगी ऐसा पूर्वानुमान है कि कुल रायल्टी 9,82,000 डी० एम० होगी जिसे अक्तूबर 1977 तक भुगतान किया जा चुका होगा जब वर्तमान सहयोग करार समाप्त होगा ।

(घ) रांची संयंत्र की प्रतिवर्ष अनुमोदित उत्पादन क्षमता उच्च शक्ति के 6 के जैड इंजन तथा 50 मध्यम शक्ति के जी वी टाइप इंजन है । उत्पादन कार्यक्रम की स्थिरता प्राप्त आदेशों की मात्रा पर निर्भर करेगी तथा इस प्रारम्भिक स्थिति में निर्धारित कार्यक्रम वता पाना सम्भव नहीं है ।

"वैगन इंडिया" नामक नई कम्पनी

682. **श्री वसन्त साठे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री वैगन प्राधिकरण के बारे में 28 फरवरी 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 138 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैगन उद्योग के विकास का समन्वय करने तथा उसे तेज करने की दृष्टि से "वैगन इंडिया" नामक एक नई कम्पनी की स्थापना करने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रस्ताव की उल्लेखनीय बातें क्या हैं; और

(ग) इसका कार्यान्वयन कहां तक हुआ है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वैगन इण्डिया नामक एक नई कम्पनी बनाई जा रही है। यह वैगन निर्माताओं के संगठन के रूप में है जो उनकी आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों का समन्वय करेगी और प्रमुख रूप से उनकी सेवा करेगी और उन पर ध्यान देगी।

नकली औषधियों के निर्माण को रोकने के लिये औषधी निरीक्षण-कार्यालय को सुदृढ़ बनाया जाना

683. **श्री वसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नकली और घटिया किस्म की औषधियों के उत्पादन के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए औषधि निरीक्षण कार्यालय के वर्तमान ढांचे को सक्रिय और सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की उल्लेखनीय बातों का ब्यौरा क्या है और वे इस समय विचार/क्रियान्वयन के किस स्तर पर है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन को सुदृढ़ करने के लिये चार क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालयों को सुदृढ़ करने का एक प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलत किया गया है। इस प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें केन्द्रीय औषधि निरीक्षकों की संख्या बढ़ाना तथा नकली दवाइयों के उत्पादन को रोकना है। इससे सारे देश में औषधियों के उत्पादन पर सांविधिक नियंत्रण रखने तथा इनकी अन्तर राज्यीय गतिविधियों पर निगरानी रखने में सहायता मिलेगी। पदों का चरणवार सर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सिक्किम विधान सभा द्वारा निर्मित संविधान का लागू किया जाना

684. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम विधान सभा द्वारा निर्मित लोकप्रिय संविधान को लागू करने के मामले में भारत के प्रधान मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये सिक्किम के चोग्याल ने उनसे भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रधान मंत्री ने किस प्रकार का परामर्श दिया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 20 जून, 1974 को सिक्किम की असेम्बली द्वारा सिक्किम सरकार के 1974 के बिल की पुष्टि किये जाने के बाद सिक्किम के चोग्याल ने अपनी ओर से दिल्ली की यात्रा की और 29 एवं 30 जन को प्रधान मंत्री से बातचीत की।

इस बातचीत के परिणामस्वरूप चोग्याल ने अब सिक्किम सरकार के 1974 के बिल पर अपनी स्वीकृति दे दी है जिसकी घोषणा 4 जुलाई, 1974 को कर दी गई है।

भारत द्वारा शस्त्रों की खरीद

685. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत किसी देश से आधुनिकतम शस्त्रों की खरीद कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ईरान से हथियार खरीद रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा संबंधी बहुत सी आवश्यकताओं के बारे में भारत आत्मनिर्भर है। जिन आधुनिकतम शस्त्रों का स्वदेशी निर्माण व्यवहार्य अथवा आवश्यक नहीं पाया गया है उनको अनिवार्य सीमा तक विदेश से प्राप्त किया जा रहा है, परन्तु उनके संबंध में ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है।

(ग) पाकिस्तान द्वारा ईरान सहित सभी संभव स्रोतों से हथियार प्राप्त करने के बारे में सावधानी से निगाह रखी जा रही है।

केरल में प्राकृतिक संसाधनों की खोज

686. **श्री व्यालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने और उनका पता लगाने के लिये भारतीय भूसर्वेक्षण के प्रयासों में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) केरल राज्य में किये गये सर्वेक्षण के परिणामों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा केरल में अब तक 31·46 से 41·24 प्रतिशत लौह वाले लगभग 587·10 लाख टन लौह अयस्क ; 117·50 लाख टन फ्लक्स ग्रेड चूना पत्थर, 15·00 से 22·50 लाख टन सीमेण्ट ग्रेड चूना शेल, 40 प्रतिशत से अधिक एल्यूमिना तथा 10 प्रतिशत से कम सिलिका वाले लगभग 120 लाख टन बाक्साइट, 430 लाख टन चीनी मिट्टी, 130 लाख टन फाउंडरी और शीशा रेत, 0·80 लाख टन ग्रेफाइट तथा लाइमनाइट युक्त मोनाज़ाइट रेत के विस्तृत निक्षेपों के होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य के विभिन्न भागों में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण के अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के चालू क्षेत्रगत सत्र (1973-74) में लौह अयस्क, बाक्साइट, चूना-पत्थर, ग्रेफाइट, स्टैटाइट तथा हेमवैदूर्य (क्राइसोबेरिल) के लिये आज भी खोज कार्य किये जा रहे हैं।

दिनांक 16-8-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 तथा 3344 और दिनांक 28-3-74 के अतारांतित प्रश्न संख्या 5049 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण

Correcting Statements to USQ Nos. 3343 and 3344 dated 16-8-1973 and USQ No. 5049 dated 28-3-74

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : लोक सभा में दिनांक 16-8-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 के भाग (ग) का उत्तर इस प्रकार दिया गया था।

खादों के अतिरिक्त रासायनिक उपोत्पाद अधिकतर उपभोक्ताओं को सीधे सप्लाई किये जाते हैं। जहां तक खादों का संबंध है नये वितरकों की नियुक्ति में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उपर्युक्त बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्राथमिकता देती है। 1973-74 में नियुक्त किये गये खाद के वितरकों में 12 संगठन सम्मिलित हैं जो बेरोजगार स्नातकों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

तत्पश्चात् सरकार के ध्यान में यह बात आई कि इस उत्तर में कुछ अशुद्धियां हैं। अतः मैं पहले दिये गये उत्तर को सही कर रहा हूं। पहले दिये गये उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर पढ़ा जाये:

रासायनिक खादों को छोड़कर रासायनिक उपोत्पाद अधिकतर उपभोक्ताओं को सीधे सप्लाई किये जाते हैं। जहां तक रासायनिक खाद का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने यह निर्णय लिया है कि अपनी रासायनिक खाद के लिये वितरकों की नियुक्ति के मामले में ऐसे बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रोत्साहन दिया जाये जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो और जो इस काम को स्वतन्त्र रूप से कर सकते हों। वर्ष 1973-74 के लिये नियुक्त किये गये वितरकों में 2 बेरोजगार स्नातक भी शामिल थे।

लोक सभा में श्रीमती भार्गवी तनकप्पन तथा श्री सी० के० चन्द्रप्पन के दिनांक 16-8-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3344 का उत्तर इस प्रकार दिया गया था :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अपने उर्वरकों के लिये नये वितरण कर्ताओं को नियुक्त करते समय योग्य बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्राथमिकता देती है। तथापि रासायनिक उपोत्पाद वास्तविक उपभोक्ताओं को अधिकांशतः सीधे सप्लाई किये जाते हैं।

(ख) यह ठीक नहीं है। वर्ष 1971-72 से 1973-74 के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उत्पादित उर्वरकों के वितरण के लिये नियुक्त किये गये बेरोजगार स्नातकों द्वारा चलाये जा रहे संस्थानों की संख्या निम्नलिखित है :—

1971-72 : 2
1972-73 : 7
1973-74 : 12

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुऐ प्रश्न नहीं उठता।

"तत्पश्चात् सरकार के ध्यान में यह बात आई कि इस उत्तर में कुछ अशुद्धियां हैं। अतः मैं पहले दिये गये उत्तर को सही कर रहा हूं। पहले दिये गये उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर पढ़ा जाये।"

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 1971 में यह फैसला किया था कि अपनी रासायनिक खाद वितरकों की नियुक्ति के मामले में ऐसे बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रोत्साहन दिया जाये। जिनकी वित्तीय स्थित अच्छी हो और जो इस काम को स्वतंत्र रूप से कर सकते हों। तथापि रासायनिक उपोत्पाद वास्तविक उपभोक्ताओं को अधिकांशतः सीधे सप्लाई किये जाते हैं।

(ख) यद्यपि ऊपर (क) में उल्लिखित निर्णय के अनुसार कोई बेरोजगार कृषि स्नातक वितरक के रूप में नियुक्त करनें के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया तथापि वर्ष 1973-74 के लिये नियुक्त किये गये वितरकों में 2 बेरोजगार स्नातक थे।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लोक सभा में दिनांक 16-8-1973 को श्रीमती भारगवी तनकप्पन तथा श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3343 और 3344 के उत्तरों को ठीक करन में विलम्ब के कारणों के बारे में विवरण

वर्ष 1973 में संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन में हिन्दुस्तान स्टील लि० के उर्वरकों के वितरण के बारे में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों में कई प्रश्नों के उत्तर दिये गये थे। बाद में जब 14-12-1973 को उसी विषय पर राज्य सभा में एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सामग्री जांच की गई उस समय कुछ अशुद्धियों का पता चला ; अतः राज्य सभा के उस प्रश्न के बारे में आश्वासन दे दिया गया और इस मामले में और जांच पड़ताल की गई। इस जांच पड़ताल से यह मालूम हुआ कि वर्ष 1973 के वर्षाकालीन अधिवेशन में राज्य सभा और लोक सभा में पूछे गये पहले के प्रश्नों के उत्तरों में कुछ अशुद्धियां हैं इसलिये राज्य सभा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर को 10-5-1974 को एक विवरण द्वारा ठीक कर दिया गया लेकिन चूंकि 10-5-74 को लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई थी इसलिये लोक सभा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों को ठीक नहीं किया जा सका। अतः मुझे लोक सभा के दिनांक 16-8-73 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3343, 3344 के उत्तर को सही करने का जो पहला मौका मिला है उस का लाभ उठाते हुए, मैं उनके उत्तरों को ठीक कर रहा हूं।

भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारियों को 1973 में समयोपरि भत्ते की अदायगी के बारे में दिनांक 28-3-74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5049 के उत्तर को सही करने के बारे विवरण

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बताया गया था कि फरवरी, 1974 के अन्त तक विभिन्न स्तरों के प्रबन्धकों की समयोपरि भत्ता देने की शक्तियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध इस प्रकार थे :—

(1) कोयला खान प्रबन्धक .	. .
(2) उपक्षेत्रीय प्रबन्धक	. एक कामगार को 50 रुपये प्रतिमास तक।
(3) महाप्रबन्धक	. एक कामगार को 100 रुपये प्रतिमास तक।

1 मार्च, 1974 से दी गई शक्तियां इस प्रकार हैं :—

(1) प्रबन्धक	. एक कामगार को 50 रुपये प्रतिमास तक।
(2) उपक्षेत्रीय प्रबन्धक	. एक कामगार को अधिकाधिक 150 रुपये प्रतिमास तक।
(3) क्षेत्रीय महाप्रबन्धक .	पूर्ण शक्ति

दिनांक 28-3-74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5049 के उत्तर को सही करने में देरी के लिये विवरण

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों को 1973 में समयोपरि भत्ते की अदायगी के बारे में श्री शंकर दयाल सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या 5049 का उत्तर 28-3-74 को दिया गया था।

मध्यवर्ती अवधि में दूरसंचार में गड़बड़ी होने के कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से सही तथा अदयतन जानकारी 2-5-74 को ही प्राप्त हुई है।

74M/S9LSS—10

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और केन्द्रीय उत्पाद नियम 1974 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 325 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 8029/74)

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 326 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8030/74)

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध चन्द्र हंसदा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा, परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8031/74)

नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जानकी वल्लभ पटनायक) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 के धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना (वेतन तथा भत्ते) संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 9-ङ में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6737/74)

(2) नौसेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 37 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) नौसेना औपचारिकतायें, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 113 मे प्रकाशित हुये थे ।

(4) भारतीय नौसेना सहायक सेवा विनियम, 1973 (हिन्दी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 124 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6826/74)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, अधिसूचनायें और संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम 1974

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखत हूं :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 428 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा पेय जल में माल्ट युक्त जौ तथा हाप्स के मैश का, अथवा माल्ट युक्त या बिना माल्ट के अनाजों या अन्य कार्बो-हाइड्रेटों से युक्त हाप्स का मादक द्रव्य तैयार करने वाले उद्योग को उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में जोड़ा गया है ।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 521 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 606 में प्रकाशित हुई थी ।

74M/S3LSS—10(a)

(4) संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 520 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) धातुमय खान (संशोधन) विनिमय, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 540 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) कोयला खान (संशोधन) विनिमय, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 541 में प्रकाशित हुए थे।

(6) मज़दूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 5 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० आ० 329 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या सां० आ० 282 (ङ) दिनांक 4 मई, 1974 में प्रकाशित आदेश रद्द किया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8032/74)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का विशेषाधिकार का प्रस्ताव देख लिया है। उसमें कोई विशेषाधिकार वाली बात नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा निवेदन यह है कि हिन्दुस्तान टाइम्ज़ में समाचार छपा है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, श्री जसजीत सिंह ने आज अपनी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क सलाहकार परिषद् को बताया कि कुल राजस्व करों में अप्रत्यक्ष करों का भाग 72·4 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा : "चूंकि अनुपूरक बजट अप्रत्यक्ष कराधान में दरों को निश्चित ही बढ़ा देगा अतः 1974-75 में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व वर्तमान अनुमान से अधिक होगा"।

श्रीमान जी, संसद का अधिवेशन हो रहा है तथा अनुपूरक बजट 31 तारिख को प्रस्तुत किया जाना है । तो क्या यह स्पष्टतः विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : कोई सरकारी कर्मचारी यह कैसे कह सकता है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होगी ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : (वेतूल) यह एक गंभीर मामला है। अध्यक्ष के लिए यह उचित नहीं है कि वह खुले रूप से यह संकेत दें कि अध्यक्ष महोदय तथ्यों की जांच करवाये तथा उसके बाद यह निर्णय करें कि यह विशेषाधिकार भंग होने का मामला है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकता-उत्तरपूर्व) : यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और अध्यक्ष महोदय सभा को बतायें कि वह इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं क्योंकि यह एक ऐसा रहस्योदघाटन है जिससे व्यापारी समुदाय को अपने जघन्य कार्य करने का अवसर मिल जायेगा। .....(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : एक सरकारी अधिकारी द्वारा यह कहा जाना कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की अनुपात में वृद्धि होगी, पूर्णतया गलत और अनुचित है । यह एक प्रकार से बजट के भेद को खोलने के ही समान है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें ऐसा लगता है कि यह अधिकारी व्यापारी समुदाय के साथ मिला हुआ है। जब से ऐसा कहा गया है, वस्तुओं के मूल्य ही नहीं बढ़े अपितु वह बाजार से गायब ही हो गई है। अध्यक्ष महोदय को इस सम्पूर्ण मामले की जांच करवानी चाहिये तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभा को याद होगा कि सम्भवत: 1958 या 1959 में मैने एक इसी प्रकार का मामला उठाया था। उस समय दिल्ली से किसी सिगरेट उत्पादक को यह पत्र लिखा गया था कि 'अमुक सिगरेट' के दामों में वृद्धि की जा रही है। यह बजट का भेद देने का मामला करार किया गया था।

आज यह मामला भी उसी प्रकार का है। यह तो समझा जा सकता है कि कोई व्यापार गृह अनुपूरक बजट के बारे में पूर्वानुमान लगा ले परन्तु किसी विशिष्ट अधिकारी द्वारा यह कहा जाना की अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो रही है, निश्चय ही आपत्तिजनक है। यह विशेषाधिकार भंग होने का मामला यदि न भी हो, तो यह अनौचित्य का मामला अवश्य है। इसके बारे में निणय किया जाना चाहिये ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker Sir, we want your clear decision on two points. Firstly whether the announcement of supplementary budget, which lead to hoarding, is justified? Secondly, whether the announcement of the Chairman is justified?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मुझे यह बताया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के अध्यक्ष द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जैसा कि समाचार पत्रों म छपा है । उन्होंने केवल गत कुछ वर्षों के केन्द्रीय राजस्व के बारे में ही कुछ कहा । अनुपूरक बजट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष करों म कोइ वृद्धि नहीं होगी । यह बजट के प्रकट होने का मामला है। इसकी जांच होनी चाहिये ।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : This matter relates to the proceedings of the Council, of which the Press might have been appraised. The investigations in the matter can be made by the privileges committee.

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : चेयरमैन ने स्वंय कल व्यवसायकों के सम्मेलन में बताया कि भारी मात्रा में अप्रत्यक्ष कर लगाये जा रहें है । आपको और किस प्रमाण की आवश्यक्ता है ? इसलिये यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद भी बात वहीं रहती है । अनुपूरक बजट की पूर्व सूचना भी पहली बार ही दी गई है ।

विशेषाधिकार का मामला यह है क्या उक्त अधिकारी कर लगायेगा अथवा यह सभा कर लगायेगी । उन्होंने यह भी बता दिया है कि कितने रुपये के कर लगाये जायेंगे ।

श्री के० आर० गणेश : मुझे जानकारी मिली थी कि चेयरमैन ने इसके बारे में तथा अनुपूरक बजट के बारें में कुछ नहीं कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : वह अथवा मंत्री महोदय मुझे पत्र लिख कर स्थिति को पेचीदा होने से बचा सकते हैं ।

श्री राम सहाय पांडे : उक्त अधिकारी अथवा चेयरमैन के व्यवहार के बारे में आपने अपना निर्णय दे दिया है कि उनके द्वारा भूल हुई है । सदन यह जानना चाहता है कि इसके लिये उन्हें क्या दण्ड दिया जा रहा है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आप पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना किसी धिकारी को दोषी नहीं ठहरा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं । वह परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं । मान लीजिए उसकी कोई बात बाहर प्रकट हो जाती है . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समिति संसद से महत्वपूर्ण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिए सदस्य गुप्त बैठक में बैठे हैं ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The officer concerned should have expressed regret over what has been published in the paper.

Would the officer be called before the privilege committee ?

Mr. Speaker: What would the privilege committee do?

Shri Atal Behari Vajpayee : Who would accept its genuineness?

अध्यक्ष महोदय : तथ्य तो यह है मैं नहीं चाहता था कि मंत्री महोदय इस पर कुछ बोलें परन्तु उनका आग्रह बना रहा ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यदि यह मामला अनियमितता का है तो इसकी और जांच होनी चाहिये ।

Mr. Speaker : The privilege issue involved is suppose the hon. Members discuss in their party meeting very confidentially comes out.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह दल की बैठक थी ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः चेयरमैन परामर्शदात्री समिति में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों। परन्तु पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह बाहर न जाये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप प्रो० मुखर्जी को सुन चुके हैं। शरारत हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों की मांग पर मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है और वहां भी उसे दोषी पाया जाता है और वह इससे इनकार कर देते है इससे बात साफ होगी ।

Shri Atal Behari Vajpayee : You have said that it is improper but the officer says that he has not said it, how it is improper then?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज ही इसका अध्ययन किया है तथा अपना दृढ़ मत व्यक्त कर दिया है । यह बात अनियमित अवश्य है परन्तु विशेषाधिकार का मामला नहीं है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (उतरपूर्व कलकत्ता) **:** मैं चाहूंगा कि विशेषाधिकार ससीमौंत इस मामले का अध्ययन करे । मंत्री महोदय के वक्तव्य से न केवल देश को अपितु संसदीय प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है ।

श्री भागवत झा आजाद : यदि उक्त अधिकारी द्वारा इस घोषणा के किये जाने का खण्डन किया गया था तो हम निश्चय ही इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने का आग्रह नहीं करेंगे । क्या आप प्रैस से यह पता लगायेंगे कि उन्हें यह जानकारी किस स्रोत से प्राप्त हुई ।

श्री ज्योतिर्मय वसु : विशेषाधिकार समिति विवादास्पद विषय पर अपना निर्णय दे सकती है ।

श्री श्यामनन्द मिश्र : यह घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी अनुपूरक बजट रखा जायेंगा ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) **:** आप की टिप्पणी किसी व्यक्ति के बारे में है अथवा प्रतिक्रिया के बारे में हम भ्रम में पड़े हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये लोग भी इस मामले में शामिल हो गये हैं और उन्होंने ऐसा कहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : विशेषाधिकार का प्रश्न किसी एक दल का मामला नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई रास्ता ही नहीं है ।

श्री मधु लिमये (बांका) : एक रास्ता है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : काल्पनिक व्यवस्था देने का क्या उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय : काल्पनात्मक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया । ऐसा परामर्श उन्हें दिया गया था ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : किसने क्या स्वीकार नहीं किया है ? हमने कौन सा विनिर्णय स्वीकार नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह व्यवस्था दी थी । आरम्भ में मैंने कहा था कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है, अनौचित्य का मामला हो सकता है । उसके बाद चर्चा हुई । मंत्री महोदय ने वक्तव्य देने पर बल दिया । उनका कहना यह है कि वे व्यवस्था स्वीकार करने के लिए तैयार थे परन्तु मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद स्थिति विवादास्पद हो गई है । जब आरम्भ में मैंने कहा था कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है तब श्री झा ने कहा था कि नहीं यह विशेषाधिकार का मामला है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैंने ऐसा नहीं कहा है । आप रिकार्ड देखिये । आप के द्वारा अनौचित्य का मामला बताये जाने पर हमने यह कहा है कि यदि यह अनौचित्य का मामला है तो इसकी और जांच होनी चाहिए । आपने ही मामले को जटिल बनाया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह कहा है कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है । मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद मामला विवादस्पद बन गया है । अब इसे विशेषाधिकार समिति को भेजना ही उत्तम है ।

श्री के० मनोहरन (मद्रास—उत्तर) : जब आपने यह देख लिया कि इस विषय पर सभी सहमत हैं तब यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय वक्तव्य न देते तो यह मामला अनौचित्य का था, जिसे आपने स्वीकार नहीं किया था ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अखबार में जो कुछ छपा है वह संवाददाता के विचार हैं । केवल चौथे पैराग्राफ में चेयरमैन का नाम आया है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : May I know whether any press-correspondent can express his personal view like this ? The Council has been informed by the Chairman. The correspondent is being made responsible in order to save the officer concerned.

श्री भागवत झा आजाद : आप प्रेस रिपोर्ट देखकर निर्णय कर सकते है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The case should be referred to the Privilege Committee.

अध्यक्ष महोदय : विवाद में पड़ने से तो यही अच्छा है कि मामला विशेषाधिकार समिति क पास भेज दिया जाना चाहिये । यदि आपको मेरी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है तब केवल यही विकल्प रह जाता है कि समिति स्वयं मामले की जांच करें ।

श्री के० रघुरामैया : सरकार द्वारा अध्यक्ष पीठ की व्यवस्था स्वीकार न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । हमें अब भी आपकी व्यवस्था स्वीकार हैं । यदि आप समझते कि हैं विशेषाधिकार के हनन जैसी कोई बात नहीं है तब अधिकारी का इन्कार करने से मत विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन जायेगा ।

मेघालय के मंत्री द्वारा दी गयी कुछ टिप्पणियों के बारे में

Re. : certain Observations made by Minister of Meghalaya

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधुदण्डवते ने इस विषय पर विशेषाधिकार भंग होने का नोटिस दिया है। मैं बता चका हूं कि यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

संविधान (32वां) संशोधन विधयक)

Constitution (32nd Amendment) Bill

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय का बढ़ाया जाना

डा० शंकर दयाल शर्मा (भोपाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। दल बदल का मामला शुरू करके अब इसे बन्द कराने में अपनी इच्छा व्यक्त करके सरकार धर्मात्मा बन रही है । यदि ऐसी बात थी तो यह विधेयक बहुत पहले लाया जा सकता था । प्रतिवेदन अगले सत्र तक प्रस्तुत क्यों नहीं कर दिया जाता । सरकार ने गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तरप्रदेश में तथा मणीपुर में दल बदल कराई हैं । देश में ऐसा राजनैतिक भ्रष्टाचार फैलाया गया है ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अगले सत्र से अधिक समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। इसके बारे में सरकार को शीघ्र ही अन्तिम निर्णय करना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तरपूर्व) : सरकार दीर्घ अवधि बढ़ाना चाहती है। राजनैतिक क्षेत्र में दल बदल हो रहें हैं ।

डा० शंकर दयाल शर्मा : विपक्ष के सदस्य भी संयुक्त समिति के सदस्य हैं और सभा ने एकमत होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अगले बजट सत्र के प्रथम सप्ताह तक समय बढ़ाने की मांग की है । समिति शीघ्रातिशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय अगले बजट सत्र (1975) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव
Motion of No-confidence in the Council of Ministers

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): In view of spiralling prices it is necessary that if this Government is voted out as a result of no-confidence motion then the new Government should make a law that the prices of factory products will not be allowed to go higher than the justified profit on the cost of production. It is also necessary that the ratio between the prices of Agricultural and industrial products is fixed by the Government. If this is not done, factory owners will continue to fleece the farmers.

Yesterday, a charge was levelled against the opposition members that are having a fascist mentality. But the fact is that the ruling party itself have developed that tendency as is evidenced by the fact of setting up of Indira Brigade and their attempts to create division amongst the opposition ranks

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Sir . . .

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न भोजन के पश्चात् आप अपना वक्तव्या दें ।

इसके पश्चात लोक सभा यध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 14 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok sabha re-assembled after lunch at two minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जगजीवन राम अपना वक्तव्य देगें ।

Shri Jagjivan Ram : There is no doubt that the motion of no-confidence is an important weapon in the armoury of opposition. But this weapon should be used rarely. By bringing this motion in every session the opposition parties are destroying their own importance.

As regards the points raised in the motion, there is nothing new about them. Most of the points had been raised on previons occasions also. The only point is about the Ordinances recently promulgated by the President.

So far as the point regarding railway workers' strike is concerned, no body ever denied the workers right to strike. But while taking a decision to go on strike, the interest of the nation should be kept in mind. Today vigilant trade unions all over the world do not take any drastic step without taking into consideration this important aspect.

There is no doubt about the need to raise the standard of living of the railway employees. But this has to be considered whether there are other people in the country whose standard of living is at a much lower level and, if so, why should priority not be given to those people ? If our trade unions develop this habit of looking downwards, much of their frustration will disappear.

Much has been said about price rise and corruption. There can be no two opinions about the fact that the prices are rising. But the question is whether the strike is a step which may stop price rise ? Can it be denied by anybody that whenever there has been strike in any sector, the people in lower income group are the worst hit ? Those who incite railway workers to go on strike should realise the harm caused by the strikes to the industry, trade and agriculture of the country. They should also realise that it is not a step in the interest of the nation.

So far as the ordinances are concerned whatever is said against them, the fact remains that they are aimed at checking inflation in the country. It has been our experience that whenever dearness allowance is increased it led to rise in prices. Therefore, some steps have to be taken to stop this. To call these ordinances as a step to freeze wages is totally wrong and confusing. I and some people will not be misguided by such false propaganda.

I don't want to go into details about whatever is happening in Gujarat. Indira Brigade has been referred to in this regard but all the facts have not been mentioned. The hon. member who has mentioned about this brigade must have come to know that legal action is being taken against those who started it.

In our country whenever a great person attains fame his name is associated with some undesirable activities. Even Mahatma Gandhi and Shri Jawaharlal Nehru was also not spared.

Public opinion is in favour of one party. This they have been showing in every election. People know which party is their wellwisher you cannot mislead them. I fail to understand why the opposition party is bringing this no-confidence motion in every session. They are making it a cheap weapon. I submit that instead of levelling charges against the ruling party they should come with concrete suggestions so that we can tide over the present critical condition.

This motion has no substance and should be rejected with the contempt it deserves.

श्री के० मनोहरन (मद्रास—उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय यह बड़े खेद का विषय है कि हमें सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों को सरकार के प्रति बार-बार अविश्वास का प्रस्ताव लाने में कोई मज़ा नहीं आता लेकिन यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम सरकार की खामियों की चर्चा कर सकते हैं ।

इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या परिणाम निकलेगा इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं । सदन में सतारूढ़ सदस्यों का इस प्रस्ताव का विरोध करना स्वभाविक ही है । लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार विरोधी पक्ष के नेताओं की भावनाओं को समझने का यत्न करें ।

पिछले दो दिनों से इस विषय पर जितनी चर्चा हुई उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। दोनों विरोधी पक्ष और सतारूढ़ दल के सदस्यों ने यह बात स्वीकार की है कि देश में भयानक मुद्रा-स्फीति है । अत्याधिक बेरोज़गारी है, जनता करों से पिस रही है देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। देश के समक्ष बड़ी गंभीर स्थिति है परन्तु यह सब मंजूर करने पर भी किसी कांग्रेसी सदस्य ने सरकार को इसके लिये दोषी नहीं बताया अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार का ध्यान उसकी कमियों की ओर दिलायें सरकार को इसका उचित समाधान करना चाहिये अन्यथा देश गर्त में चला जाएगा ।

रेल हड़ताल के संबंध में सरकार को यह देखने का यत्न करना चाहिये कि किन लोगों ने देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके कारण हड़ताल आन्दोलन और प्रदर्शन अनिर्वाय हो गए । मैं इस सबके लिये कांग्रेस दल को उत्तरदायी ठहराता हूं । कांग्रेस दल ही मुख्य दल है जिसने ये सब दुःखद परिस्थतियां पैदा की जिनसे ये हड़तालें और आन्दोलन हुए। किसी का भी इस संबंध में मुझसे मतभेद नहीं हो सकता ।

सरकार की जो कुछ कमियां हैं उसे स्वीकार करने की ताकत कांग्रेसी नेताओं में होनी चाहिये अपनी बात के समर्थन में उदाहरणार्थ श्री डी० पी० धर योजना मंत्री के विचार उदधृत करना चाहता हूं उन्होंने कहा है खेती के मोर्चे पर देश की सबसे बड़ी असफलता इस क्षेत्र के कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में अधिकतम लाभ का चला जाना है बाकी हजारों करोड़ों किसान इससे वंचित रह जाते हैं कांग्रेस दल का खेती के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं रहा है । छोटे किसान को तो सिर्फ नारे ही मिले . . . . . श्री धर ने समस्याओं को समझा है और अपने विचारों की खुलकर व्याख्या की है । हमें देश में ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है । यह नहीं मुंह में कछ और, और दिल में कुछ और ।

काले धन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । वांचू समिति के अनुसार काला धन देश में करोड़ों रूपये की तादाद में है । वांचू समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि 10 रुपये के करेंसी नोट बंद किए जाएं किन्तु कल श्री चव्हाण कह रहे थे कि यह बहुत कठिन कार्य है और सरकार वांचू समिति की सिफारिश मानने को तैयार नहीं । श्री चव्हाण ने कहा है कि वे काले धन की समस्या से निपटने के लिये कुछ और उपाय करेंगे अर्थात् कुछ बड़े व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों के घरों पर छापे मारेंगे । मुझे खेद है कि श्री चव्हाण अपने इस अभियान में कभी नहीं सफल होंगें । यह एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह फैली पड़ी है । इसके लिये उन्ह राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा और भ्रष्ट राज्य सरकारें काले धन की समस्यों से निपटने के लिये उनकी कभी सहायता नहीं करेंगी ।

अन्त में मैं कच्चातिबू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कच्चाटिब्बू को हमारी प्रधानमंत्री जी ने श्री लंका सरकार को दे दिया है और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का कहना है कि उनसे इस संबंध में कोई परामर्श नहीं किया गया । हम यह स्पष्टत : जानना चाहते हैं कि क्या

इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ परामश किया गया था अथवा नहीं और क्या परामर्श के दौरान इस द्वीप की अदला-बदली में श्री लंका सरकार को देने में अपनी सहमति प्रदान की थी ।

जहां तक इन दो अध्यादेशों का संबंध है भारत सरकार तो अध्यादेशों को बनाने वाला केन्द्र बन गई है । हरएक बात के लिये वह अध्यादेश का सहारा लेती है । इससे न केवल संसद की प्रतिष्ठा की हानि हुई है अपितु देश की प्रतिष्ठा भी घटी है । हमारा संसदीय लोकतंत्र उपहास बनकर रह गया है । मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि भविष्य में सरकार कुछ एक मामलों को हल करने हेतु इन घृणित और हानिकर तरीकों को न अपनायें । ऐसे तरीके उन्हें सुगम लगते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : हमारे दल के प्रति कई आरोप लगाये गये हैं और कहा गया है कि हम अपने घर में व्यवस्था बनाएं पर आरोप लगाने वालों से मेरा निवेदन है कि पहले वह अपने घर को देखे उसे संभाले फिर दूसर परआक्षेप करें ।

श्री पीलू मोदी ने कहा कि सरकार सत्य की हिंसा कर रही है यदि देश में कोई सत्य की हिंसा कर रहा है तो वह है विरोधी दल । इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने जो भी तर्क दिये हैं और जो भी आरोप लगाए हैं वह सब आधार रहित हैं ।

श्री पीलू मोदी ने हमारे द्वारा राष्ट्रपति पद के लिये चुने गए उम्मीदवार के बारे में परोक्ष रूप से कुछ कहा है । हमने जिस व्यक्ति को चुना है उस पर हमें नाज़ है और हम सब उनको अपना पूर्णतया समर्थन देंगे ।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने अपने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कहा है कि देश में वस्तुओं के मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई और सरकार आर्थिक संकट के इस समय में वेतन पर रोक लग रही है । सरकार अध्यादेशों से देश में राज्य कर रही है । रेल कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है और पुलिस का दमन चक्र चल रहा है ।

इस बात से कौन इन्कार करता है कि देश में मूल्यों में वृद्धि नहीं हो रही । सरकार भी इस वस्तु-स्थिति से अनभिज्ञ नहीं । वह हर संभव उपाय से मूल्यों में वृद्धि को रोकने का यत्न कर रही है । मैं भी इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता यदि मुझे ऐसा आभास होता कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही पर मैं जानता हूं मूल्यों को स्थिर करने, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये हर संभव उपाय किऐ जा रहे हैं । विपक्षी दल के सदस्यों का कहना है कि घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और रिजर्व बैंक इस अर्थव्यवस्था के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहा है किन्तु हम जानते हैं कि रिज़र्व बक नें ग़ैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण व्यवस्था पर रोक लगाई है । जून और सितम्बर 1973 में वाणिज्यिक बैंकों की रक्षित नकदी का अनुपात 3 प्रतिशत से बढ़ कर 7 प्रतिशत हो गया था । जिससे लगभग 400 करोड़ के बकों की जमा राशि अवरुद्ध हो गई थी । सरकार ने गैर-विकास के परिव्यय में भी भारी कटौती की है लगभग 370 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है और 319 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था को कम किया गया है ।

अध्यादेशों के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है हमने देखा है कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि देन के साथ-साथ मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। इस साल केन्द्रीय कर्मचारियों को 1.80 करोड़ रुपये का मंहगाई भत्ता दिया जायेगा इसी के अनुरूप राज्य सरकार कर्मचारियों को 300 करोड़ रुपये औसत का मंहगाई भत्ता दिया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 95 करोड़ और निजी क्षेत्र के कर्मचारयों को 287 करोड़ रुपये का मंहगाई भत्ता दिया जाएगा अर्थात् इस वर्ष में कुल मिलाकर 865 करोड़ रुपये का मंहगाई भत्ता दिया जायेगा जो अगले साल तक बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए हो जाएगा। आप ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की दशा का भली-भांति ज्ञान लगा सकते हैं।

अध्यादेशों से वेतन वृद्धि पर रोक नहीं लगती। इनका उद्देश्य अतिरिक्त आय के प्रचलन को बन्द करना और आगामी लाभ को वास्तविक बनाना है।

रेलवे हड़ताल के दौरान हुये अत्याचार के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध हूं। सरकार का भी कर्त्तव्य है कि वह देखे कर्मचारियों पर अत्याचार न हो साथ ही उसका यह भी कर्त्तव्य है कि निरीह जनता पर भी अत्याचार न किए जायें। रेलवे हड़ताल के दौरान तोड़-फोड़ की 53 घटनाएं हुई और 100 मामले ऐसे थे जिनमें कि तोड़-फोड़ का प्रयास किया गया। सरकार को चाहिये कि वह उन कर्मचारियों को जिन्होंने तोड़-फोड़ कर जनता को तकलीफ पहुंचाई है कभी माफ न करें उन्हें दण्ड दें पर निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके प्रति तोड़-फोड़ अथवा हिंसा के विशेष आरोप नहीं हैं, कार्यवाही न करें उन्हें परेशान न करें।

प्रशासनिक त्रुटियों के भी कई मामले हुये हैं। कल मंत्री महोदय ने कहा कि निष्ठावान कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा इस संदर्भ में मैं उनका ध्यान एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। एन०एफ० रेलवे में तदर्थ आधार पर दो व्यक्तियों को हड़ताल से पहले सहायक श्रम कल्याण निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। इनमें से एक महिला थी। हड़ताल के दिनों में जबकि पुरुष भी हड़ताल न करने वालों का साथ देने में डरते थे यह महिला रोज ड्यूटी पर जाती रही और हड़ताल खत्म होने के बाद उन्हें पुनः अपने पद पर वापिस भेज दिया गया। अगर आप निष्ठावान कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो इसका उन पर क्या असर होगा। मंत्री महोदय को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिये। माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने पुलिस द्वारा आसाम राज्य में किए गए दमन के कई उदाहरण पेश किए हैं। यह मामले राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं और उन पर यहां अविश्वास प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

हमारे देश में हुये विकास के संबंध में अन्य देशों के लोग भी नाज़ कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के कुछ लोग इसकी निन्दा करना चाहते हैं। आज केवल हमारा देश ही ऐसी विकट स्थिति से नहीं गुजर रहा बल्कि विश्व के कई देशों को ऐसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया था कि इटली सरकार दिवालिया हो गई है वह सरकार जो कि सप्ताह में चार दिन काम अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप शुरू करना चाहती थी उसका यह हाल है। केवल आत्मविश्वास की भावना से ही हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी विकट स्थिति में विरोधी पक्ष देश में अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहा है तथा अपने तुच्छ राजनीतिक उद्देश्यों के लिये लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार विरोधी पक्ष देश का बड़ा अहित कर रहा है। अतः मुझे आशा है कि सदन बहुमत से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा है कि विरोधी पक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का पेश किया जाना राष्ट्रीय हित में नहीं है। आज देश अत्यंत विकट स्थिति स गुज़र रहा है अत: ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिये जिससे स्थिति और बिगड़े अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव न लाया जाए। यहां लोग जो देश की स्थिति को विकट बनाने के जिम्मेदार हैं नहीं चाहते कि जनता को इनकी कमियों का पता चले। यह समझ नहीं आता कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला अपने भाग्य पर पछताए या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाला। पर वस्तुस्थिति यह है कि सरकार बहरी है कितनी ही जनता की आवाज उन तक पहुंचाई जाए उन्हें सुनाई नहीं देता।

गुजरात विधान सभा में 168 में से 140 सदस्य कांग्रेसी थे पर अब उनकी सरकार कहां गई क्या उन्हें प्रधान मंत्री ने बाहर निकाल दिया है या राष्ट्रपति ने। उन्हें गुजरात की जनता ने बाहर निकाला है और यही हाल आप के साथ बिहार में भी होने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लगाये गए आरोपों की जांच करने के लिये संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये और यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हम आधारहीन आरोप लगाते रहे हैं अथवा हमारे आरोपों का संतोषप्रद उत्तर दिया गया है तो हम इसके लिये क्षमाप्रार्थी होंगे। मंत्री महोदय बतायें कि क्या हमारे आरोपों का संतोषजनक उत्तर दिया गया है।

अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य राष्ट्रीय समस्याओं को प्रकाश में लाना होता है और प्रतिपक्ष को इसके लिये कर्तव्यशील रहना चाहिये। सरकार न जाने क्यों आलोचनाओं को सुनना नहीं चाहती। किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में ऐसा नहीं होता। आलोचना के माध्यम से हम देश को सुधार सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती तो वह 60 करोड़ जनता वाले देश की बागडोर कैसे संभाल सकती है।

सच तो यह है कि सरकार ने प्रजातन्त्र की हत्या कर दी है। अखण्डता ही प्रजातन्त्र की आत्मा है परन्तु सरकार ने उसका हनन करके देश के प्रजातान्त्रिक ढांचे को बिगाड़ दिया है। सरकार को अपनी सत्ता का बहुत घमण्ड है और वह दूसरे दलों को लालच दे कर अपने दल में शामिल कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि एक बदनाम व्यापारी श्री जय प्रकाश नारायण का साथ दे रहा है। क्या यह आपत्तिजनक नहीं है? मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस स्तर पर न आऐं और देश की राजनीति को गंदा न बनाए। प्रधानमंत्री को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिये।

कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्री ने आर्थिक अपराधों की बात की थी। परन्तु मोदी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई जबकि उसके पास से 4,000 बोरियां बरामद की गई थीं। यह मामला गत 15-16 महीनों से लटका हुआ है परन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सरकार ने अध्यादेश जारी किया था कि ऐसे मामलों में तुरन्त मुकद्दमा चलाया जाएगा, फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया?

काले धन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सत्तारुढ़ दल का कहना है कि काला धन प्रत्येक देश में है और यदि काला धन समाप्त कर दिया जाय तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। काला धन कांग्रेस के लिये कामधेनु है और वह इससे वंचित होना नहीं चाहते। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है उसको तो सम्मानित किया जाता है और जो भ्रष्टाचार नहीं करता उसे असामान्य व्यक्ति समझा जाता है। श्रीमति इंदिरागांधी के मंत्री मण्डल में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास काला धन है और जो भ्रष्टाचार को विशेषता समझते हैं। श्री जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है तो शासक दल उनके विरुद्ध हो गया है।

122 विधायकों और संसद् सदस्यों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में कही गई बातों के सत्य सिद्ध होने के बावजद भी ज्ञापन रद्द कर दिया गया। शासक दल अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है।

अमरीका में सर्वोच्च न्यायालय ने निक्सन को 60 टेप जमा कराने का आदेश दिया है। मुझे आशा है कि ऐसी ही परिस्थितियों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी निष्पक्षता का उदाहरण देगा।

बिहार की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। राज्य पुलिस के होते हुये भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल की नियुक्ति की गई है। ब्रिटिश काल में किसी भी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं था। परन्तु अब देश के जिम्मेदार नेताओं को बिहार में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह कितने दुःख की बात है।

सरकार का कहना है कि देश में आर्थिक आपातकालीन स्थिति है। परन्तु संविधान में केवल वित्त आपात स्थिति का उल्लेख किया गया है। यदि सरकार यह समझती है कि देश में वित्त आपात स्थिति है तो उसे अध्यादेश जारी करना चाहिये अन्यथा यह समझा जाएगा कि देश में असंवैधानिक रूप से आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है। भारत रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम को पास किया गया है। एक समिति का गठन किया जाए जो इसबात की जांच करेकी विशिष्ट क्षेत्रों में यह नियम और अधिनियम क्यों लागू किए गए हैं। बिहार में इस अधिनियम के अन्तर्गत झूठे आधारों पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूर्वभूत मंत्रियों का घेराव किया जा रहा है। हज़ारों नौजवानों को जानबूझ कर जेलों में ठूंस दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को ऊंचे पद देकर सम्मानित किया गया है।

वर्तमान संसद के कार्यकाल में 48 अध्यादेश और 254 अधिनियम पारित किए गए हैं और इनमें से सभी अध्यादेश बाद में अधिनियम बना दिये गए। क्या यही संसद् का कार्य है ?

निर्वाचन आयुक्त के कार्य की आलोचना की जानी चाहिये। यह बात सभी को ज्ञात है कि बिहार विधान सभा के कई सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र देने के परिणामस्वरूप किस प्रकार 20 सीट रिक्त हुई।

निर्वाचन आयोग ने बहुत तत्परता से इन पदों के चुनाव हेतु सूची की घोषणा कर दी है जबकि तथ्य यह है कि निर्वाचन आयोग दो क्षेत्रों में उप-चुनाव कराने के लिए डेढ़ वर्ष तक सोता रहा। निर्वाचन आयोग ने ऐसा क्यों किया, ऐसा बिहार के मुख्य मंत्री के कहने पर किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि चुनावों द्वारा इस बात का पता लग जाएगा कि लोगों की आस्था किस दल में है। दिल्ली महापरिषद के रामनगर चुनाव क्षेत्र के स्थान के लिए एक विशेष तिथि को चुनाव कराने की घोषणा की गई थी किन्तु चुनाव के 4 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इसे स्थगित कर दिया ताकि सत्ताधारी दल को कुछ लाभ हो जाए। यदि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के कहने को इस तरह मानता रहा तो जनता का विश्वास उस पर से उठ जाएगा।

सरकार ने प्रेस को भी अपना दास बना लिया है दो राष्ट्रीय एजेंसियों को सरकार द्वारा भारी मात्रा में राज सहायता दी जा रही है और वह सरकार की आभारी है वह उसकी निन्दा क्यों करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री का भी देश के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं है वह तो केवल अपने दल के प्रति वफादार हैं। अधिकतर समाचारपत्र इस सरकार के शिकंजे में है। वे सरकार का समर्थन करते हैं।

रेलवे हड़ताल के दिनों में जब उन्हें प्रचार पर्याप्त नहीं दिखा तो उन्होंने भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल की सेवाओं की भी सहायता ली और भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल ने समाचारपत्रों में काफी प्रचार किया। किसी भी समाजवादी सरकार के लिए यह लज्जा का विषय है लेकिन इस सरकार को किसी बात की परवाह नहीं यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रूई, खरीफ की फसलें, तिलहनों आदि का अभाव न होने पर भी उनके भाव बढ़ रहे हैं और ऐसा कुप्रबन्ध के कारण हो रहा है कीमतें 2·25 प्रतिशत की दर से प्रति माह बढ़ रही हैं।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हमें बताया गया था कि रेलवे कर्मचारियों के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा परन्तु हम देख रहे हैं कि उनका बुरी तरह से दमन किया जा रहा है। अभी मुझे भावनगर से तार मिला है कि 65 व्यक्तियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और 85 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि मजूरी और आय के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। उस नीति का क्या हुआ ? अब तक उस नीति को सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए अन्यथा स्थिति बहुत जल्दी नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

श्री वी० के० आर० वर्दराज राव (वेल्लारी) : मैंने श्री मिश्रा के भाषण को बहुत ध्यान से सुना है मैं आशा कर रहा था कि वह आर्थिक स्थिति के विश्लेषण के साथ-साथ उसके समाधान हेतु कोई ठोस सुझाव हमारे समक्ष रखेंगे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए

Shri Dinesh Chandra Goswami in the chair

लेकिन उन्होंने कहा वह बाद में इस बारे में बतायेंगे। आज देश विकट आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है इस समय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाकर देश की समस्याओं का हवाला देना उन पर चर्चा करना क्या उचित है? ऐसी स्थिति में जबकि मूल्यों में दिनोंदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है देश आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है विरोधी पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव सदन के समक्ष रखने की बजाए संसद् को देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने सरकार द्वारा गलत नीतियों को अपनाने उसकी आलोचना करने को कहना चाहिए था और बाद में समस्या के समाधान हेतु वह सुझाव दे देते अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाए तो सत्ताधारी दल को त्यागपत्र देना पड़ता है और फिर विरोधी पक्ष का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सत्ता ग्रहण करके उन सभी कमियों को दूर करे जिन्हें सुधारने में सत्तारूढ़ दल असमर्थ रहा। आज तीन दिन से इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही लेकिन विरोधी पक्ष के एक भी सदस्य ने स्थिति से निपटने हेतु कोई सुझाव नहीं दिया। वह केवल सत्ताधारी दल पर आक्रमण करते रहे इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। यह विपक्षी दलों का विशेषाधिकार है और इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए।

हम सब जानते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव पराजित होगा। यह बात सब जानते हैं फिर इन तीन दिनों में इस पर चर्चा करने से हमें क्या लाभ हुआ।

जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है इस बारे में मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वर्ष 1960-61 की मौद्रिक आय 13,336 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1972-73 में 39,187

करोड़ रुपए हो गई। 12 वर्षों में लगभग वह तिगुनी हो गई। मौद्रिक आय की 25,821 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में वास्तविक आय इन वर्षों में केवल 5,907 करोड़ रुपये ही बढ़ी अगर इनकी प्रतिशतता देखी जाए तो मौद्रिक आय में 193 प्रतिशत और वास्तविक आय में केवल 44 प्रतिशत वृद्धि हुई।

हमारे देश में हमेशा मुद्रा की सप्लाई मूल्य वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रही। वर्ष 1951–61 में मुद्रा की सप्लाई 42 प्रतिशत बढ़ी जबकि मूल्य वृद्धि केवल 1 प्रतिशत हुई। वर्ष 1960-61 से 1970-71 तक मुद्रा की सप्लाई 149 प्रतिशत बढ़ी। और कीमतें 80 प्रतिशत बढ़ी वर्ष 1972-73 में मुद्रा की सप्लाई 39·9 प्रतिशत से बढ़ी और मूल्यों में 14·3 प्रतिशत वृद्धि हुई अतः इन सभी वर्षों में मुद्रा सप्लाई और मूल्य वृद्धि का अनुपात 10:6 या 10:5 या 10:7 रहा लेकिन वर्ष 1973-74 मे स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। इस वर्ष मुद्रा की सप्लाई 14·7 प्रतिशत बढ़ी जबकि मूल्य सूचकांक में 28·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहली बार मूल्य मुद्रा सप्लाई की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं इसीलिए देश आपातकालीन स्थिति में है और हमें मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है।

मुद्रास्फीति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं उनमें से मुख्य कारण हैं (1) घाटे की अर्थव्यवस्था और मुद्रा की अतिरिक्त सप्लाई (2) उदारता से बैंकों का ऋण देना और लगातार मुद्रा की सप्लाई तथा इसकी सट्टेबाजी, जमाखोरी और स्टाक इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग (3) उत्पादन की कमी (4) आवश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त वसूली तथा उनका दोषपूर्ण वितरण (5) आयातित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि (6) कालाधन (7) बचत में कमी अथवा पर्याप्त न होना (8) सप्लाई की कमी के कारण खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी (9) सरकारी और निजी क्षेत्र म अनुत्पादक व्यय और (10) आय में असमानता इन्हीं कारणों से देश में वर्तमान स्फीति संकट उत्पन्न हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने समस्या का हल कर दिया है पर मैं विरोधी पक्ष से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक समस्या के समाधान हेतु कुछ नहीं किया। क्या सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया है मेरे विचार में स्थिति तभी गंभीर हुई जब मूल्यों में वृद्धि मुद्रा सप्लाई में हुई वृद्धि से अधिक मात्रा में होने लगी। हम मुद्रास्फीती के दौर से गुजर रहे हैं यह एक गंभीर स्थिति है। हम नहीं चाहते कि देश गर्त में जाए या लोग स्वयं को नष्ट कर लें। हम सब आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार हम समस्याओं का सामना करने के सामर्थ्य को और कम करेंगे।

सरकार इस समस्या को निपटाने के लिए किस कुशलता से काम कर रही है यह तो समय ही बताएगा।

मजूरी के सम्बन्ध में लागू किए गए अध्यादेश को न जाने वेतन वृद्धि पर रोक लगाना क्यों कहा जा रहा है जबकि यह केवल बाद में वेतन दिए जाने से संबंधित है। वेतन के सम्बन्ध में बातचीत करने पर यह कोई रोक नहीं लगाता। अध्यादेश में केवल यह कहा गया है कि मजूरी निश्चित होने पर इसका भुगतान अगले दो वर्ष तक नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों को सरकार अधिक भुगतान केवल घाटे की अर्थ व्यवस्था करके ही कर सकती है और यदि सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेगी तो देश में और मुद्रा स्फीती होगी। हम नहीं चाहते मूल्यों में वृद्धि 3–4 प्रतिशत से ज्यादा हमारा उद्देश्यों मूल्यवृद्धि को रोकना और फिर उसे कम करना है। यदि हम इस आस्थगित भुगतान को अब कर देंगे तो हमें 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सप्लाई करनी होगी।

यह कहना गलत है कि लाभांश पर रोक लगा दी गई है अथवा इससे औद्योगिक विकास आदि बंद हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा फैलाई गई यह अफवाह दुराशापूर्ण है ।

अनिवार्य जमा अध्यादेश में विधान द्वारा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे इसे तुरंत लागू किया जा सके और सरकार को उसका लाभ प्रतिमास मिल सके। हमारी कोशिश यह है कि मुद्रा-स्फीति की शीघ्रातिशीघ्र नियंत्रणाधीन लाया जाए।

अतिरिक्त लाभ कर के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। लोगों को मुद्रास्फीति के कारण अर्थात् मूल्यों में दिनोदिन वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त लाभ हो रहा है इसलिए इस अतिरिक्त लाभ पर कर लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह लाभ लोगों को अधिक उत्पादन के कारण नहीं अपितु मुद्रास्फीति के कारण प्राप्त हो रहा है।

व्यापारियों के कुल व्यापार पर भी अधिक कर लगाया जाए। यही लोग अत्याधिक पैसा बना रहे हैं। इनके पास सबसे ज्यादा काला धन है। राज्य सरकारें अध्यादेश जारी करके उनसे राजस्व प्राप्त करें ।

मध्यम और बड़े किसानों से भी कर वसूल किया जाए लगान पर अधिक कर लगाया जाए जो भूमि के आकार के अनुसार हो। यह काम राज्य सरकारों द्वारा अध्यादेश जारी करके किया जा सकता है ।

राज समिति के प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के लिए भी कहा गया है। निसंदेह राज समिति का प्रतिवेदन काफी अच्छा है पर उसके क्रियान्वयन से पहले काफी सर्वेक्षण करने पड़ेंगे और तुरन्त किए नही जा सकते और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसकी प्रतीक्षा कर सके।

धनी वर्ग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे होटल की सेवाएं आदि पर भी कर लगाया जाए क्योंकि अधिकतर काले धन वाले इनका प्रयोग कर रहे हैं।

काले धन की समस्या बड़ी गंभीर है और यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम मुद्रास्फीति को देश से कभी दूर न कर सकेंगे, हमें इस बारे में कुछ करना है। काला धन समाप्त करने के लिए जो कुछ उपाय किए गए हैं मैं उनसे संतुष्ट नहीं।

नगरों में जायदाद खरीदने, बेचने के मामले में काफी काले धन का प्रयोग होता है जितनी राशि की खरीद या बेचा जाना बताया जाता है वह वास्तविक नहीं होती। शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक काला धन इन सौदों में इस्तेमाल होता है। आयकर अधिनियम के अनुसार जब भी कोई अपनी सम्पत्ति बेचना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रार को सम्पत्ति की कीमत बाजार में उसकी उचित कीमत, उसका क्षेत्रफल इत्यादि सब कुछ दर्शाने वाला एक विवरण देना पड़ता है जो कि तुरंत आयकर विभाग को भेज दिया जाता है।

मैं इस से सन्तुष्ट नहीं हूं कि सरकार ने 4,000 मामले हाथ में लिये हैं और 32 उद्योग-गृहों का अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है। इन कुल 28 या 38 लाख लेन-देनों में काला-धन अन्तर्ग्रस्त है और सरकार को इतनी बड़ी संख्या से न घबराकर संगणकों की सहायता से सभी मामलों की बारीकी से जांच करनी चाहिये। सरकार के पास काले धन को निकाल बाहर करने के उपाय करने की पूरी शक्तियां हैं अत: उसे उनका उपयोग प्रभावी ढंग से करना चाहिये।

काला-धन विभिन्न प्रकार के लायसेंसों जैसे, सीमेंट या इस्पात के लायसेंस, आयात लायसेंस आदि की बदौलत पैदा होता है। क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था गठित की है जो हम इसकी जांच करें कि लायसेंसधारी ने अपने कोटे का कैसे उपयोग किया ? कछ लोग तो अपने कोटे का दुरुपयोग करते हैं, कछ बेच डालते हैं। कुछ लोग जालसाज़ी करके भी कोटा प्राप्त कर ले जाते हैं। हमें उनको डटकर दण्डित करना चाहिये।

मकान बनाने के लिये जो लोग सीमेंट इस्पात आदि का कोटा प्राप्त करते हैं उन्हें उस मकान का स्वामी कहलाने से पहले यह घोषित करना चाहिये कि उसमें कितना सीमेंट तथा इस्पात लगा। ऐसा प्रावधान करना असंभव नहीं है बस दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। इन उपायों से काला धन कुछ कम हो सकता है।

मैं मंत्री महोदय की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि मुद्रा के मल्य में तथा बैंक जमा राशियों में कटौती नहीं की जायेगी क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि इस कार्यवाही से मुद्रा-स्फीती कम हो जायेगी या तुरन्त ही मूल्य गिर जायेंगे। फिर मुद्रा की सप्लाई में 25 प्रतिशत कमी करने से हमें मजूरी, लाभान्शों, वेतनों आदि में सभी जगह 25 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी। अत : मुद्रा के मूल्य में या प्रसारण में इस प्रकार कटौती करना उपादेय नहीं होगा।

हजारों करोड़ रुपया जो कि बैंकों में गया है उसका इन्डैक्सिंग करने से भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही लाभ होगा गरीब आदमी को नहीं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

जब तक हमारी योजनायें तथा समस्त क्रियाऐं उत्पादन प्रधान नहीं होंगी स्थिति में सुधार नहीं होगा मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक आम जनता तथा सरकार के बीच तथा साथ ही सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष के बीच सही अर्थों में सहयोग तथा समन्वय नहीं होगा देश में उत्पादन की गति तेज नहीं हो सकेगी। हम जब कोई युद्ध लड़ते हैं तो आपसी झगड़े और विवाद भुलाकर सब एक जुट होकर शत्रु का सामना करते हैं। यदि आग लग गई हो तो भी हम परस्पर वैमनस्य भुलाकर मिलजुल कर आग को बुझाते हैं। आज भी स्थिति ऐसी है कि हमें सब को आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्र के नाम में एक होकर, कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी पूरी क्षमता और सहृदयता के साथ काम करना चाहिये। देश में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये परस्पर सहयोग, सहिष्णुता तथा शांति का वातावरण बहुत जरूरी है।

आज देश में हिंसा का वातावरण पैदा होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी व्यक्तिगत रूप में तो बहुत ही शांतिप्रिय और शरीफ़ लोग हैं परन्तु अपनी नाराजगी में आकर वे हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। रेल मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह रेल कर्मचारियों के साथ कुछ और उदारता के साथ व्यवहार करें। वस्तुत: दोष उनका नहीं है उन्हें भड़काने वालों का है जो कि अब मज़े से यहीं संसद् में बैठे हैं। आप उन्हें सज़ा नहीं दे सकते जिन्होंने उन्हें भड़काया है। फिर आप इन कर्मचारियों को क्यों दण्ड देते हैं ?

मैं चाहता हूं कि कर्मचारीवृन्द स्वयं यह संकल्प करें कि उन्हें देश में उत्पादन बढ़ाना है। मैं जानता हूं कि परिवहन की तंगी के कारण विद्युत प्रजनन, उर्वरकों तथा खाद्यान्नों के आने-जाने में रुकावट पड़ रही है। अत: कर्मचारी संघों को राष्ट्रीय आपात स्थिति का ध्यान रखते हुए अपना पूरा

सहयोग देकर देश के निर्माण और उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करनी चाहिये। सरकार भी अपनी ओर से कर्मचारियों के प्रति बदले की भावना न रखे तथा उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये।

Shri Madhu Limaye (Banka): I have very carefully heard what Shri Chavan, Shri Jagjiwan Ram, Prof. Rao and others have said and in reply to their query as to what for this no-confidence motion has been labelled. I would like to refer them to a few newspapers reports :

The Financial Express of today says :—

"A Windfall for hoarders".

"The Government's bravado has cost the consumer heavily. Perhaps to impress Parliament, it was announced that a supplementary Budget would be presented on July 31.

"The announcement has, however, recoiled. It served as a green signal to manufacturers and traders to hold back items on which additional taxes are expected to be levied in the supplementary Budget. They hope to earn windfall profits."

Times of India says :

"5 rats for one human in India".

"Rats outnumber by five times the human population in India according to Mr. Math, retired Deputy Director of Agriculture (Entomology).

"Mr. Math., who is associated with the Indian Institute of Socio-Economic Studies estimated the rat population at 240 crores.

"A survey of several parts of Karnataka had revealed that each rat collected for its consumption 1 to 15 Kg. of foodgrains in its burrow at harvest time. It was estimated that 150 rats consumed half a tonne of foodgrains in a year apart from rendering 10 times this quantity unfit for human consumption".

One more paper says :

"Notwithstanding the Government denials reports of starvation deaths and distress sale of children continue to pour in from different parts of Assam".

In view of the above do you expect a motion of applause for the Government ? You please refer to this news item of Calcutta's Hindustan Standard which says :—

Hindustan Standard, Calcutta :

"Commuter dies of suffocation in Bombay".

"The chaotic conditions on the suburban railway services resulted in the death of a commuter this morning. He first suffered from suffocation and giddiness and then an arm injury in an overcrowded compartment. He died in a hospital. Deaths of many have also reportedly gone unrecorded. People travel precariously on train roof tops or footboards".

The only reason for this was that the Railway Minister has not taken the Maintenance Staff on duty. Once, a situation had arisen when the electrical sub-station in Bombay was not working, they had to send the transport to bring those very workers who had been dismissed. That is why ? We have moved this no-confidence motion.

After 1956 the money circulation has risen from Rs. 2,218 crores to Rs. 11,000 crores where as the national income has only doubled. That is why there is a state of inflation. The value of the rupee has reduced to less than one fourths. Similarly the per capita availability of foodgrains, edible oils, cloth etc. has gone down to a degree which causes grave concern.

These are the reasons which have compelled us to table a no-confidence motion.

Nation has invested Rs. 5,500 crore on Electricity Boards but the Government have themselves admitted that there occurs a transmission loss of 27 to 37 per cent. That is why there is so much shortage of power.

As regards industrial production, an industrial newspaper of Calcutta writes :

> "Industrial growth rate continues to be sluggish, the rate of growth recording less then 1% last year and is likely to be near zero during the current year".

It has also been reported in a number of newspapers that the transport bottleneck and shortage of power should bring down the industrial production by 10 per cent. So, these ordinances and also a five per cent cut in money supply would also not bring down the prices. These ordinances can harass only the honest tax payers, but the dishonest sections of smugglers, capitalists bootleggers etc. would not be affected at all.

You are giving full liberty to the foreign companies to issue bonus shares whereas you are freezing the legitimate income of honest workers. A committee of experts conducted its deliberations in respect of revising the index numbers. The Capital Weekly in this respect has reported as following —

"The implementation of the Committee's recommendation will mean a substantial increase in the dearness allowance payable to the industrial workers as well as to employees in mercantile firms. This increase is estimated to be of the order of Rs. 50 or even more per month."

Thus, the Government are snatching away an income of Rs. 50 per month of the workers by way of manipulating the index number. All the industrialist and also the Government do not propose to accept the recommendation of this expert Committee which would have their impact not only in Calcutta but at all the places in the country.

The Government and the black-Marketeers only are responsible for the rise in prices. Last year the Government purchased wheat at Rs. 76 a quintal and later at Rs. 105 a quintal. But they sold only the former one at Rs. 135 to 145 a quintal through their Fair Price shops. Thus, they looted the farmers and the consumers both.

The Finance Minister has said that the Government are determined to dissolve black money. But I hereby cite a few examples of the very weak will-power of the Government. On March 1, they fixed the price of nephtha at Rs. 2,400 a ton for the petro-chemical industries, but on the pressure of M/s. Maffat Lal, International Union Carbide and Sahu Jain— the bulk consumers of nephtha, on 26 March, 1974 itself, they reduced the price to only Rs. 1,000 a ton thereby benefiting these capitalists to the tune of crores of rupees. From my reliable sources I have come to know that the matter has shifted from 20, Tughlak Road to Safdarjung Road and Rs. 1·5 crore has been distributed among .....(interruptions)

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : सभापति महोदय, हम ऐसे आरोप बार-बार सहन नहीं कर सकते। ऐसे आरोपों का वर्णन पूर्व सूचना दिये बिना नहीं किया जा सकता अतः ये टिप्पणियां सभा की कार्यवाही से निकाल दी जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : व्यवस्था के प्रश्न पर नियमों के अनुसार कोई सदस्य पूर्व सूचना दिये बिना आरोप लगाते समय किसी का नाम नहीं ले सकता परन्तु ये आरोप तो उनके विरुद्ध है जिन्होंने इस सभा को उत्तर देना है। प्रधान मंत्री ने इस चर्चा का उत्तर देना है। वह इन आरोपों का खण्डन कर सकती हैं। वह भी तो कार्यवाही में शामिल होगा.....(व्यवधान)

श्री के० पी० उनीकृष्णन (बड़ागरा) : ये टिप्पणियां कार्यवाही से निकाल दी जायें।

Shri Madhu Limaye: I have not mentioned any name.....(interruptions). you purchased the entire Safdarjung Road ?

सभापति महोदय : आप सभी मेरी अनुमति के बिना बोले जा रहे हैं। यह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। सामान्यतः ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये। यदि अभी से इतना विवाद पैदा कर दिया गया तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पर अनेक सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिल पायेगा।

श्री के० पी० उनीकृष्णन : तुगलक रोड तथा सफदरजंग रोड से संबद्ध उल्लेख कार्यवाही से निकाल दिये जाने चाहियें ..... (व्यवधान)

Shri Priya Ranjan Dass Munshi (Calcutta South) : You got 4 lakh American dollars. That is also a fact.....(interruptions).

Shri Madhu Limaye : Why did you reduce the price of nephtha by Rs. 1,400 a ton ? It should be investigated.

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री चर्चा का उत्तर देंगी।

श्री के० पी० उनीकृष्णन : ये सभी टिप्पणियां कार्यवाही में शामिल नहीं होंगी।

सभापति महोदय : आप का व्यवस्था का प्रश्न न्यायोचित हो सकता है परन्तु मैंने तो यही कहा है कि यदि विवाद में समय गुजार दिया गया तो कई सदस्य बोलने से वंचित रह जायेंगे। मधु लिमये कृपया ऐसी बातें न कहें जिनसे सभा में उत्तेजना फैले। प्रधान मंत्री चर्चा का उत्तर देंगी।

Shri Madhu Limaye : Now India Petro-chemical Industry Ltd. and Gujarat State's Fertilizer Corporation would be manufacturing 20 lakh tons of caprolectum and DMT a year. This raw materiai is used on the manufacture of nylon yarn, poliester filame it and fibres uptil now it was imported by the S.T.C. from abroad but now the indigenous production would be be available free of excise duty and at about Rs. 18,000 a ton less than the imported price. This benefit would go to Mody, Birlas J.K., Bangurs, Jaipurias, Nirlons etc.,which are all anti-social elements. This would be depriving the exchequer of an income of Rs. 50 crore. I did invite the attention of the Government to this aspect but no action has been taken. Although I do not take anybody's name but I have come to know that they collected Rs. 25 lakh from J.K. for Orissa election..... (interruptions) excuse me, I would be compelled to name all those congress members who come to me and confirm these informations ..... (interruptions).

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : As an hon. Member if you speak such things without any proof and basis, what would happen to the dignity of this August House ?

Shri Madhu Limaye : Foreign exchange wheat and other things have been recorved from the members of Gujar Mal Modi's family. Foreign currency has also been recovered (interruptions) Now you are agitated over the mention of Modi family too.

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : व्यवस्था के प्रश्न पर सभा में यह परम्परा रही है कि जब किसी घोटाले आदि के बारे में किसी सदस्य को संकेत किया जा रहा हो या गोलमोल बात की जा रही हो तो उसके स्थान पर साफ-साफ शब्दों में उस सदस्य का नाम बोल दिया जाना चाहिए अन्यथा सारी सभा की ही निन्दा होती है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Chairman, you allow the interested persons to speak. Is it the rule in this House ?

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये । माननीय सदस्य को व्यवस्था के प्रश्न का काफी आधार है । यदि आप किसी सदस्य पर छींटा कशी करते हैं तो...

श्री मधु लिमये : नहीं मैंने नहीं की ।

प्रो० मधु दण्डवत (राजापुर) : उन्हें गलतफहमी हो गई है । मोदी का अर्थ इस सभा के सदस्य श्री पीलू मोदी से नहीं है ..... (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है ।

Dr. Kailash (Bombay South): He has just now said that Rs. 25 lakh have been collected from J.K. Mills.

Shri Madhu Limaye : I have not mentioned any bodies name.

Well, recently, in the marriage ceremoney of one of the members of Gujar Mal Modi family in Oberoi Intercontinental, many big-wigs were present and there was a chit-chat regarding smuggling. So if you want to check smuggling

you should be alert from such people. Then I had raised an issue concerning a Maharashtra Minister Shri Antualy and the Prime Minister has written to me that Shri Antulay has been cleared by a committee of the Legislature. In fact that is not a committee of Maharashtra Legislature.

सभापति महोदय : मेरे विचार से महाराष्ट्र विधान सभा ने उन मंत्री महोदय को दोषमुक्त कर दिया है . . .

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्दगांव) : व्यवस्था के प्रश्न पर महाराष्ट्र विधान सभा में एक पक्ष ने श्री अंडले के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये विपक्षी सदस्यों सहित एक जांच दल गठित किया जाए। वह समिति गठित हुई थी और उसने मंत्री महोदय को पूर्णतया दोषमुक्त पाया अब यह एक बुरी बात है कि जो व्यक्ति यहां अपना बचाव नहीं कर सकता उस पर ऐसे आरोप लगाये जायें जब कि वे इन आरोपों से मुक्त हैं। यह कहना भी गलत है कि मुख्य मंत्री श्री नायक ने प्रधान मंत्री को गलत सूचना दी है।

सभापति महोदय : जो व्यक्ति सदन में अपना बचाव नहीं कर सकता उस पर आरोप मत लगाइये।

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था के प्रश्न पर। इस विषय पर प्रश्न उत्तर हुए हैं और दो सदनों में इसका जिक्र आया है। अतः अब यहां नाम लेने से कोई नियम भंग नहीं होता है। दूसरे महाराष्ट्र राज्य विधान सभा ने औपचारिक रूप से कोई समिति गठित नहीं की थी। और न ही उन आरोप की जांच हुई है जिस समिति का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह विधान सभा की समिति नहीं थी।

श्री मधु लिमये : मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को बिल्कुल गलत सूचना दी थी।

सभापति महोदय : फिर आप मुख्य मंत्री पर छींटा कशी कर रहे हैं जो कि यहां सदन में अपना बचाव नहीं कर सकते आपकी अपनी नजर में यह बात ठीक हो सकती है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हर सदस्य यहां अपना निजी दृष्टिकोण ही तो व्यक्त करता है।

सभापति महोदय : परन्तु एक व्यक्ति पर आरोप तो नहीं लगा सकते जो अपने आरोपों का जवाब देने के लिये अपना बचाव करने के लिये यहां उपस्थित न हो सके। कृपया अपनी टिप्पणी वापस ले लीजिये।

Shri Madhu Limaye : I am giving facts not my opinion. The Prime Minister has been given wrong information.

सभापति महोदय : आपने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उन्होंने झूठ बोला है।

Shri Madhu Limaye : Issues concerning customers and smuggling do not constitute state subject. If they donot permit me to speak. We too would not allow them to do so.

सभापति महोदय : आपको आरोप नहीं लगाने चाहियें आप उनका नाम नहीं ले सकते। कृपया इस आरोप को वापस लीजिये।

श्री मधु लिमये : आरोप का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। वे भी सिद्ध करें कि यह विधान सभा की समिति थी।

Dr. Kailash : Prof. Dandvate and Shri Limaye are not talking facts. A committee consisting of MLA's belonging to congress and oppositions both was constituted on the demand by both the sides. So they are not speaking truth..... (interruptions)

सभापति महोदय : व्यवस्था रखिये। कृपया बैठ जाएिये। यदि सभी बोलेंगे तो कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उत्तेजनापूर्ण शब्द मत बोलिये।

डा० कैलाश : विधान परिषद् के सभापति श्री बी० एस० पैजे ने उक्त समिति गठित की थी जिसमें कांग्रेस तथा विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य थे।

Shri Madhu Limaye : Through my two questions I wanted to know whether sofisticated electronic lugging instruments were imported from Japan to spy the activities of the opposition and how much expenditure was incurred thereon.

श्री पीलू मोदी : इसका मूल्य 60 लाख डालर है।

Shri Madhu Limaye : Nothing was indicated in the Budget papers in this regard. I have written to the Chairman of the Public Accounts committee and Estimates committee also, and I seek a reply from them in this behalf.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सभा को अपने प्रतिवेदन में बताऊंगा कि उसका क्या निष्कर्ष निकला .....(व्यवधान)।

सभापति महोदय : लिमये जी आप को मैं आपको देय समय से अधिक समय दे चुका हूं अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

Shri Madhu Limaye : Everybody has taken more time. S/Shri Shyama Nandan Mishra, Jyotirmoy Basu, Piloo Mody all have taken away more time.

As a result of Governments defective policies there is great brain drain of doctors, engineers, scientists. A report from UNCTAD says.

As regards Railways, a meeting was held between our Presidential candidate, Shri, S.M. Banerjee and the Railway Minister on the issue of victimisation of railway employees and the Railway Minister denied that there was any victimisation. But I have got a secret circular in which the Northern Railway authorities say:—

"It has been observed that despite issue of Shri Koli's D.O. of even No. dated 14-5-74, followed by a D.O. dated 29-5-74, from me, no appreciable pro-

gress has been made either in regard to processing the cases of condonation of break in service, or disposal of appeals preferred by the May 74 strikers against their dismissal/removal/termination. The Board have also expressed their concern on this account. In order to avoid any further feeling of victimisation amongst the staff and to ensure quick normalcy on the railway, it is essential that you examine this burning problems personally and arrange to have all the appeals against dismissals/removals/terminations as also the case of condonation of break in service finalised expeditiously keeping of course the 'hard cores' aside.

It has been desired by the Railway Board that in view of the ensuing Parliament Session, the work regarding disposal of all appeals against dismissals/removals/terminations etc. and Condonation of break in service, excepting those of "Hard cores" must be completed before the end of this month."

"Detailed estimates of incomes gained were made for the United States and Incomes lost for India per unit of immigration in 1970. The United States is the biggest recipient country and India one of the biggest donor countries in this international transfer of skill"....the income transferred through brain-drain, or reverse transfer of technology, from developing regions to the United States in 1970 alone would amount to around 3·7 billion. In comparison, the figure for the United States official Development assistance to developing countries in the same year was 3·1 billion. (This brain drain represents about 39 per cent of the United States current expenditure on higher education....) It should be noted that since prices and productivity have both risen since 1970, this would tend to make the figures per-immigrant income gained substantially larger today compared with the estimates presented in this study."

Why action has not since been taken on this circular? Let the Hon. Minister now dissmiss his Divl. Supdt. and D.S. etc. for not implementing this circular.

My best Point is about Bihar. Students cannot be compelled on the point of bullet to joining the classes and examinations. Therefore, I suggest that Government should give their policy of terrorisation. There have been 36,000 casualties as a result of small pox in Bihar. The Bihar Govt. is indebted to an overdraft of Rs. 50 crores and the Finance Commission has suggested a constitutional action against such a State Government.

My demand is that the Government that uses tanks and guns against the students should be dismissed and the Assembly should be dissolved. Otherwise this would be done by the people themselves.

श्री विक्रम महाजन : सभापति महोदय, इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है कि देश इस समय गम्भीर संकट में से गुजर रहा है और इस विषय पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है परन्तु विरोधी दल के मेरे मित्र जिस ढंग से यह अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करने के पक्ष में नहीं है । चर्चा से ऐसा आभास होता है मानों विरोधी दल के सदस्य चरित्र हनन में ही लगे हुए हैं ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि रेल कर्मचारियों ने हर आपातकालीन समय में कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है । उनकी त्याग की भावना सराहनीय है परन्तु फिर भी कुछ राजनीतिक दल उन्हें फुसला कर, उनसे कुछ अनुचित कार्य करवाते रहे हैं ।

रेल कर्मचारियों को एक वर्ष में 90 प्रतिशत की वेतनवृद्धि दी गई है । देश में अन्य किसी भी विभाग में इतनी अधिक वृद्धि नहीं दी गई है । इसके बावजूद भी कुछ विपक्षी दलों ने कर्मचारियों को गुमराह कर उनसे हड़ताल करवाई । उनमें से कुछ लोगों ने तो समाजविरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी कार्य भी किये । अब विरोधी दल वाले यह भी नहीं चाहते कि गुमराह कर्मचारियों द्वारा जो कुछ किया गया, उसके लिये उन्हें दण्डित किया जाये । उन्हें ऐसे लोगों की वकालत नहीं करनी चाहिये । हां, जहां तक निर्दोष कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि रेल मंत्री तथा प्रधान-मंत्री उनके पक्ष के बारे में उदारतापूर्ण रवैया अपनायेंगे ।

देश में हो रही निरन्तर मूल्यवृद्धि का उल्लेख भी किया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि आज नियत वेतन वालों के समक्ष काफी कठिनाई है । यह भी ठीक है कि यह सब वाणिज्यिक समुदाय के एक वर्ग के कामों का ही परिणाम है । सरकार उनकी गतिविधियां रोकने के लिये प्रयत्नशील है ।

देश में बढ़ती हुई चोरबाजारी को समाप्त करने का एक बुनियादी तरीका यह है कि देश के लोग ईमानदार हों । काले धन को समाप्त करने का एक तरीका यह हो सकता है कि कम कीमत पर लगी सम्पत्तियों को अर्जित किया जाये । इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अधिक से अधिक छापे मारे जायें । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि करों में वृद्धि करने के फल-स्वरूप मुद्रास्फीति और कालाधन कम हो जायेगा । मेरा विचार है कि ऐसा नहीं होगा । अपितु करों से तो कालेधन को और बढ़ावा मिलेगा । इससे देश में मूल्यवृद्धि को रोकने में भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें इस कार्य के लिये इस हथियार का उपयोग नहीं करना चाहिये ।

गल्ले तथा कपड़े आदि की प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि गत 10 या 15 वर्षों में उनकी प्रतिव्यक्ति खपत कम हो गई है । परन्तु इस तस्वीर का दूसरा पहलू प्रस्तुत नहीं किया गया है । वास्तविकता यह है कि गत 20 वर्षों में हमारी प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारा उत्पादन हमारी जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम रह गया है । इसमें सरकार का क्या दोष है । इसके लिये तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा । आज यह जो प्रस्ताव विरोधी दलों द्वारा मिलकर लाया गया है, उसके पीछे उन सब का एक मात्र सिद्धांत केवल कांग्रेस का विरोध ही है । परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा क्योंकि इसका न तो कोई तर्क है न आधार और न ही कोई औचित्य ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर गत तीन दिन से चली आ रही बहस सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि न तो सरकार और न ही प्रतिपक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव को अपेक्षित गंभीरता से ले रहा है । सम्भवतः

इसका कारण यही है कि ऐसा गत कई वर्षों से होता चला आ रहा है। हर सत्र में प्रायः अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। परन्तु एक बात निश्चित है कि आज देश की जनता इस प्रस्ताव का परिणाम बहुत उत्सुकता से देख रही है। सदन के बाहर लोगों का अविश्वास इस सरकार में बढ़ता जा रहा है।

इस चर्चा का एक परिणाम यह निकला है कि कम से कम इस दौरान प्रधानमंत्री सदन में तो रहीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू लोकतन्त्रीय संस्थानों के प्रति बहुत आदरपूर्ण भावना रखते थे। वह सदा ही प्रतिपक्ष की बात सुनने को उत्सुक रहते थे। यही कारण था कि वह अधिक से अधिक समय सदन में उपस्थित रहने का प्रयास करते थे। मुझे आशा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री तथा उनके अन्य साथी भी इस प्रथा को बनाये रखेंगे ताकि इस सदन की मान मर्यादा बनी रहे। तथा स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं की स्थापना हो सके।

वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एकतन्त्र की प्रवृति में वृद्धि हुई है। यद्यपि हमारे देश में एक दल वाला राज्य नहीं है फिर भी हमारे देश में एक दल की सरकार है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में कुछ प्रतिपक्षी दल हैं। हमारे यहां एक ही दल का प्रभुत्व रहा यही कारण है कि यहां एकतन्त्र को बढ़ावा मिला है।

यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री भी इस समय हमारे समक्ष बैठी हैं। मैं उन्हें तथा उनके दल को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब उन्हें अपने मन में यह भ्रम नहीं रखना चाहिये कि उनका विकल्प कोई नहीं है। जनता अब जागरूक हो गई है। अब ऐसा लगता है कि लोग लम्बे समय तक उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगें। जनता शीघ्र ही उनका विकल्प ढूंढ लेगी।

आज वस्तुस्थिति यह है कि आये दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। गुजरात की घटनाओं को हम भुलाने पर भी नहीं भुला सकते। वहां जब भ्रष्टाचार ने गंभीर रूप धारण कर लिया तो वहां की जनता तथा विद्यार्थियों ने उस सरकार को उठा बाहर फैंका। अब श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आन्दोलन को नया रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं तो श्री जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, परन्तु उन्होंने अपने दल के लोगों तथा अध्यक्ष सभी को उन्हें गालियां देने की छूट दे रखी है। यह सब उचित नहीं है।

अब रेलवे हड़ताल को ही लीजिये सरकार रेल कर्मचारियों को सबक सिखाने के नाम पर सैंकड़ों लोगों को तंग करती आ रही है। इससे पूर्व कभी भी भारत रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा कानून का इतने गलत तरीके से, इतने अलोकतन्त्रीय ढंग से प्रयोग नहीं हुआ है। अब तो स्थिति यह है कि सच कहने वाले व्यक्ति को कभी जेल जाना पड़ सकता है।

जहां तक अध्यादेशों का प्रश्न है, उन्हें देखने पर तो ऐसा लगता है कि यह सरकार उन्हे जारी करने की आदी हो गई है। सरकार कभी भी संसदीय परम्पराओं को कोई सम्मान नहीं दिखाती। विपक्षी दल के लोग पहले भी इसका कई बार विरोध करते रहे हैं, अध्यक्ष द्वारा भी उसे अनुचित करार दिया गया है, परन्तु सरकार उन्हें जारी करती जा रही है। इससे लोकतान्त्रिक परम्पराओं की काफी क्षति होती है और हमें इसका विरोध करना चाहिये।

काला धन न केवल एक समानान्तर अर्थ व्यवस्था है अपितु इसी के कारण ही हमारे देश क सभी भागों में तस्करी काफी जोरों पर हो रही है। हमारी सरकार इसे रोकने तथा इससे सम्बद्ध लोगों के विरुद्ध कोई कायवाही करने में असमर्थ है क्योंकि सभी बड़े-बड़े लोगों का उसमें हाथ है ।

अन्ततः मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को हमें समझाने की अपेक्षा, इन समस्याओं का समाधान हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये अन्यथा भारत के लोगों का सरकार में अविश्वास बढ़ता जा रहा है और वह किसी भी समय इस सरकार को उखाड़ फैंकेंगे ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : हमारे वर्तमान बहुरंगे विपक्ष ने संसद् के प्रत्येक सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तो मानों प्रथा ही बना ली है परन्तु अन्य संसदीय प्रणालियों में गंभीर राष्ट्रीय आपात स्थिति या गंभीर राष्ट्रीय मामलों में ही लाया जाता है परन्तु हमारे यहां तो यह आवृतिमूलक ही बन गया है। यहां आये दिन राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर ऐसे घृणित आरोप लगाये जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। मेरे मित्र श्री मावलंकर द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन की सराहना की गई है जबकि वास्तव में वह पूर्णतया लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलन है ।

आज हमारे देश के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट है । इससे तो हमारा लोकतांत्रिक संस्थान ही खतरे में पड़ा हुआ है । जब मुद्रास्फीति सम्बन्धी प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अंश की वृद्धि हो जाती है, तो देश में अति मुद्रास्फीति का विकास होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में आकर सरकार के समक्ष नीति निर्धारण का कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में आकर ही सरकार को तुरन्त शोधक उपाय करने के लिये अध्यादेश जारी करने पड़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

सरकार ने काले धन को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अध्यादेशों के अतिरिक्त अन्य कड़े कदम भी उठाये गये हैं। सरकार ने तस्करों कर अप-वंचकों तथा अन्य व्यवसायिकों के विरुद्ध भी कड़े कदम उठाये हैं ।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, उनके बारे में सरकार को समाज की सूचियां कम करने, व्यापार ऋण को पूरी तरह से समाप्त करने आदि के लिये ठोस तथा कड़े कदम उठाने चाहियें। इसके साथ ही क्रय शक्ति में कमी करने के लिये भी गम्भीर रूप से प्रयास किया जाना चाहिये। आज हमारे देश के योजना निर्माताओं के समक्ष मुख्य प्रश्न संसाधन जुटाने का है। इसके लिये मेरे विचार से भूमि सम्बन्धी क्षेत्र तथा धनी व्यक्तियों पर कर लगाने से यह समस्या काफी सीमा तक हल की जा सकती है।

गत 15 या 20 वर्ष में हमारे सभी प्रकार के विकास कार्यों का लाभ केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही हो रहा है। यह मुट्ठी भर लोग चोर बाजारी जैसे अन्य कुकर्मों से सदा ही हमारे राष्ट्रीय विकास कार्यों में बाधा डालते रहते हैं। इसे रोकने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व में निरन्तर कमी हो रही है। इसकी वसूली में वृद्धि करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहियें ।

अब मैं एक दो बातें रेलवे हड़ताल के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यही है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र ने अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रयत्नों में सम्पूर्ण राष्ट्र ने हमारा साथ नहीं दिया है, कुछ लोग सदा ही अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये समाज विरोधी तत्वों को उकसाते रहे हैं। इस हड़ताल के कारण हमारे देश के सन्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित हो गई थी परन्तु सरकार ने काफी सूझ-बूझ के साथ उसका सामना किया। मेरा अनुरोध है कि हमें नकारात्मक राजनीति तथा झूठे नारों को छोड़ कर लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये।

श्री नूरुल हुडा (कछार) : मैं सरकार तथा रेल मंत्री का ध्यान अपने राज्य के रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवारों पर किये गये अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। माली गांव क नामबारी में, जो उत्तर सीमान्त रेलवे का मुख्यालय है, लगभग 33 महिलाओं तथा रेलवे कर्मचारियों की पत्नियों तथा सम्बन्धियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार अनेक अन्य रेलवे कालोनियों पर रेल सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल तथा आसाम बटेलियन पुलिस ने 8 मई से 27 मई 1974 के दौरान कर्मचारियों की पत्नियों पर खुले आम अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें मारा पीटा। मैं इस प्रकार के अत्याचार के अनेक अन्य उदाहरण तथा घटनायें प्रस्तुत कर सकता हूं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गत अधिवेशन के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि नये अध्यादेश श्रमिक वर्ग के विरुद्ध नहीं होंगे। सरकार श्रमिकों तथा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को रोकना चाहती है। परन्तु यह तभी सम्भव है जब मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार तथा काला बाजारी समाप्त हो, परन्तु वास्तव में इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? जब तक एकाधिकार गृहों को समाप्त करने, उनके लाभ को कम करने, धनी कुलकों, भू-स्वामियों तथा जमींदारों को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा कड़े कदम नहीं उठाये जाते तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने की सभी बातें बे-बुनियाद तथा निष्फल होंगी। आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, असंतोष, फासिस्ट प्रवृत्ति के लिये हमारी केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी है।

आज वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है वह पूर्णतया असफल सिद्ध हो रही हैं। जब तक सरकार की नीतियों में पूरी तरह से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी उठे।

अध्यक्ष महोदय : मैं तीन या चार मिनट की अनुमति दे सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रधान मंत्री दस मिनट प्रतीक्षा कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री ने 6 बजे उत्तर देना है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : रेलवे हड़ताल के बारे में मंत्री महोदय ने झूठे तर्क पेश करके सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। वह शायद भूल गए हैं कि रेलवे कर्मचारियों की पत्नियों को किस प्रकार परेशान किया गया और उनके पिट्ठुओं द्वारा उनको मारा पीटा गया। रेलवे

कर्मचारियों को घरों से निकाल-निकाल कर पीटा गया और जेल में बन्द कर दिया गया। जब उसने पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम प्रधानमंत्री के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। यह कितने शर्म की बात है।

दो दिन पूर्व प्रश्न संख्या 288 के उत्तर में बताया गया था कि 687 कर्मचारी जेल में हैं और उसी दिन एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे। एक ही दिन एक जसे प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर क्यों दिया गया ?

सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने की एक प्रथा सी बन गई है। 'वेतन वृद्धि रोक' के कारण 18 करोड़ मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री मुद्रास्फीती और कर अपवंचन के लिये किये गए उपायों की बात करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत वर्ष 30 मामले दर्ज़ किए गए और केवल दो लोगों को पकड़ा गया और न्यायालय के उठने तक छोड़ दिया गया। कितने दुःख की बात है कि कर अपवंचन करने वालों को तो इतनी जल्दी छोड़ दिया गया और रेलवे कर्मचारियों पर शीघ्र मुकदमा चला कर उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। मेरी मांग है कि उन्हें नौकरी पर वापिस ले लिया जाए और अध्यादेशों को वापिस ले लिया जाए और चोर बाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मैं मांग करती हूं कि विमुद्रिकरण किया जाए और काले धन को पकड़ा जाए। जमाखोरों और मुनाफाखोरों को सड़कों पर घुमाना चाहिए और खाद्यान्न के लिए जन वितरण प्रणाली शुरु की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की एक परम्परा सी बन गई है। मैं इससे घबराती नहीं बल्कि इसका स्वा गत करती हूं क्योंकि इससे मुझे यह बताने का अवसर मिलता है कि स्थिति का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थिति गम्भीर है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी नहीं चूके हैं। आजकल किसी को भी बदनाम करने से कोई पीछे नहीं हटता और झूठे आरोप लगा देता है। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने भाषणों में मनगढ़न्त बातें की हैं।

मुझे लोगों की समझदारी में विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जनता हमारा समर्थन करती है और यदि जनता हमें नहीं चाहती तो हम जनमत मानने के लिए भी तैयार हैं। यह कहना सरासर गलत है कि हम काले धन के जरिए चुनाव जीतते हैं। यदि काले धन की सहायता से ही चुनाव जीता जा सकता है तो प्रतिपक्ष के किसी सदस्य के जीतने पर ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की जाती। यदि देश हमारे कार्य की समीक्षा करना चाहता है तो उसे देखना पड़ेगा कि हमने अन्याय का सामना करने के लिए क्या किया और लोगों की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए।

मैं प्रतिपक्ष से यह अनुरोध करती हूं कि वह लोगों की शक्ति का कम अनुमान न लगाएं। लोगों की शक्ति और आत्म विश्वास ने ही हमें आर्थिक बोझ को संभालने में सहायता दी।

रेल कर्मचारियों को तंग करने के विषय में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मैं आश्वासन देती हूं कि हम गुमराह किए गए कर्मचारियों पर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही करेंगे। रेल हड़ताल के पीछे राजनीतिक निहित स्वार्थ काम कर रहे थे परन्तु फिर भी ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने वफादारी से काम किया। रल हड़ताल के कारण 600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम अपनी विजय पर प्रसन्न हैं। यह बिल्कुल गलत है। न ही तो यह हमारी विजय थी और न ही हम 'प्रसन्न' हैं। हमें तो इसका बहुत खेद है। हड़ताल को कुचलने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। स्थिति इतनी गम्भीर हो चुकी थी कि हड़ताल समाप्त होने से हमें बहुत राहत मिली।

प्रतिपक्ष ने 'वेतन वृद्धि रोक' का गलत अर्थ लगाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम वेतन वृद्धि के लिए बातचीत करने पर रोक लगा रहे हैं अध्यादेश जारी करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि वेतन वृद्धि से यदि किसी की परिलब्धियों में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि को विशेष लेखे में जमा किया जाना चाहिए और इसके लिए विशेष ब्याज की दर निर्धारित की जानी चाहिए। यह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया गया था। मुद्रास्फीति समाजिक न्याय का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किया गया कोई उपाय समाजवादी कहा जाएगा।

प्राय : देखने में आया है कि जब भी मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो बाजार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसलिए यह नई योजना चलाई गई है कि मंहगाई भत्ते का आधा भाग लेखे में जमा किया जाए। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए ऐसा किया गया है।

मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं और इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। डा० राव ने विचार व्यक्त किया है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और व्यापारियों एवं जमाखोरों का काम लाभ कमाना रह गया है। जिस दर से मूल्य बढ़ते हैं उस दर से वेतन नहीं बढ़ता। अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक धन परिचालित होने के कारण सम्पूर्ण ढांचा बिगड़ गया है। धन के परिचालन को सीमित करके ही हम जमाखोरों की आशाओं पर कुठाराघात कर सकते हैं। साथ ही हमें सरकारी खर्चे में भी कटौती करनी पड़ेगी। हमारी नई योजना का उद्देश्य गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाना है। जो राशी अनिवार्य रूप से जमा की जानी है, वह निश्चित अवधि तक जमा होगी और यदि उसके बाद राशी जमा की जाती है तो उसके ब्याज की दर बढ़ा दी जाएगी। मैं मजदूरों से अपील करना चाहती हूं कि वह इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि वेतन वृद्धि का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक मुद्रास्फीति बिरोधी अभियान शुरु न किया जाए और इसमें सफलता प्राप्त न कर ली जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि आप मजदूरों को नियत मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा दें तो उन्हें मंहगाई भत्ते की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। श्रमिकों का कल्याण तभी हो सकता है जब हम मूल्यों को नियन्त्रित करने में सफल हों। हम इसके लिए उपाय कर रहे हैं। एक ओर तो प्रति-पक्ष चाहता है कि हम मूल्य वृद्धि को रोकें और जब हम इस दिशा में प्रयत्न करते हें तो हमारी आलोचना की जाती है।

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने बहुधा यह कहा है कि केवल सरकार के बजट में घाटे को नियंत्रित करने के प्रयास से कोई लाभ नहीं होगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक ऋणों पर भी कड़ा नियंत्रण लगना चाहिये। बैंक दर में वृद्धि और इसके साथ-साथ विभिन्न वर्गों के ऋणियों को दिये गये ऋण पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के समायोजन से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के प्रसार की गति सीमित हो जाएगी।

हमें न केवल वित्तीय संसाधनों के उपयोग में अपितु इस्पात और सीमेंट जैसी कमी वाली वस्तुओं के उपयोग में कमी करनी है। इन प्रस्तावों की कुछ सीमा तक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। केवल महंगाई भत्ता लाभांश तथा अनिवार्य वचत सम्बन्धी इन सभी उपायों आदि का एक साथ ही निरीक्षण करना है।

हम महसूस करते हैं कि हमें खाद्यान्न सामान्य उपयोग एवं मोटे और मध्यम किस्म के कपड़े, खाद्य तेलों आदि आम खपत की वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करनी है। इन्हीं उद्देश्यों के लिये कृषि उत्पादन को महत्व देना आवश्यक है।

उर्वरकों को देश में उत्पादन बढ़ाने तथा साथ-साथ विदेशों से भी उसे उपलब्ध करने के यत्न किये जा रहें हैं।

मैंने अपने सहयोगियों एवं विशेषज्ञों के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा की है तथा मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि व अपने राज्यों के कृषि उत्पादनों का स्वयं मार्ग दर्शन एवं पर्यवेक्षण करें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रधान मंत्री ने सम्मेलन में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह आप सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। मैंने जिला स्तर एवं राज्य स्तर के युवा एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं में अत्यन्त उत्साह पाया है। दुर्भाग्य से राज्यों में पारस्परिक अनुभव के आदान-प्रदान के लिये पर्याप्त् समन्वय नहीं हो सका है।

कृषि आदि विषयों में हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है।

काले धन के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। वित मंत्री ने इस बारे में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वांचू समिति की रिपोर्ट को क्यों दबाया गया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक तरह से काले धन से कमी पैदा होती है। इसलिये अभावों में निहित स्वार्थों को दूर करने एवं उत्पादन बढ़ाने से ही प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये शुरू किये गये नियंत्रणों से भ्रष्टाचार बढ़ा है।

हमने स्वीकार किया है कि कुछ एकाधिकारी गृहों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया है और हमें इस समस्या से निपटना भी है। वस्तुत: हमें इस समस्या का दृढ़ता से हल करना है।

विपक्ष के सदस्यों के लिये विभिन्न अवसरों पर तरह-तरह की बातें करना सरल है। वे एक वर्ग के लिये अधिक वसूली मूल्य तथा दूसरे के लिये कम वसूली मूल्य की मांग करते हैं। एक वर्ग के लिये राज-सहायता चाहते हैं तथा दूसरे के लिए नहीं चाहते। किन्तु ऐसा एक साथ करना सम्भव नहीं है। आज जो परिस्थितियां हमारे देश में बनी हुई हैं उनमें काला धन समाप्त करने हेतु हमारे कार्यक्रम का सबसे अनिवार्य अंग अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना तथा कुशल लोक वितरण प्रणाली का निर्माण करना है। ऐसी ही कार्यवाही जमाखोरों और कर अपवंचकों के विरुद्ध करनी है।

तरस्करी को पूरी शक्ति लगाकर समाप्त किया जाना चाहिये । इन सभी मामलों में जन-सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है ।

श्री पीलू मोदी : इस बारे में आप श्री मधु मेहता को सहयोग क्यों नहीं देती ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं तस्करी के विरुद्ध बहुत पहले से कहती आ रही हूं । श्री मधु मेहता ने अब यह अभियान चलाया है जिसका मैं स्वागत करती हूं । उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम तस्करी के सामान का वहिष्कार तो करना ही चाहिये । मैंने और रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही है ।

मंत्रियों का एक दल सूती कपड़ा नीति को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह सच ही है कि यद्यपि कपड़ा उत्पादकों और मिल मालिकों ने बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है । उन्होंने हमारे नियमों का पालन नहीं किया है और जनता की आवश्यकता का कपड़ा अधिक मात्रा में तैयार नहीं किया है । अतः हम कपड़ा मिलों पर निश्चित दायित्वों को लागू करने जा रहें हैं कि सामान्य, मोटे और माध्यम दर्जे की किस्मों के कपड़े को तैयार किया जाये । इस नीति को कठोरता से लागू किया जायेगा । कपड़ा उद्योग को, जो हमारा सब से अधिक महत्व पूर्ण उद्योग है, कुछ सामाजिक दायित्वों को मानना ही पड़ेगा । यदि किन्ही मिलों द्वारा इन दायित्वों को पूरा नहीं किया जायेगा, तो सरकार इन मिलों के विरुद्ध पूरी शक्ति के साथ कार्यवाही करेगी ।

कुछ सदस्यों ने परिवहन और बिजली संबंधी कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है । वे वास्तव में हम सभी के लिये चिन्ता का विषय बनी हुई हैं और हम मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । गत वर्ष उत्पादन बहुत ही कम हुआ, किन्तु इस वर्ष कोयला जैसी महत्वपूर्ण कच्ची समाग्री को लाने ले जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । रेल हड़ताल के दौरान भी यह सुधार लक्षित हुआ । हम इस के लिये रेल कर्मचारियों के कृतज्ञ हैं ।

बिजली के सम्बन्ध में भी हम मुख्यमंत्रियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं और हम सभी बिजली के उत्पादन तथा वितरण संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दे रहे हैं । इस संबंध में कुछ सुधार दिखायी दे रहा है ।

देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में आयात करने का बन्ध किया गया है । हम लोग वितरण प्रणाली को सन्तोषजनक स्तर पर बनाये रखेंगे । इसके साथ साथ जमाखो रों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । किन्तु इस मामले में भी जनता तथा सभी दलों के सहयोग की आवश्यकता है । मैं जानती हूं कि ऐसे मामले हुए हैं जबकि जिला अधिकारियों ने ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की किन्तु जब कभी भी ऐसे मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है, हम ने उनकी ओर ध्यान दिया है और मेरे विचार में इस संबंध में भी सुधार हुआ है मुझे यह सुन कर खेद हुआ है कि बिहार में कुछ छात्रों ने जमाखोरी-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस परिपत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि परीक्षा भवनों में विश्वविधालय द्वारा किस प्रकार अनुचित तरीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गयी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस समय हम खाद्यान्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपने अचानक परीक्षाओं का मामला उठा दिया है

दृढ़ निश्चय और संकल्प से मुद्रास्फ़ीति की समस्या का सामना हम सब ने मिल कर करना है। हमें समाज के सभी वर्गों, कारखानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों और सभी स्तरों के असैनिक कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि मुद्रास्फीतिक विरोधक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके। मैं विपक्ष से भी अपील करती हूं कि वह भी हमें सहायता दे और हमारे इन प्रयासों में बाधा न डाले।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आयात की जाने वाली महत्वपूण वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा के संसाधनों को, जिन्हें कमी वाली अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करके उपयोग किया जा सकता था, तेल आदि का आयात करके खर्च किया गया है।

यदि विरोधी पक्ष अपनी तथा देश की समस्याओं की ओर ध्यान दें, तो उसे और शक्ति प्राप्त होगी।

हम पर मतों के लिये प्रत्येक कार्य करने का आरोप लगाया जाता है। इसके साथ ही वही लोग हमें कहते हैं कि हमारे अध्यादेश लोकप्रिय नहीं हैं। यह दोनों वक्तव्य किस प्रकार सही हो सकते हैं। हम सदैव ही जनता के आदेश का सम्मान करते रहेंगे। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहती हूं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से यह इच्छा नहीं है कि मैं स्थायी रूप से सत्तारूढ़ रहूं याकि कांग्रेस दल स्थायी रूप से सत्तारूढ़ रहे।

मैं तो यह कहना चाहती हूं कि निश्चय ही हम जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु इसके साथ ही हम सही काम करेंगे, चाहे उस से विरोधी पक्ष को ही लाभ क्यों न पहुंचे। यद्यपि कुछ हमारे कार्यों को ठीक तरह से न समझ सकें और हमारे विरुद्ध हो जायें तो भी हम वह काम करेंगे जिससे इस देश की नींव मज़बूत हो तथा जिससे जनता का कल्याण हो तथा जिससे भविष्य अच्छा बने।

जैसाकि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जनता ने दृढ़ संकल्प तथा अत्याधिक सहनशीलता, कठिनाइयों तथा खतरे का सामना करने की क्षमता दिखायी है जिससे आज हम इन सभी कठिनाइयों का सामना कर रहें हैं। हम आर्थिक तथा अन्य कई मोर्चों पर बड़ी चुनौती का तभी सामना कर सकते हैं जबकि लोगों को यह विश्वास हो जाये कि वे उसका सामना करने में समर्थ ह। हर समय यह कहना गलत है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कि राष्ट्र अवनति कर रहा है, जो कि निश्चय ही सही नहीं है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद अराजकता का राज्य नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं चुनौती देता हूं। क्या आप मुझे एक भी उदाहरण दे सकती हैं?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आप के साथ किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहती। मैं आप के द्वारा कही गयी किसी बात से उत्तेजित नहीं होने वाली। दिन रात ऐसी बातों के कहने से लोगों की इच्छा कमज़ोर होती है। अतः मैं इस सभा से अनुरोध करती हूं कि हम प्रस्ताव को अस्वीकृत करके साहस, दृढ़ संकल्प और प्रसन्नता से इस चुनौती का सामना करने के लिये हमारी अपनी इच्छा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित कर दें।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री का वक्तव्य खोखला है। वित्त मंत्री महोदय ने लाभांश पर रोक की बात कही है जो कि केवल 50 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर वे आंशिक मजूरी रोक अध्यादेश की वकालत कर रहे हैं जो कि 450 करोड़ रुपये है और तीसरे 180 करोड़ कर्मचारी, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों के, प्रभावित होंगे ।

वित्त मंत्री महोदय ने क्रय शक्ति पर रोक और मुद्रा सप्लाई में कटौती के बीच भेद पर विचार नहीं किया है। मुद्रा सप्लाई का विस्तार और अतिरिक्त मजूरी भुगतान में वस्तुतः बहुत थोड़ा संबंध है उदाहरण के लिए वर्ष 1969-70 और 1972-73 के दौरान महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, केवल एक विशेष उद्योग में महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत से भी कम बढ़ाया गया था, जबकि 1970 और 1971 तथा 1972 और 1973 के बीच मुद्रा सप्लाई में क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 15.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। आपके शासन में श्रमिक वर्गों की मजूरी और आय के वास्तविक मूल्य में आश्चर्यजनक रूप से ह्रास हुआ है। आप लाभांश आदि पर अंकुश लगाकर जो धन हासिल करेंगे, वह अन्ततः गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ही लगेगा और महत्वपूर्ण उद्योग बिना पूंजी के ही रह जायेंगे। आपने 1973-74 के दौरान 371.51 करोड़ रुपये की बचत का दावा किया है। जिन क्षेत्रों में कटौती की गई है वह कृषि, राज्य योजनाओं को सहायता, शिक्षा, सिंचाई तथा विद्युत और इस्पात हैं। जबकि केन्द्रीय पुलिस, प्रशासन, प्रतिरक्षा, आसूचना ब्यूरो, विवेकाधिकार राशि प्रधान मंत्री की विमान द्वारा यात्रा, मंत्रियों के निवास स्थानों के रखरखाव, प्रधान मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के बजटों में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। काले धन को बाहर निकालने के बारे में वांचू समिति ने जो प्रतिवेदन दिया था, उसे प्रकाशित नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आप काले धन को बाहर निकालने के लिए उत्सुक नहीं हैं, आपका अस्तित्व ही काले धन पर आधारित है। आपका टैरिफ़ आयोग पूंजीपतियों का दलाल है। चीनी आयोग के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उत्पादक निर्माण लागत बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रहे हैं और बिक्री की आय को कम करके दिखा रहे हैं। यदि आप वास्तव में ही कोई कार्यवाही करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं ।

मुझे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि उत्तरप्रदेश में उद्योगपति अपने वास्तविक उत्पादन का 40 प्रतिशत बही खाते में नहीं दिखाते हैं। जब ऐसी बात है तो आयकर विवरणी की जांच आप किस प्रकार करते हैं जब आपको यही मालूम नहीं होता है कि कितना उत्पादन किया गया है और कितना लाभ कमाया गया है ? लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को विदेशी मुद्रा की सौदेबाज़ी पर नियंत्रण रखना चाहिए पर आप इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप निहित स्वार्थ वर्ग के हितों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

आप आय कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। क्या यह सच नहीं है कि आय-कर की बकाया राशि 900 करोड़ है ? पर आप बड़े व्यक्तियों, फर्मों आदि को हाथ नहीं लगा सकते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष सीमा शुल्क में छूट 241.65 करोड़ रुपये की गई है ।

रेलवे हड़ताल के बारे में ग़लत तस्वीर पेश की गई है। यदि केवल 2 लाख रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो किस प्रकार 11 लाख रेलवे कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान किया गया है। सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय का पालन करना चाहिये जिसमें कहा गया है कि रेलवे कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। वैगनों की सप्लाई में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वैगनों की सप्लाई ज़ोनल रेलवे द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। यहां भी एक 'लाबी' बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका स्वीकृत कार्यक्रम क्या है और कौन कार्यक्रम बनाता है और किसको प्राथमिकता मिलती है ? यहां वैगनों को आवंटित करने में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदया कपूर आयोग के प्रतिवेदन को देखें जिसमें रेलवे मंत्री के बारे में अनेक रहस्योदघाटन किये गये हैं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वे असंगत बातें कह रहे हैं। आप उन्हें ऐसी बातें कहने की अनुमति कैसे दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वे केवल उन्हीं मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते ह जो वाद-विवाद के दौरान उठाए गए थे। वे कोई नया मुद्दा नहीं उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु : श्री एल० एन० मिश्र ने कहा था कि यदि मेरे विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है तो मैं सार्वजनिक जीवन से हट जाऊंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुता) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि वे कब तक बोलना चाहते हैं। नियम 198(1) में कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय, यदि वे ठीक समझते हैं तो वक्तव्यों के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। मेरा कहना है कि इसके लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है और आपको प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखना चाहिए। आपको समय निर्धारित करना चाहिए : हम अधिक समय तक इस प्रकार बैठ कर वक्तव्य नहीं सुन सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जहां तक कोसी परियोजना का सवाल है, $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया था। बिहार के मुख्य मंत्री ने इस बारे में बार-बार लिखा था परन्तु उसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : वे किस बात का उत्तर दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नई बात उठाई है जो इस समय उचित नहीं है। उन्हें संबद्ध बाद-विवाद का उत्तर देना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री के वक्तव्य में कोई सार नहीं है। उनका कहना है कि जनता उनकी मदद करेगी। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में सम्पूर्ण सरकारी तंत्र लगाकर भी उनको कुल मतों में से 48 प्रतिशत से गिर कर 32 प्रतिशत मत मिलने के क्या कारण हैं ? क्या यह उचित है कि प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए धन एकत्रित करें ?

आपने रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया है। क्या कारण है कि आपने हड़ताल होने के एक महीना पूर्व ही गृह मंत्रालय को एक गोपनीय परिपत्र जारी किया था जिसमें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था। यह सब पूर्व-विचारित था। आपने 17 वर्ष पूर्व उन्हें आवश्यकता पर आधारित मजूरी देने का आश्वासन दिया था परन्तु वास्तव में कुछ नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी मांगें मनवाने के लिए लोकतांत्रिक रास्ता अपना कर हड़ताल की। रेलवे कर्मचारी बातचीत द्वारा समझौता करना चाहते थे परन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया।

भविष्य निधि के अंशदान में दुर्विनियोग हो रहा है। आप मुद्रास्फीती विरोधी कार्यवाहियां करने की बात करते हैं और सारे अधिकार अपने पास रख रहे हैं। परन्तु वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है। आप मूल्यों में वृद्धि को रोकने की बात करते हैं परन्तु आपने डालडा के मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि होने दी है। हिन्दुस्तान लीवर के लाभ में पिछले दो वर्षों के दौरान दुगनी वृद्धि हुई है। सीमेंट और इस्पात केवल चोर बाजार में ही मिलता है।

आपने भूमि सुधारों के बारे में बड़े-बड़े आश्वासन दिए थे। परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, छोटे किसान भूखे मर रहे हैं। यदि कृषि उत्पादन बढ़ा है तो सरकारी वितरण व्यवस्था क्यों अस्त व्यस्त हो गई है और आपका वसूली लक्ष्य क्यों पिछड़ गया है। आप सस्ते कपड़े के उत्पादन के बारे में कहते हैं परन्तु पिछले वर्ष इस में 37½ प्रतिशत मूल्य वृद्धि करने के क्या कारण थे? आप परिवहन की बात करते हैं परन्तु पिछले 27 वर्षों से कोई एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन नीति घोषित नहीं की गई है। आप खाद्यान्न का आयात करके देश को गिरवी रख रहे हैं।

आप अपने तर्कों के समर्थन में चरित्र हत्या तक कर रहे हैं मैंने किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कभी कोई आक्षेप नहीं किया है। क्या प्रधान मंत्री ने श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में जो कुछ कहा वह चरित्र हत्या नहीं है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं कहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछली बार मैंने टेलेक्स संदेश के बारे में प्रश्न उठाया था। मेरे पास इस समय टेलेक्स की एक प्रतिलिपि है और मेरे विचार में यह सही और वास्तविक है। इसकी जांच की जानी चाहिए और यदि यह सच पाया गया तो श्री डी० पी० धर को पदत्याग करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस सदन में जो वक्तव्य दिया था वह सच नहीं है यद्यपि मेरे पास इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरे हैं जिन्हें मैं फिर कभी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कागजात देने के लिए अनेक बार कहा था पर उन्होंने मुझे वे अभी तक नहीं दिए हैं। वे मुझे यह कागजात क्यों नहीं सौंप देते हैं?

ज्योतिर्मय बसु : इसी प्रकार एशियन केबल्स, के० पी० गोयंका, आयातित दुर्लभ कच्चे माल की चोर बाजारी आदि के मामले हैं, के० पी० गोयंका और आर० पी० गोयंका के विरुद्ध कुछ नहीं किया गया है क्योंकि उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अनेक संबंधी इन लोगों की फर्मों में कर्मचारी हैं, इसी प्रकार मोदीनगर के मोदी बन्धुओं का मामला है। मैं इंगलैण्ड के "न्यू स्टेट्समैन" के उस उद्धरण की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि 'बिहार की प्राक्कलन समिति

ने अपने प्रतिवेदन में आरोप लगाया है कि श्रीमति इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य श्री एल० एन० मिश्र के संबंधियों ने कोसी नदी परियोजना में सरकारी ठेकों से खूब पैसा बनाया है"। सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्य भ्रष्ट हैं, मैंने श्री बंसी लाल के विरुद्ध विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख किया था जिसने टिप्पणी की थी परन्तु उस बारे में कुछ नहीं किया गया । इसलिए इस सरकार को पद-त्याग करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नहीं है । यह तो केवल एक खबर थी ।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरणहै । मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाए गए एक-दो तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पूर्व टेलेक्स और टैलीप्रिंटर के बारे में कहा गया था । मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में जांच करके अपना निर्णय दीजिए । आपका कोई भी निर्णय मुझे स्वीकार होगा । मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बारे में आपके और श्री बसु के बीच पत्र व्यवहार पिछले कई महीनों से चल रहा है परन्तु वे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला समिति को सौंपा जाना चाहिए तभी वहां दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे ।

श्री डी० पी० धर : जो कुछ मैं कह रहा हूं वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । आशा है कि माननीय सदस्य भी ऐसा करेंगे । आप जो कुछ भी निर्णय देंगे, वह मुझे स्वीकार्य होगा । परन्तु यह बात बड़ी अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना जांच कराए अकारण ही मेरे चरित्र की हत्या की जा रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह मामला सदन द्वारा नियुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए । मेरे पास जो दस्तावेज हैं, उन्हें मैं वहीं सौंपूंगा ।

रेल मंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : मुझे एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है । श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा लगाए आरोपों से मुझे धक्का अवश्य लगा है परन्तु मुझे अचम्भा नहीं हुआ है (**व्यवधान**) यह मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): He can not give personal explanation without informing you.

अध्यक्ष महोदय : वे लगाए गए आरोपों का उत्तर दे रहे हैं । मैंने इसकी अनुमति दी है ।

श्री एल० एन० मिश्र : वस्तुत: मैंने 2 जून 1971 को उक्त मामले के स्पष्टीकरण में वक्तव्य दिया था । मैं श्री बसु द्वारा लगाये गए आरोपों का पुन: खण्डन करता हूं जो कि हमेशा की तरह राजनीति से प्रेरित हैं ।

जहां तक मैं जानता हूं कपूर आयोग ने अपने निष्कर्षों में मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी नहीं की है । वस्तुस्थिति यह है कि जो 2,10,000 रुपये निकाले गए थे उसके बारे में मैंने पूरा हिसाब 23 मई 1963 के रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संबद्ध अधिकारियों को दे दिया था । इस हिसाब

की भली-भांति लेखा परीक्षा हुई थी। आयोग ने मेरे से सूचना आदि मांगी थी जिसे म प्रस्तुत करना स्वीकार कर लिया था। बाद में आयोग ने जांच के दौरान मेरे से कोई सूचना मांगना आवश्यक नहीं समझा। मैंने भारत सेवक समाज के कोसी सैक्सन के संयोजक पद से 17 वर्ष पूर्व मई 1957 में इस्तीफा दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

Shri Madhu Limaye :

He has given personal explanation against the rules.

अध्यक्ष महोदय : यह नियमों के विरुद्ध नहीं था। जब वे नए आरोप लगा सकते हैं तो मंत्री महोदय को उनका उत्तर देने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें लगाए गए नए आरोपों का उत्तर देने का अधिकार है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रीपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes: 61 विपक्ष में Noes. 294

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : यह सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 26 जुलाई 1974/ 4 श्रावण 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 26th July, 1974/ 4th Sravana 1896 (Saka).

74—M/S2LSS—490—17-10-74—GIPS